Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १६५८ का ३०वाँ दिवस [संख्या १६

मंगलवार, ११ मार्च, १६५८।

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.६ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

जमना डेयरी स्कूल

३३४. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जमना डेयरी स्कूल में कक्षावार छात्र संख्या क्या है?

(२) क्या स्कूल का अपना मकान है? कितने कमरे स्कूल के काम में आ रहे हैं?

(३) स्कूल में कक्षावार लड़कियों की संख्या कितनी है? क्या इस क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा हेतु कुछ व्यवस्था करने की ओर सरकार का विचार है?

(४) क्या सरकार वहां कोई बुनियादी शिक्षा की पाठशाला भी शुरू करने का विचार रखती है?

मुख्य व शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) :

(१) कक्षा पहली में ३३
कक्षा दूसरी में ३७
कक्षा तीसरी में ३७
कक्षा चौथी में २६
कक्षा पांचवीं में २०

(२) जिला बोर्ड, ब्लॉक डेवलपमेन्ट तथा जनता का बनाया हुआ एक मकान है जिसमें ३ कमरे तथा एक बरामदा है जो सभी स्कूल के काम में आ रहे हैं।

(३) स्कूल में कक्षावार लड़कियों की संख्या निम्नलिखित है :

कक्षा पहली में १०
कक्षा दूसरी में ४
कक्षा तीसरी में ३

लड़कियों के लिये महारानी साहिबा की तरफ से एक स्कूल चल रहा है।

(४) दिनांक १५-१-५८ से बेसिक स्कूल कर दिया है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या इस स्कूल को बेसिक कर दिया गया है?

Page No.2

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां।

डॉ० चन्द्रकला : ३ कमरे और एक बरामदा के अलावा और कोई साधन नहीं होते हुए बेसिक स्कूल कैसे चलता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कमरों पर पर ही इसका बनना, न बनना आधारित नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : क्राफ्ट्स रूम कौन सा रक्खा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे अभी पूरी जानकारी इसकी नहीं है। क्राफ्ट्स आम तौर से ओपन में रहते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : लड़कियों के लिये महारानी साहिबा की तरफ से खुला स्कूल कहां है, किस जगह है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके ठीक स्थान का तो पता नहीं, इसके लिये बाद में जानकारी दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

समाज कल्याण विभाग से दी जाने वाली छात्रवृत्ति

३३५. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) समाज कल्याण विभाग से जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह कौन से मास में दी जाती है ?

(ख) क्या इससे जो वास्तविक फायदा छात्रों को मिलना चाहिये मिलता है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति आम तौर से जुलाई मास से फरवरी तक की मार्च के महीने में दी जाती है। मार्च अप्रैल की अगस्त में दी जाती है।

(ख) हां।

(ग) हां, पर कुछ कठिनाई अवश्य होती है।

(घ) सरकारी आज्ञा के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थी ट्यूशन फीस से मुक्त हैं। इसलिए विद्यालय में फीस देने के लिये रुपयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अन्य खर्चा उनको छात्रवृत्ति के रूप में मिल जाता है।

(ङ) देर से मिलने की कठिनाई को दूर करने के लिये पहली किश्त दिसम्बर में और दूसरी मार्च में अदा की जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री रामकरणसिंह : आपने फरमाया कि साल में दो दफा दी जाती है, क्या यह सही है ?

श्री उपाध्याय : जी हां।

श्री गोकुलचन्द्र जाटव : तो इस बारे में कोटपुतली तहसील में दो बार दी गई या नहीं ?

श्री उपाध्याय : यह तो अलग से पूछिये। आपने जनरल पूछा था, उसका उत्तर दिया जा चुका। अब स्पेसिफिकली पूछना चाहते हैं तो अलग से सवाल करेंगे तो बता देंगे।

श्री रामकरणसिंह : यह दो महीने की छात्रवृत्ति रक्खी जाती है, उसका क्या कारण है ?

Page No.3

श्री उपाध्याय : कुछ मार्च-अप्रैल के अन्दर दी जाती हैं, कुछ जुलाई में दी जाती हैं।

श्री गोकुलचन्द जाटव : बहुत से छात्र परीक्षा पास करके दूसरी कक्षाओं में चले जाते हैं, वहां उनको इत्तला दी जाती है या हैड मास्टर को इत्तला दी जाती है ?

श्री उपाध्याय : वे ले लेते हैं छात्रवृत्ति।

श्री गोकुलचन्द जाटव : सवाल यह है कि इसकी इत्तला कैसे मिले उनको ?

श्री उपाध्याय : मिल जाती है, उनको मालूम हो जाता है।

श्री गोकुलचन्द जाटव : मेरी समझ में नहीं आया कि दस महीने की छात्रवृत्ति दी जाती है और दो महीने की रोक ली जाती है, दो महीने की रोकने का क्या कारण है ?

श्री उपाध्याय : प्रारम्भ में जो देर लगती है उसके कारण यह है। प्रारम्भ में आवेदनपत्र लिये जाते हैं, फिर सुविधा के लिये कोई रह नहीं गया है इसके लिए अवधि बढ़ाई जाती है, फिर उनकी एप्लीकेशन्स का सोर्टिंग होता है तो इन सब कामों में प्रारम्भ में देर लग जाती है, बाद में नहीं। और अब तो हम इस पद्धति को भी बदल रहे हैं।

श्री गोकुलचन्द : इसमें बहुत गड़बड़ी दिखाई देती है। इसमें ऐसा होता है कि दो महीने के बाद बहुत से छात्रों, को जिस स्कूल की मार्फत एप्लाई किया है, उसमें एडमिशन नहीं मिल पाता और दो महीने के बाद वह स्कूल छोड़ कर, यह क्लास छोड़ कर दूसरी स्कूल में प्रवेश पाता है तो उनको नहीं मिल पाती है अक्सर। फिर दुबारा एप्लीकेशन पोस्ट करानी पड़ती है तो यह कठिनाई है।

श्री उपाध्याय : आगे से तो हम यह पद्धति को बदल रहे हैं। अब कोई कठिनाई है जैसी कि आपने बताई तो उसका उपाय करेंगे, उधर भी ध्यान दिया जावेगा।

श्री मूलचन्द डागा : क्या छात्रवृत्ति देने की कोई नियमावली बनी हुई है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

अतिवृष्टि से तहसील दूनी और उनियारा में हुई क्षति

३३६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला टोंक में २० से २३ जुलाई सन् १९५७ तक कितनी वर्षा हुई ?

(ख) क्या यह सही है कि इन दिनों में तहसील उनियारा में ता० २१ से २३ तक ३६ घन्टों में लगभग २४ इंच के वर्षा हुई और एक दिन में ११.३७ इंच वर्षा हुई ?

(ग) अति वृष्टि के कारण तहसील उनियारा व दूनी में कितनी क्षति हुई और किन किन ग्रामों में ?

(घ) उपरोक्त क्षति की जांच हेतु कौन कौन अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा पीड़ितों को सरकार की ओर से क्या सहायता दी गई ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) कुल ५४.८८ इंच वर्षा हुई है।

(ख) यह सही नहीं है। १६ इंच ७५ सेन्ट बारिश हुई थी।

(ग) तहसील उनियारा में अतिवृष्टि के

Page No.4

(श्री सम्पतराम)

कारण ११ बंध टूटे और ३४० मकान गिरे और निम्नलिखित ग्रामों में करीब ३१ हजार की क्षति हुई:-

(१) बाजोलियां २१६ रुपये।
(२) बूंदी ४२१३ रुपये।
(३) कुन्दड़िया २२३२ रुपये।
(४) गोविन्दपुरा ६१६८ रुपये।
(५) कुन्डेर २८६२ रुपये।
(६) देवरी ११५२ रुपये।
(७) मोहम्मदगढ़ १४१२७ रुपये।

तहसील दूनी में केवल नगर बन्ध टूट जाने से मामूली क्षति हुई है।

(घ) इस क्षति की जांच के लिए तहसील उनियारा में तहसीलदार व इन्सपैक्टर लैंड रेकॉर्ड्स पहुंचे थे।

उनियारा के ११ गांवों में कुल ३४२२ रुपये की राहत दी गई।

राव राजा श्री सरदारसिंह : आपने फरमाया कि वहां तहसीलदार पहुंचे थे, तो क्या यह सही है कि इस अवधि में तहसीलदार दो महीने की छुट्टी पर था ?

श्री सम्पतराम : तहसीलदार की जगह कोई ऑफिशियेट कर रहा होगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ऑफिशियेट कौन कर रहा होगा ?

श्री सम्पतराम : तहसीलदार चला जाता है तो नायब तहसीलदार ऑफिशियेट करता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो फिर वहां तहसीलदार गया या नायब तहसीलदार गया ?

श्री सम्पतराम : He was acting in the capacity of the Tahsildar.

रावराजा श्री सरदारसिंह : वह ऑफिशियेटिंग कैपेसिटी में है तो वह जांच का ही काम करता है या और भी काम करता है ?

श्री सम्पतराम : तहसीलदार से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वह सभी करता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या जांच की क्षति को और गांवों के जो मकानात गिर गये थे उन्हें देखने एस०डी०ओ० और कलेक्टर भी कभी गये थे ?

श्री सम्पतराम : मेरी जानकारी नहीं है, गये होंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप तो यह बताइये कि गये या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह तो कह रहे हैं कि तहसीलदार गया था।

रावराजा श्री सरदारसिंह : साहब, तहसीलदार कैसे जा सकता है उस समय तो वह छुट्टी पर था, फिर कौन गया ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

कन्या पाठशाला कोटपुतली

३३७. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) कन्या पाठशाला, कोटपुतली को किस तारीख से सरकार ने हस्तगत किया है ?

Page No.5

(श्री रामकरणसिंह)

(ख) पाठशाला की इन्चार्ज नवम्बर, ५७ तक कौन कौन कितने कितने समय के लिए रहीं ?

(ग) किस किस को हैड मिस्ट्रेस अलाउन्स किस हिसाब से कितने दिन का दिया गया ?

(घ) क्या उपरोक्त अलाउन्स सबको दिया गया ? यदि नहीं, तो किसको नहीं दिया गया व कितने दिन का तथा अब कब तक दे दिया जावेगा ?

मुख्य व शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) तारीख ८-१०-१९५२ से ।

(ख) तारीख ८-१०-५२ से तारीख २३-६-५६ तक श्रीमती गैंदी देवी रहीं, तारीख २४-६-५६ से ता० २६-६-५७ तक श्रीमती कमला तैलंग रही तथा ता० २७-६-५७ से अब तक भूतपूर्व प्रधानाध्यापिका श्रीमती गैंदी देवी ही हैं ।

(ग) किसी को भी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता । जब तक उनका फिक्सेशन नई वेतन शृंखला में नहीं हो जाता तब तक अलाउन्स दिया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री रामकरणसिंह : इसके फिक्सेशन के लिए आपने फरमाया कि जब तक फिक्सेशन नहीं होता तब तक अलाउन्स नहीं दिया जाता, तो, उनको काम तो इस रूप में करना पड़ता है, तो इसके लिए उनको किसी प्रकार की कोई फेसिलिटी नहीं दी जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनका केस रेफर किया हुआ है और फिक्सेशन होते ही उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

श्री रामकरण सिंह : फिक्सेशन के बारे में तो अब पता नहीं, हो या नहीं । मैंने एक साल पहले भी असेम्बली में अर्ज किया था और आपने फरमाया था कि फिक्सेशन जल्दी ही हो रहा है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है और इसकी फाइल का ही नहीं मालूम है; अब फिक्सेशन होगा या नहीं ? जल्दी होगा या देर से ? उनको सहूलियत दी जायेगी या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस पर विचार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

पटवारियों की वेतन वृद्धि

३३८. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का पटवारियों और अमला लैंड रिकॉर्ड्स का वेतन बढ़ाने का विचार है ?

(ख) यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि एल. डी. सी. कलर्क के पास पटवारी से बहुत कम काम रहता है ? यदि हां, तो फिर उनको पटवारियों से ज्यादा तनख्वाह क्यों दी जाती है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) नहीं ।

(ख) अभी १९५६ में ही राजस्थान में सब विभागों के कर्मचारियों के नये पे स्केल लागू किये गये हैं, इसलिए अब करने की आवश्यकता नहीं है ।

Page No.6

(श्री सम्पतराम)

(ग) एल. डी. सी. का कार्य पटवारियों से भिन्न है। अत: तनख्वाह के संबंध में दोनों श्रेणी के कर्मचारियों के कार्य की तुलना नहीं की जा सकती।

कुछ माननीय सदस्य: सुना ही नहीं।

श्री सम्पतराम: क्या फिर सारा पढ़ दूं?

कुछ माननीय सदस्य: नहीं (ग) भाग।

श्री सम्पतराम: एल. डी. सी. का कार्य पटवारियों से भिन्न है अत: तनख्वाह के संबंध में दोनों श्रेणी के कर्मचारियों के कार्य की तुलना नहीं की जा सकती।

श्री प्रभुलाल पुरोहित: पटवारियों की तनख्वाह बढ़ाने का विचार है या नहीं?

श्री सम्पतराम: मैंने जवाब दे दिया कि कोई विचार नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा: क्या यह बात सही है कि जागीर पुनर्ग्रहण के बाद पटवारियों का काम बढ़ गया है?

श्री सम्पतराम: जहां काम बढ़ा है वहां पटवारियों की संख्या भी बढ़ी है।

श्री अध्यक्ष: श्री अनूपसिंह।

श्री तनसिंह: इस ३३६ प्रश्न का उत्तर दे दिया जाय।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया): यह तो राजस्व मंत्री देंगे।

उप-तहसील कार्यालय की स्थापना

३३६. श्री तनसिंह (श्री अनोपसिंह की अनुपस्थिति में): क्या राजस्वमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या ग्राम समदड़ी में उप-तहसील का दफ्तर रखना प्रशासनिक और जनता की सुविधा के लिए उचित नहीं, जब कि समदड़ी भविष्य में एक बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन बनने वाला है?

(ख) अगर हां, तो कब तक उप-तहसील समदड़ी में बना दी जायेगी?

(ग) अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) अभी तक समदड़ी में उप-तहसील बनाने का प्रश्न सरकार के सम्मुख नहीं है और न ऐसी मांग है और न ऐसा करने का कारण भी प्रतीत होता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऊपर इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री तनसिंह: यह मांग तो नहीं आई है। तो क्या सरकार की ओर से ऐसी तहसील और उप-तहसील बनाने का विचार है?

श्री दामोदरलाल व्यास: जी नहीं।

श्री तनसिंह: यह भी विचाराधीन है कि जिलों की संख्या और उनको छोटा बड़ा किया जाय?

श्री दामोदरलाल व्यास: सब डिवीज़न्स को कमी-वेशी करने का प्रश्न विचाराधीन है। लेकिन अभी यहां इस जगह सब-तहसील बनाने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

Page No.7

हाई स्कूल चाकसू

३४० **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) चाकसू हाई स्कूल में साइन्स तथा कॉमर्स के अध्यापक का अभाव क्यों है तथा यह अभाव कब तक पूर्ण होगा ?

(२) क्या इसके अतिरिक्त हाई स्कूल का स्टाफ पूर्ण है ? यदि नहीं, तो इसकी पूर्ति कब होगी ?

(३) क्या सारे राजस्थान के स्कूलों को आवश्यकतानुसार उनमें अध्यापकों की कमी है ?

(४) क्या लालसोट में हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल में अध्यापकों की कमी है ? यदि हां, तो कितनी कितनी ?

(५) कोठखाबाद की मिडिल स्कूल व सांगानेर की मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की कितनी कमी है और वह कब पूर्ण होगी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) चाकसू हाई स्कूल में अध्यापकों का कोई अभाव नहीं है

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) कहीं कहीं कमी है।

(४) जी नहीं।

(५) कोई कमी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर चन्द्रकला।

जयपुर सिटी कैम्प स्थित पुरुषार्थी परिवार

३४१. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर सिटी कैम्प में कितने शरणार्थी परिवार बसे हुए हैं, उनमें से कितने क्लेमेंट है और कितने नोन-क्लेमेन्ट ?

(२) सिटी कैम्प के पास की दुकानों के पीछे की जमीन, जो दुकानों के विस्तार के लिए रखी गई है, दुकानदारों को कब तक दे दी जायेगी ?

पुनर्वास मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) १२२ परिवार। उनमें से ६१ क्लेमेंट्स हैं और बाकी के नोन-क्लेमेंट्स हैं।

(२) ऐसी कोई योजना नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : यह सिटी कैम्प के पास जो दुकानें बनी हुई हैं और उनके पीछे जो जमीन है वह जमीन उन दुकानों के विस्तार के लिए है, वह जमीन उनको देने में क्या कठिनाई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जो १२२ परिवार बसे हुए हैं इनको बसाने के लिए, डम्पिंग ग्राउन्ड्स की जमीन है और उसको अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड ने दिया है। इसके लिए कार्यवाही हो रही है।

डॉ० चन्द्रकला : मेरा प्रश्न परिवारों के बसाने का नहीं है। स्टेशन रोड पर जो १८ दुकानें बनी हुई हैं और उन दुकानों के पीछे जो जमीन है वह उन्हें देने का है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, उस जमीन को देने का कोई विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

Page No.8

पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण

३४२. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Education Minister be pleased to state:

(a) What are those 'factors' for which the nationalized text books could not be made avilable to the students for months after the Schools were open ?

(b) Is it correct that the orders for printing the nationalized text books were placed with certain firms in U. P. ?

(c) If so, whether any tenders were invited before placing the orders and what were the rates offered by the local firms and those from U.P. ?

(d) What freight charges the Government had to pay for bringing the books from U.P. ?

मुख्य व शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (a) The following factors beyond the control of the Board caused delay in making the books available in the beginning of the session:

(i) Quotations for the supply of paper had to be obtained on all India basis.

(ii) The allotment of paper was made on Titaghur Paper Mills, Calcutta. But it was heavily booked and required about two months for the supply of paper.

(iii) Abolition of open General Licence resulting in non-availability of panchromatic films for Hindi Books I and II.

(iv) Heavy rains creating difficulties in offset printing.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir. A statement showing the rates for printing offered by the local printing presses and thereof U. P. has been placed on the floor of the House.

(d) The Government had to pay a sum of Rs. 4000/-approximately on account of freight charges for transporting the books from U.P. to various Inspectorates in Rajasthan.

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री पी० के० चौधरी : What is the amount of freight charges that has been charged ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Rupees four thousand.

श्री पी० के० चौधरी : Which are those firms of U. P. which got the order ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (1) Messrs. Indian Press Limited, Allahabad for the printing of copies for Hindi classes IV and V.

(2) M/s. Allahabad Law Journal-Hindi Book III.

Page No.9

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(3) General Science-M/s. Indian Press Ltd., Allahabad

(4) Social Studies books for classes III, IV and V, the order was placed with M/s. Oudh Publishing House, Lucknow but the printing of these books has not commenced as yet.

श्री पी०के०चौधरी : Has there been any comparision between the rates of the Rajasthan Presses and other presses because Jaipur and Ajmer Presses gave much lower rate than other presses ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस सम्बन्ध में बोर्ड की तरफ से जानकारी अलग अलग प्रेसेज़ की केपेसिटी वगैरह इन सारी चीजों को ख्याल में रखते हुए मालूम की गई कि किन प्रेसेज़ को ऑर्डर प्लेस किया जाना चाहिए, क्योंकि २१ लाख किताबों को छपवाने का सवाल था और वक्त की कमी थी। इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए ऑर्डर प्लेस किया गया था और दरअसल में काफी समय लग गया। इसलिये रेट्स में कुछ रद्दोबदल किया गया।

श्री पी० के० चौधरी : अजमेर और जयपुर के प्रेसेज़ में कोई सस्ता था या नहीं ! अगर था तो उसको क्यों नहीं दिया गया !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनकी केपेसिटी इतनी नहीं समझी गई।

डॉ० चन्द्रकला : पाठ्य पुस्तकों के देरी से मिलने पर पुस्तक विक्रेताओं की भी जिम्मेवारी है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं नहीं जानता कि क्या किया गया और क्या नहीं किया गया।

श्री पी० के० चौधरी : केपेसिटी का क्या क्राइटेरिया था ?...

What was the criteria for deciding the capacity of the Presses?

श्री अध्यक्ष : श्री नागर।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या सरकार को मालूम है कि नेशनलाइज़्ड टेक्स्ट बुक्स के ही समान दूसरी बुक्स पब्लिशर्स ने प्रकाशित कर दी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कुंजियों के रूप में इस तरह की चीजें तैयार की गई हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? वे टेक्स्ट बुक्स की ही तरह की किताबें छपवाकर बराबर बेच रहे हैं और बच्चे सैकड़ों की संख्या में उन्हें खरीद रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसको पूरी तरह से रोका जा सके उसके लिए कार्यवाही करने के लिए सबसे पहिले ज्यादा से ज्यादा खुद अपनी किताबें तैयार करलें, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है।

डॉ० चन्द्रकला : पाठ्य पुस्तकों के साथ में पुस्तक विक्रेता दूसरी पुस्तकें लेने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं, क्या यह सही है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : जानकारी मिलने पर क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर संभव हुआ तो।

श्री पी० के० चौधरी : पेपर्स खरीदने के लिए क्या टेन्डर्स इन्वाइट किये गये थे या वैसे ही ऑर्डर दे दिया गया था कलकत्ते की किसी फर्म को ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने शुरू में ही निवेदन कर दिया कि ऑल इण्डिया वाइड टेन्डर इन्वाइट किये गये थे। "Quotations for the supply of paper had to be obtained on an all India basis."

श्री पी० के० चौधरी : जयपुर की किसी फर्म का भी कोई टेन्डर था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किन किन लोगों का टेन्डर था, यदि इसकी जानकारी चाही गई तो अलग से दे सकता हूँ। लेकिन कोटेशन्स सारे हिन्दुस्तान भर से मांगे गये थे।

श्री पी० के० चौधरी : कलकत्ते के कम्पीटिटिव रेट्स थे क्या ?

श्री अध्यक्ष : If you are interested in a particular firm tell that this firm's quotation was low but another firm with higher rate got the order. Why beat about the bush ?

प्रश्न संख्या ३४३

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३४४

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

आबू में पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों के लिए बोर्डिंग हाउस

३४५. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Minister, Social Welfare Department, be pleased to state:—

Is the Government aware of the demand of a boarding House at Abu Road, Sirohi District, for the students of scheduled tribes, scheduled castes and backward classes ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : जी हां, आबू ताल्लुके में छात्रावास की मांग है।

श्री मोहब्बतसिंह : Does the Government contemplate to meet this demand ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हां, अगले साल में कोशिश करेंगे।

सार्वजनिक स्थानों का पंचायतों को हस्तान्तरण

३४६. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या बीकानेर एवं लूणकरणसर तहसीलों की ग्राम पंचायतों को आबादी भूमि एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों का चार्ज मौके पर जाकर राजस्व अधिकारियों द्वारा दिया जा चुका है ? अगर हां, तो कौन कौन सी पंचायतों को किन किन तारीखों पर चार्ज दिया गया ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री संपतराम) : आबादी भूमि के बारे में तमाम पंचायतों के

(श्री सम्पतराम)

जरिये राज्याज्ञा अधिकार दे दिये गये; पटवारियों को हिदायत कर दी गई कि जहां जहां पंचायतें चाहें निशानदेही कर दी जावे। अन्य सार्वजनिक स्थानों से क्या मतलब है, साफ नहीं होता है। मगर पंचायत एक्ट की रूह से जिन स्थानों पर पंचायतों का कब्जा व अधिकार होना चाहिए उसमें कोई दखल नहीं दिया जाता।

श्री भीमसेन : मेरा क्वेश्चन यह था कि क्या उनको मौके पर कब्जा दे दिया गया है आबादी की भूमि के लिए ?

श्री संपतराम : वह तो मैंने बताया कि राज्य द्वारा ऐसी आज्ञाएं जारी कर दी गई हैं।

श्री भीमसेन : आज्ञाएं तो जारी कर दी गई हैं, और कानून भी है, परन्तु आबादी की भूमि पर कब्जा दिया गया या नहीं सवाल यह है।

श्री संपतराम : कब्जा उसी वक्त लेते हैं।

श्री भीमसेन : यह एक छोटा सा प्रश्न नहीं है। कब्जा दिया या नहीं और कब दिया यह आपके पास में इन्फोर्मेशन है क्या इस बारे में ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : आबादी की भूमि को ट्रान्सफर करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिये गये हैं और नोटिफाई कर दिये गये हैं कि जिस तारीख से नोटीफाई हुई है उस तारीख से आबादी की भूमि पंचायतों और लोकल बोडीज़ की हो गई। We have already informed them that it will vest in the Panchayats.

श्री भीमसेन : कितनी भूमि है पंचायतों की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हरएक विलेज और हरएक कस्बे के लिए आबादी की ज़मीन अलग-अलग डिमार्केटेड है।

श्री भीमसेन : नहीं है, इसीलिये क्वेश्चन में रखा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप बताइये कि किस जगह पर है ?

श्री भीमसेन : मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में प्रश्न पूछा है उसका जवाब नहीं मिला है।

श्री दामोदरलाल व्यास : हरएक जगह नक्शा है।

श्री भीमसेन : नक्शा पटवारी के पास रहता है न कि पंचायत के पास।

श्री दामोदरलाल व्यास : नक्शा पंचायतें हासिल कर सकती हैं। यह मुमकिन नहीं है और न जरूरी है कि हर गांव में जाकर कब्जा दिया जाय। वह नोटिफिकेशन काफी है और लोकल बोडीज़ ने कब्जा कर लिया है उस नोटिफिकेशन के तहत।

श्री रामकरण सिंह : क्या पटवारी से कब्जा नहीं दिलाकर वैसे ही कब्जा मान लिया जाय उस ऑर्डर के मातहत ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऑर्डर है और उसके मातहत कब्जा हो गया।

श्री रामकरणसिंह : यह मान लिया

Page No.12

(श्री रामकरणसिंह)

जाय कि पटवारी कब्जा दे या नहीं लेकिन कब्जा मान लिया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पटवारी के कब्जा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कब्जा ले सकते हैं और नक्शे में आबादी की जमीन डिमार्कटेड है और कब्जा उस तारीख से हो गया जब से कि नोटीफिकेशन जारी हो गया।

एक माननीय सदस्य : आबादी की जमीन के कागज पटवारी के पास रहते हैं, पंचायतों के पास नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर पंचायतें जानकारी करना चाहें और उनको कोई दिक्कत होती हो तो मैं मदद करने को तैयार हूं। नक्शा पटवारी के पास रहता है।

एक माननीय सदस्य : पटवारी के पास आबादी का काम नहीं है तो क्यों न सरकार उसको पंचायतों के सुपुर्द कर दे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सेटिलमेन्ट के नक्शे होते हैं उनमें यह दिया हुआ है कि कहां पर कितनी आबादी की जमीन है। वह सारी चीजें उसमें डिमर्कटेड हैं इसलिए अलग नक्शे देने का सवाल नहीं होता है।

एक माननीय सदस्य : आबादी के एरिया के लिए अलग रजिस्टर होते हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह बता दिया गया है कि नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और उसके मुताबिक वे सारी पॉवर्स पंचायतों में वेस्ट हो गये। कब्जा देने की आवश्यकता नहीं है। उसमें कोई डिफिकल्टीज़ होती हो तो मंत्री महोदय से कहा जाय। वे पॉवर्स उनमें वेस्ट हो गये।

एक माननीय सदस्य : किस-किस चीज़ पर कब्जा हो गया पंचायतों का ?

श्री अध्यक्ष : वह रेकार्ड मांग लें तहसीलदारों से। वे नक्शे की कॉपी ले सकते हैं।

श्री भीमसेन : तहसील बीकानेर और लूणकरणसर में कब्जे के लिए तहसीलदारों को लिखा गया, लेकिन मौके पर कब्जा नहीं दिया गया और दूसरी जगह बहुत सी आबादी में रेवेन्यू की ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बहुत साफ अर्ज किया है कि जिस तारीख को नोटीफिकेशन दिया गया है उस तारीख से वह वेस्ट हो गये। कब्जे के मामले में किसी पंचायत को कोई डिफिकल्टी है और किसी जगह की वह चीज़ मेरे नोटिस में लाई गई तो मैं मदद करने को तैयार हूं।

श्री श्रीमानसिंह : नोटीफिकेशन में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल :

श्री श्रीमानसिंह : Has it specifically been mentioned in the notification that the Patwaris or Tehsildars should hand over Abadi-land to the panchayats?

श्री दामोदरलाल व्यास : All Revenue officers including Patwaris have been given instructions not to deal with the Abadi land now.

श्री श्रीमानसिंह : But what about handing over the land to the Panchayats?

श्री अध्यक्ष : You consult the notification first and then discuss.

Page No.13

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

३४७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या वित्त मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मंत्री किस किस खादी या ग्रामोद्योग संस्था के पदाधिकारी हैं ?

(ख) उक्त संस्था या संस्थाओं को केन्द्रीय या राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से कितनी रकम सहायता या ऋण स्वरूप में मिली हुई है ?

उप उद्योग मंत्री (श्री खिवरचन्द धारीवाल) : (क) केवल मत्स्य राज्य ग्रामसेवा मंडल नाम की संस्था के पदाधिकारी हैं ?

(ख) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से उक्त संस्था को विभिन्न उद्योगों के लिये कुल रकम १,१०,०५० रु० जिसमें से ७१,०५० रुपये ऋण व ३६,००० रु० सहायता दी गई है। केन्द्र की रकम का अंक देने में असमर्थ हैं, क्योंकि अखिल भारतीय बोर्ड जो रकम सीधी देता है उसकी सूचना इस कार्यालय के पास नहीं भेजता है।

माध्यमिक पाठशाला, लूणकरणसर

३४८. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

मिडिल स्कूल, लूणकरणसर (जिला बीकानेर) में कमरों की कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

मुख्य व शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : राजकीय माध्यमिक पाठशाला, लूणकरणसर में कमरों की कमी को दूर करने के लिये तीन कमरे बनवाये जाने के लिये प्रधानाध्यापक, लूणकरणसर द्वारा वहां के निवासियों को लिखा गया था कि वे उपरोक्त संबन्ध में सहायता प्रदान करें, ताकि कुछ रकम जिला विकास समिति द्वारा दिलवाई जा सके। प्रधानाध्यापक इस सम्बन्ध में गांव वालों से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्री उप शिक्षा निरीक्षक, बीकानेर, जब दौरे पर गये, तो, उन्होंने सरपंच तहसील से भी इस सम्बन्ध में मौखिक रूप से बातचीत की। सरपंच महोदय भी इस ओर पूर्ण कोशिश कर रहे हैं ऐसा विश्वास किया जाता है। प्रधानाध्यापक द्वारा सहायता प्राप्त होने का पूर्ण विवरण कार्यालय में प्राप्त होने पर जिला विकास समिति से रकम दिलवाने की कोशिश की जावेगी।

श्री भीमसेन : मकान की कमी दूर करने की कोशिश की जा सकती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह मुश्किल होगा।

श्री भीमसेन : क्या सरकार को मालूम है कि गांव वालों ने स्कूल की बिल्डिंग और क्वार्टर बनाकर दिये हैं; अब गांव वालों की स्थिति ऐसी नहीं है कि और सहायता कर सकें?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह आपने जानकारी दी है। इसे ध्यान में रखेंगे।

बीघोड़ी वसूली (त० पाली)

३४९. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या पिछली बार पाली तहसील में उनाल फसल में रोली होने के कारण काश्त-

(श्री मूलचन्द डागा)

कारों को बीघोड़ी वसूली में कोई छूट दी गई थी ? यदि हां, तो कितनी ?

उप राजस्व मंत्री (श्री संपतराम) : जी हां। १३७८६ रु० ६० नये पैसे की छूट देने का प्रस्ताव पेश हुआ है जो सरकार के विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द डागा : अब तक विचाराधीन है या निर्णय हो चुका है ?

श्री संपतराम : विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द डागा : कब तक निर्णय होगा ?

श्री संपतराम : जल्दी ही।

श्री बेनाराम : इस छूट का मतलब रेमिशन से है या क्या है ?

श्री जनार्दनराय नागर : Does the Hon. Minister know the opinion of the Prime Minister of India when he says that the matter is under consideration ?

श्री संपतराम : Yes, I know the full implication.

श्री जनार्दनराय नागर : I wanted to know, does the Hon. Minister know the opinion of the Prime Minister of India that the matter is under consideration means that nothing is under consideration.

श्री अध्यक्ष : He still says he knows the meaning.

प्रश्न संख्या ३५०

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

खड्डी की खान

३५१. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि पाली तहसील के गांव खुटानी में खड्डी की खान है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस खान का उपयोग करने की बाबत किसी योजना पर विचार किया है ?

उप उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) हां।

(२) हां, एक प्रार्थना-पत्र भारत सरकार को जिप्सम का माइनिंग लीज़ देने के लिए सिफारिश के साथ भेजा गया है।

कोष कार्यालय (ट्रेजरी,) बाड़मेर

३५२. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बाड़मेर कोष कार्यालय में कितने कर्मचारी हैं ?

(२) क्या यह सही है कि कलेक्टर, बाड़मेर ने अक्तूबर ५५ में वित्त विभाग को कर्मचारी वर्ग की संख्या में वृद्धि के लिये सिफारिश की थी ?

(३) क्या यह भी सही है कि कार्याधिक्य

Page No.15

(श्री तनसिंह)

के कारण एकाउन्टेन्ट की परीक्षा की तैयारी के लिये किसी भी क्लर्क को छुट्टी नहीं दी गई व कर्मचारियों को अतिरिक्त समय तक कार्य करना पड़ता है !

(४) यदि हां, तो सरकार इस विषय में कब तक समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है !

उप वित्त मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) लेखापाल १

एकाउन्टस क्लर्क	२
उच्चलिपिक	३
निम्नलिपिक	३
और चपरासी	४
	१३

(२) हां।

(३) नहीं।

(४) कभी कभी।

(५) कर्मचारियों की संख्या में आवश्यक वृद्धि कर दी गई है।

श्री तनसिंह : आवश्यक वृद्धि क्या की गई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एक यू० डी० सी० और एड कर दिया गया है।

श्री तनसिंह : प्रश्न (४) में मैंने पूछा था, "यदि हां, तो सरकार इस विषय में कब तक समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है ?" इसके उत्तर में आपने बताया "कभी कभी"; यह समझ में नहीं आया !

श्री अध्यक्ष : एक यु० डी० सी० तो मिल गया आपको।

तहसीलदार, रायपुर (भीलवाड़ा)

३५३. **श्री शिवचरणदास** (मांडल) : क्या राजस्व मंत्री यह बतालाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा के तहसीलदार के विरुद्ध काश्तकारों की कोई शिकायत आई है !

(२) यदि हां, तो वह क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है !

उप राजस्व मंत्री (श्री संपतराम) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठाता।

(३) प्रश्न नहीं उठाता।

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि सरपंच और एम.एल. ए. ने तहसीलदार के विरुद्ध कुछ शिकायत की थी जिस पर एस.डी.ओ. ने कुछ एक्शन लिया था !

श्री संपतराम : यह आप जानकारी दे रहे हैं। मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री शिवचरणदास : इस बारे में ही तो मेरा प्रश्न है। आपने उसकी जानकारी की होगी, लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिला।

श्री संपतराम : मेरी जानकारी के आधार पर ही मैंने उत्तर दिया है।

श्री शिवचरणदास : मैं जानकारी दे रहा हूं कि इतनी कार्यवाही इस बारे में हुई !

श्री संपतराम : हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे।

डॉ० चन्द्रकला : क्या आपको भरोसा है कि आप ी जानकारी सही है ?

श्री संपतराम : हमें तो भरोसा है कि सही है, आप भले ही भरोसा मत करिये।

प्रश्न संख्या ३५४

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

भूमि वितरण

३५५. श्री शिवचरणदास (मांडल) : क्या मंत्री राजस्व विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या सरकार ने इस प्रकार की आज्ञाएं जारी की हैं कि किसी गांव में जब तक गोचर भूमि निश्चित नहीं की जायेगी, किसी को भूमि अलोट नहीं की जायेगी ?

(२) यदि हां, तो मांडल (जिला भीलवाड़ा) में गोचर भूमि अभी तक निश्चित नहीं की जाने पर भी सोनी कम्पनी के मैनेजर को भूमि कैसे अलोट कर दी गई है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री संपतराम) : (क) जी नहीं अलग कोई आज्ञा जारी नहीं की, मगर रूल्स फोर अलोटमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड के रूल ६ में यह प्रोविजन है कि गोचर भूमि की अनऑकुपाइडलैंड सिवाय चकमे से निकाल कर बाकी जमीन का अलोटमेंट किया जायगा।

(ख) श्री सोहनलाल, मैनेजर को ५ बीघा भूमि अलोट की है। गोचर का प्रश्न तहसील में विचाराधीन है।

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि दूसरे काश्तकारों को यह कह कर भूमि देने से इन्कार कर दिया गया कि जब तक गोचर की भूमि निश्चित नहीं हो तब तक जमीन उनको नहीं दी जा सकती ?

श्री संपतराम : मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

श्री तनसिंह : यह आपने बतलाया कि जहां अनऑकुपाइड लैंड पड़ी है उसमें से गोचर की जमीन निकाल कर बाद में एलोट किया जायगा। सोनी कम्पनी के मैनेजर को जो जमीन दी गई उसमें से क्या गोचर भूमि निकाली गई थी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : रूल्स फोर एलोटमेन्ट ऑफ लैंड में यह बात है कि जितनी अनऑकुपाइड लैंड है उसको अलोट करने से पहले वहां मवेशियों की संख्या को देखते हुए गोचर की भूमि अलग निकाल कर बाद में किसी को अलोट की जाय। डिमार्केशन करने में टाइम लग सकता है।

श्री तनसिंह : डिमार्केशन करने में टाइम लग सकता है, लेकिन क्या सोनी कंपनी के मैनेजर को देने से पहले यह तय किया गया था कि इतनी अलग रखनी चाहिये? प्रश्न जो पूछा गया है वह स्पष्ट है, उसकी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : ग्रेज़िंग के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता है उसके डिमार्केशन की कार्यवाही अलग चल रही है।

श्री जनार्दनराय नागर : मिनिस्टर महोदय के उत्तर की भाषा क्या इंगलिस्तानी है, अध्यक्ष महोदय। उनकी भाषा में बहुत से शब्द अंग्रेजी के हैं और हिन्दी के भी हैं

Page No.17

(श्री जनार्दनराय नागर)

क्या ? It is an interesting point, Mr. Speaker, and I want to know about it.

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि वहां के कुछ गरीब लोगों को भूमि देने से इसलिए इन्कार किया गया कि गोचर भूमि के बारे में तय नहीं किया गया है इसलिए तुमको अभी नहीं दी जा सकती और सोनी कम्पनी के मैनेजर को दे दी गई, इसका क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री शिवचरणदास : अध्यक्ष महोदय, उत्तर ऐसे डावांडोल ढंग से दिया जा रहा है कि कुछ समझ में नहीं आता। स्पष्ट प्रश्न था गोचर भूमि अभी तक निश्चित नहीं की जाने पर भी सोनी कम्पनी के मैनेजर को भूमि कैसे एलोट की गई थी और दूसरी ओर वहां के गरीब लोगों को भूमि देने से इन्कार क्यों किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर डांवाडोल ढंग से नहीं दिया जा रहा है। जितनी सूचना हमारे पास है उसके अनुसार उत्तर दिया है। आपने सूचना दी है कि डिमार्केशन नहीं हुआ था और जमीन दे दी गई तो इसकी जानकारी करके कार्यवाही करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितनी जमीन दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ५ बीघा।

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि मौजा बांध की वजह से सारी भूमि नीलाम की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, नीलाम पर दी जायगी।

श्री शिवचरणदास : वहां के गरीब लोगों को गोचर के नाम से जमीन नहीं दी गई इसलिए वे वंचित रह गये, उनका क्या उपाय होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इर्रिगेटेड लैंड के लिए रूल्स बने हुए हैं, गजट में छपे हैं देख लीजिए।

श्री शिवचरणदास : ये रूल्स कागज में ही रह जाते हैं, उनसे गरीबों का हित नहीं होता। सोनी कम्पनी के मैनेजर को जमीन दे दी जाती है और गरीबों को नहीं दी जाती।

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already replied to his question.

श्री शिवचरणदास : मेरा प्रश्न है सोनी कम्पनी के मैनेजर को जमीन दे दी गई।

श्री अध्यक्ष : यह आपकी शिकायत है, उसकी जानकारी करेंगे।

श्री गोकुलचन्द : क्या सरकार की जानकारी में है कि बिस्वेदारों ने गोचर भूमि का नीतोड़ा किया है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

३५६. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मंत्री सामुदायिक विकास योजना विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड के अन्तर्गत भेड़ व ऊन के विकास के लिए इस वर्ष

(श्री तनसिंह)

क्या क्या कार्य लिये जा रहे हैं ?

(२) इनमें से क्या क्या प्रारम्भ हुए हैं और कौन कौन से पूर्ण हो चुके हैं ?

उप विकास योजना मंत्री (श्री संपतराम): (१) जिन क्षेत्रों में भेड़ व ऊन का विकास हो सकता है उनमें एक निश्चित स्कीम के अनुसार निम्नलिखित कार्य लिये जा रहे हैं:

(१) अच्छी नस्ल के मेंढ़ों का वितरण।

(२) प्राइवेट शीप ब्रीडिंग फार्म्स को ऋण व सहायता।

(३) भेड़ों को नहलाने के खड्डे बनाने के लिये सहायता।

(४) व (५) औजार व दवाइयें खरीदना।

(६) सहकारी समितियों को औजार खरीदने के लिये आर्थिक सहायता।

(७) भेड़ व ऊन की प्रदर्शनी।

(८) मार्केटिंग के लिये सहकारी समितियों के लिये ऋण।

(२) प्रश्न नं. १ के उत्तर में बताई सब बातों पर कार्य बहुत से विकास खंडों में प्रारम्भ हो चुका है। यह कार्य अभी पूर्ण तो किसी खंड में नहीं हुआ।

श्री तनसिंह : मैंने राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड...अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न दिया था, उसमें छपते छपते गलती हुई है। मैंने राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड, शिव के लिए पूछा था।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या !

श्री तनसिंह : आपके यहां गलती हो गई है, यह शिव होगा।

श्री सम्पतराम : आपका जो प्रिन्टेड क्वेश्चन है, उसमें यह भाषा है।

प्रश्न संख्या ३५७

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

(अनुपस्थित)

सरकार द्वारा लिया हुआ कर्ज

३५८. श्री तनसिंह (बाडमेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान सरकार पर ३१ मार्च, १९५७ के दिन कुल कितना कर्ज था ?

(२) इसमें कितना फ्लोटिंग पब्लिक और अन फन्डेड डेट है ?

(३) इसमें से उपरोक्त तारीख को कितना देय ड्यू हो चुका था किन्तु चुकाया नहीं गया?

उप वित्त मंत्री (श्री खिलवचन्द धारीवाल) : (१) दिनांक ३१-३-५७ को राजस्थान सरकार पर कुल ऋण ६२६३.८७ लाख का था। जिसमें ३६१.६१ लाख विस्थापितों के लिये प्राप्त ऋण भी शामिल है।

(२) इसमें से १०६३.०३ लाख फ्लोटिंग डेट ३१२.६१ लाख पब्लिक से तथा अन्य ४८८८.२३ लाख, जिसमें ४५४१.६२ केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण भी शामिल है।

(३) विस्थापितों के लिये प्राप्त ऋण के अतिरिक्त अन्य ऋणों पर कुल २८८.८३ लाख रुपया देय हुआ और उसमें कुल २७०.७६ लाख रुपया चुका दिया गया। बाकी रकम में १४.७२ लाख

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

तो एमोनियम सल्फेट का शामिल है, जिसकी चुकाने की शर्तों में ढिलाई करने के लिये भारत सरकार से पत्र-व्यवहार जारी है तथा ३.३५ लाख अन्य ऋणों के पेटे हैं, जो इस वर्ष चुका दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार से आये हुये ऋणों के बारे में वित्त आयोग ने १५ व ३० साल तक आगे देय करने की राय दी है जो अभी तक केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। राजस्थान सरकार ने तब तक चुकाना बंद कर रखा है।

श्री तनसिंह : उस ऋण की राशि क्या है, जो कि १५ या ३० साल के बाद में चुकाई जाने की है ? आपने जिस सिलसिले में बताया है कि ऐसी सिफारिश की है और चुकाना बन्द कर दिया है, उस ऋण की राशि क्या है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने आपसे निवेदन किया कि कुल जो केन्द्रीय सरकार से प्राप्त राशि है वह ४८८८.२३ लाख रुपये की राशि है, जिसमें से केन्द्रीय सरकार की ४५४१.६२ लाख ऋण की रकम भी है। इस सिलसिले में हमने यह किया कि जो राशि देय होती है उसको १५ या ३० साल के बाद चुकाया जाय।

श्री तनसिंह : क्या यह समझा जाय कि जितनी राशि केन्द्रीय सरकार को देय है, वह सब की सब पेमेन्ट नहीं हो सकने के कारण १५ या ३० साल के बाद चुकाई जाय ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि २७०.७६ लाख रुपया चुका दिया गया है और इसी तरह से १५ व ३० साल तक बराबर किश्तों में चुकाया जायगा। ऐसा हमने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है और वह केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

श्री श्रीभानसिंह : क्या जो पेमेन्ट सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को किया गया है उसमें इन्ट्रेस्ट भी इन्क्लुडेड है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ४५४१ में ?

श्री श्रीभानसिंह : सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को जो पेमेन्ट दिया है, उसमें रकम का इन्ट्रेस्ट भी दिया है, क्या वह भी इन्क्लुडेड है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इन्स्ट्रेट अलग से पे किया है।

श्री तनसिंह : ४५४१.६२ लाख रुपया जो बाकी है, उसको १५ व ३० साल में चुकाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश की है, यह जो इस तरह से सिफारिश हुई है, क्या उसे सरकार ने स्वीकार किया है कि यह रकम १५ या ३० साल के बाद में चुकाई जायगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह जो रकम आगे देने के बारे में है, उसको १५ व ३० साल तक आगे देने की राय दी है और इस राय के ऊपर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है।

श्री तनसिंह : केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है या राजस्थान सरकार विचार कर रही है कि ४५४१.६२ रुपये की जो रकम है और जो रकम आगे ली जाने वाली है, उसको १५ या ३० साल में चुकाये जाने के बारे में सरकार के पास कोई निश्चित नीति है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके बारे में आगे किस प्रकार से किया जायगा, अभी तक कोई नीति नहीं है। इसके बारे में विचार

Page No.20

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

किया जायेगा कि किस प्रकार से यह रकम चुकाई जाय।

श्री श्रीभानसिंह : सेन्ट्रल गवर्नमेंट को यह एनुअल पेमेन्ट किस फंड में से करते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह अलग अलग हैड्स में किया जाता है।

श्री श्रीभानसिंह : अलग अलग हैड्स से तो किया जाता है, पर रिपेमेन्ट के लिए कोई हैड तो होगा, इर्रिगेशन में से कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर में से कर रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : धर्मादे में से।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके लिए कोई पर्टिक्युलर हैड तो नहीं है, बल्कि लोन्स को चुकाने की जो मद है उसमें से चुकाया जाता है।

श्री श्रीभानसिंह : यह जो डेट (debt) आप रिपे करना चाहते हैं, इसके लिए सिंकिंग फंड प्रोवाइड करने के लिए सरकार सोच रही है या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : कल बजट पेश हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि जागीरदारों को जो लोन दे रहे हैं, उसके लिए एक करोड़ रुपया अलग से रखा गया है और दूसरे यह डेट आगे रिपे कैसे होगा, मैं निवेदन करूं कि डेवलपमेंट कार्य से स्टेट की केपेसिटी बढ़ाई जाय, जिससे लोन रिपे कर सकें।

श्री तनसिंह : मेरा निवेदन है कि क्या गवर्नमेंट इस डेट को पे करने के लिए किसी स्कीम को बनाने का विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जनरल स्टेन्डर्ड को बढ़ाने और स्टेट की केपेसिटी को बढ़ाने से रिपे करने की पोज़ीशन आप ही आप पैदा होती है और वह की जा रही है।

प्रश्न संख्या ३५६

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री धर्मपाल।

हरिजन व आदिवासी छात्रावास

३६०. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बतायेंगे :

(क) समाज कल्याण विभाग द्वारा कितने और कहां कहां हरिजन एवं आदिवासी जातियों के लिए छात्रावास खोले गये हैं ?

(ख) उक्त छात्रावासों में छात्रों के भोजन की क्या व्यवस्था है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : सन् १९५७-५८ तक इस विभाग द्वारा जितने भी सरकारी छात्रावास खोले गये उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) इन छात्रावासों में छात्रों को भोजन सरकार द्वारा निःशुल्क दिया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री धर्मपाल पंवार : वह प्रति मुझे मिली नहीं, साहब।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

लक्ष्मी विलास, पैलेस उदयपुर

३६१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (श्री भैरोंसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि उदयपुर के लक्ष्मी विलास पेलेस में इस वर्ष लगभग एक माह तक बोहरों के गुरू श्री मुल्ला (बड़े मुल्ला) ठहरे थे ?

(ख) यदि हां, तो उन पर गेस्ट हाउस का कितना खर्चा हुआ और वह कब और किससे वसूल किया गया ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां ।

(ख) इन पर कुल रुपया ६३२४.७५ नये पैसे खर्च हुए जिसमें से ४६४८ रु. लक्ष्मी विलास में ठहरने के सम्बन्ध में और १,६७६ रु. ७५ नये पैसे यातायात के विषय में हुए । यह राज्य सरकार के मेहमान थे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह इस प्रकार की सुविधा इन मुल्लाओं को है या और किसी को भी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : व्यक्ति पर निर्भर रहता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

अनुसूचित जातियों के हितार्थ भवन-निर्माण योजना

३६२. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या मन्त्री, समाज कल्याण विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लोगों के हितार्थ कोई हाउसिंग स्कीम स्वीकृत की गई थी ?

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त स्कीम के अनुसार भरतपुर जिले के अन्तर्गत रविदासपुरा नामक आदर्श ग्राम के निवासियों को भी कुछ सहायता देने का निश्चयकिया गया था ?

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त सहायता दी गई ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) इस वर्ष अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण अनुसूचित जाति के परिवारों के घरों को काफी क्षति पहुंची । इसीलिए बगैर घर वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को गृह निर्माण की सहायता दी गई है और वह इधर उधर काट कर दी गई है, क्योंकि गृह निर्माण की रकम उनके लिए नहीं थी ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या जिनकी काटी गई है, वह सहायता उनको फिर देने का सरकार का विचार है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वे अगर मकान बनाना चाहते हैं तो विचार किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सज्जनसिंह ।

Page No.22

श्री धर्मपाल पंवार : जो स्कीम बनाई गई हैं वह कहीं कार्य रूप में परिणत की गई है ?

श्री अध्यक्ष : यह जनरल प्रश्न हो गया।

(विराम)

श्री सज्जनसिंह।

हाडेन्द्र इन्टरमीजिएट कॉलेज, बूंदी

३६३. **श्री सज्जनसिंह** (बूंदी) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि हाडेन्द्र इन्टरमीजिएट कॉलेज, बूंदी में स्थानाभाव के कारण दो तीन शिफ्टें चलती हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार स्थान की कमी को पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ५८-५९ के बजट में इसके लिए कोई प्रावधान रखा गया है ?

(ग) क्या छात्रों की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए सरकार उक्त कॉलेज को डिग्री कॉलेज बनाने का विचार रखती है ?

(घ) क्या सरकार वहां एक होस्टल बनाने का भी विचार रखती है ?

मुख्य व शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) आगामी वर्ष के बजट की स्वीकृति होने पर अन्य ऐसे भवनों के निर्माण कार्य के साथ इन्टर कॉलेज, बूंदी के भवन की कमी पूरी करने के प्रश्न पर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अवश्य विचार किया जावेगा।

(ग) अन्य कॉलेजों के साथ इस पर भी विचार किया जावेगा।

(घ) होस्टल के लिए एक सरकारी भवन प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है जिसके मिलने पर होस्टल खोलने का प्रयत्न किया जावेगा।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न (ख) का उत्तर है, यह जब जब भी पूछा जाता है, यही उत्तर दिया जाता है। मेरे ख्याल से यह साइक्लोस्टाइल उत्तर है। यह उत्तर है कि 'आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अवश्य विचार किया जावेगा।' मेरा ख्याल है कि ऐसे प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर हेर-फेर करके बोलें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह प्रश्नकर्त्ता के सोचने की बात है।

श्री तनसिंह : क्या यह प्रश्नकर्त्ता के सोचने की बात है, जब आप यह कह दें कि आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अवश्य विचार किया जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : आयन्दा हेर-फेर करके बोलेंगे।

(हंसी)

श्री श्रीमानसिंह।

प्रत्येक जिले में पर-केपिटा व्यय

३६४. **श्री श्रीमानसिंह** (बयाना) : Will the Finance Minister be pleased so state:-

What is the per-capita expenditure of the Govern ment in different districts ?

Page No.23

उप वित्त मंत्री (श्रीरिखब चन्द धारीवाल): खर्चे के आंकड़े भारत सरकार के ऑडीटर जनरल तथा कंट्रोलर द्वारा, नियुक्त विभागाध्यक्ष द्वारा रखे जाते हैं और ये आंकड़े जिलेवार नहीं रखे जाते हैं, इसलिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह : जिलेवार खर्च के आंकड़े चीफ मिनिस्टर ने हाउस में कहां से दिए थे ? पर-केपिटा एक्सपेन्डीचर के आंकड़े कहां से दिए थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : किस सिलसिले में पर-केपिटा एक्सपेन्डिचर के दिए थे ?

श्री श्रीभानसिंह : पर-केपिटा एक्सपेन्डिचर के बारे में ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने प्लान फिगर्स के दिए थे, यह आपने टोटल एक्सपेन्डीचर मांगा है ।

श्री अध्यक्ष : किसी हैड के लिए पूछ सकते हैं कि प्लान क्या है, पर-केपिटा कितना खर्चा हुआ है ?

नेक्स्ट ।

(विराम)

श्री तनसिंह ।

पान चराई लगान

३६५. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील शिव, जिला बाड़मेर में पान चराई के नाम से कोई लगान वसूल किया जा रहा है ?

(२) यदि हां, तो उक्त लगान किस कानून के अन्तर्गत वसूल किया जा रहा है और क्या वह कानून अभी तक निरस्त नहीं हुआ है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार इस लगान को वसूल न करने के आदेश जारी करेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) जी हां ।

(२) शिव रूल्स के अन्तर्गत यह लगान पान चराई के नाम से वसूल किया जाता है ।

(३) जब तक लैंड रेवेन्यु एक्ट के तहत नियम बन कर दूसरी रेट घोषित नहीं हो जाती तब तक शिव रूल्स के अन्तर्गत यह लगान वसूल किया जायगा ।

श्री तनसिंह : जब कि शिव रूल्स के पीछे कोई ऑथोरिटी नहीं है और सरकार को यह मालूम है कि ये रूल्स अल्ट्रावायरस हैं, तो खामाख्वाह यह क्यों वसूल किया जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, अल्ट्रावायरस का सरकार को मालूम नहीं है ।

श्री तनसिंह : क्या इस तरह का लगान और दूसरी जगहों पर भी वसूल किया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां जहां जो कायदे प्रचलित थे उनके अन्तर्गत ही कार्य होता है, जब तक कि लैन्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत रूल्स नहीं लागू हो जाते । शिव में फोर्मर जोधपुर स्टेट के रूल्स लागू थे, जैसा कि आपको मालूम है

Page No.24

(श्री दामोदरलाल व्यास)

वहां जमीन ज्यादा है, काश्त कम होती है, जमीनें मवेशियों के चराने के लिये काम में ली जाती हैं। अभी तक वे ही शिव रूल्स वहां प्रचलित हैं। जब लैंड रेवेन्यु एक्ट के तहत रूल्स बन जायंगे तो उनके अनुसार लगान वसूल किया जायगा।

श्री तनसिंह : ५६ में लैंड रेवेन्यु एक्ट बना किन्तु अभी तक ६४ के तहत रूल्स नहीं बने ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि रूल्स बन रहे हैं, छप रहे हैं, कुछ बाकी रहे हैं ?

श्री तनसिंह : मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या छप रहे हैं या बन रहे हैं, जो नहीं बने वे कैसे छप रहे हैं ?

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : जो रूल्स बन गये हैं वे ही छापे गये हैं।

श्री तनसिंह : जो नहीं बने हैं उन्हीं के लिये पूछ रहा हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये अर्ज किया कि बने नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री श्रीभानसिंह।

डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ हैन्डलूम्स

३६६. श्री श्रीभानसिंह (बयाना): Will the Minister for Industries & Commerce be pleased to state:-

(1) Has the Government advertised for a qualified hand for the post of Dy. Director of Hand Looms ?

(2) Is the present Dy. Director technically qualified in the Hand Loom work ?

उप उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) :

(1) Not yet.

(2) No.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: If no, then why not ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Because of the fact that the Deputy Director at present possesses no technical experience, but we are contemplating to have a technical hand and for that action is being taken.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Have you advertised the vacancy? You expect a technical hand, but how can you get a technical hand unless you advertise the post?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : We are sending requisition to the Public Service Commission for the same purpose and it will be sent in due course.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Since when this present Deputy Director is working on this post ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : He has been working since long.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : How much, Sir ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I think from a very long time, say about five to six years.

डॉ० चान्द्रकला : क्या यह सत्य है कि एक व्यक्ति को इस टेक्निकल ट्रेनिंग के लिये सरकार की ओर से अमेरिका भेजा गया।

(आसन ग्रहण करते हुए) नथमल व्यास, बीकानेर।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह मुझे मालूम नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह पहले ही कह दिया होता।

श्री अध्यक्ष : That is the most reliable answer in certain conditions.

प्रश्न संख्या ३६७

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री सूरजमल।

माध्यमिक पाठशाला

३६८. श्री सूरजमल (फलोदी) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जोधपुर डिस्ट्रिक्ट की किस किस तहसील के किस किस ग्राम में कितनी कितनी मिडिल स्कूल्स हैं ?

(२) उपरोक्त स्कूलों में से किन किन में वीविंग क्लासेज़ चल रही हैं तथा कितने वीविंग अध्यापक हैं, जिनमें पिछड़ी हुई जाति के कितने व अन्य जातियों के कितने ? उनके नाम योग्यता सहित बताने की कृपा करें।

मुख्य व शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) विद्याशाला, डूंडरा, बोरूंडा, मंडी तथा भावी में वीविंग क्लासेज़ चल रही हैं। इन पांच स्कूलों में ५ वीविंग अध्यापक हैं, जिनमें ३ पिछड़ी जाति के तथा २ अन्य जातियों के हैं। उनके नाम ये हैं :

१. श्री कानाराम—वर्धा ट्रेन्ड

२. श्री भगवतीप्रसाद—मध्यमा J. T. C.

३. श्री शिवलाल—हैन्डी क्राफ्ट्स ट्रेन्ड

४. श्री चैनाराम—वीविंग टीचर

५. श्री रामनाथ—वर्धा ट्रेन्ड

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री सूरजमल : फलोदी, शेरगढ़ और ओसियां में तहसीलों में अब तक वीविंग क्लास नहीं खोलने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सब जगह वीविंग क्लासेज़ नहीं खुलती हैं, जहां संभव होती हैं, फंड्स होते हैं वहीं खुलती हैं।

श्री सूरजमल : लेकिन हमारी ओसियां, शेरगढ़ और फलोदी में एक भी वीविंग क्लास नहीं खोलने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपकी ओसियां का ख्याल रखेंगे।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

Page No.26

चराई

३६६. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Revenue be pleased to state:—

(1) Did the Collector, Bharatpur, issued orders for all privately owned uncultivated and barren lands to be open for free grazing ?

(2) If so, under what law was this order issued ?

(3) Has the Government acquired those lands ? If yes, has the Government compensated those land owners who have thus been prevented from cultivating the land by this order ?

(4) Is this order in conformity with the definition of land as given in land Revenue, and also the Constitution of India ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(1) No, Sir, the Collector issued orders, only reserving all 'Banjar' lands (which are in Bharatpur District, used for grazing purposes) for this purpose and prohibiting their use for any other purpose without previous permission of the Collector.

(2) The Notification was issued under powers vested in the Collector by Section 92 of the Rajasthan land Revenue Act, 1956.

(3) No. The question does not arise.

(4) Yes.

स्थगित प्रश्न

शुक्रवार, १४ फरवरी, १९५८

विश्वेश्वर दास डागा साइन्स कॉलेज, बीकानेर

१३८. श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

बीकानेर शहर में विश्वेश्वर दास डागा साइन्स कॉलेज की नींव कब डाली गई तथा इसके लिये सरकार की ओर से कितनी जमीन दी गई ?

मुख्य व शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): बीकानेर शहर में विश्वेश्वर दास डागा साइन्स कॉलेज की नींव १४ मई, १९५४ को डाली गई थी, इस कॉलेज के लिये सरकार की ओर से ८३०,०९५ स्क्वायर यार्ड ३$\frac{३}{४}$ स्क्वायर फीट जमीन की मंजूरी हुई है।

श्री भीमसेन : क्या यह जमीन की मंजूरी देते वक्त यह एग्रीमेंट हुआ था कि नियत किये हुए समय के अन्दर ही बिल्डिंग पूरी कर दी जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक मेरी जानकारी है यही हुआ था।

श्री भीमसेन : तो क्या बिल्डिंग बन चुकी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं।

श्री भीमसेन : कब तक बनाई जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्योंकि जिनके नाम पर कॉलेज बनवाया जाने वाला था उनसे फंड्स नहीं मिल रहे हैं इसलिये जमीन वापिस लेने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमसेन।

(सोमवार १७ फरवरी, १९५८)

चराई वसूली

१७८. श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राज्य के कौन से जिलों में किस आधार पर चराई वसूल की जाती है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) जोधपुर में घासमारी मोतशियान के मालिकों से वसूल की जाती है। जो कि हर गांव में अलग अलग हैं। जोधपुर रियासत की स्वीकृति से वसूल होती आ रही है।

(२) अजमेर जिले में अजमेर टिनेन्सी एक्ट लैंड रिकॉर्ड सन् १९५० के प्रथम शिड्यूल के अनुसार चराई वसूल की जाती है।

(३) जालोर में चराई की फीस बकरी घेटा, सांड व ऊंट की वसूल की जाती है। गाय और भैंस पर चराई वसूल नहीं होती है।

(४) बांसवाड़ा जिले में केवल ऊंटों के रिज़र्व फॉरेस्ट ब्लॉक में चरने पर ही चराई टेक्स वसूल किया जाता है।

(५) बाड़मेर जिले में शिव तहसील के अतिरिक्त कहीं भी चराई वसूल नहीं होती है।

(६) गंगानगर जिले में कुछ तहसीलों में रकबा १० प्रतिशत से ज्यादा होने पर रकम भूंगा के रूप में वसूल होती है।

(७) सिरोही, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर में वन विभाग द्वारा चराई वसूल होती है। सीकर, पाली, नागौर, टोंक, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, भरतपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, और जैसलमेर में चराई वसूल नहीं होती है।

श्री भीमसेन : बीकानेर में चराई वसूल की जाती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया न कि गंगानगर इलाके में १० प्रतिशत से ज्यादा होने पर भूंगा वसूल किया जाता है, बीकानेर में भी १० प्रतिशत से ज्यादा होने से भूंगा वसूल किया जाता है।

श्री भीमसेन : किस कायदे से वसूल किया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बीकानेर का कायदा था ?

श्री भीमसेन : कौनसा कानून था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके कोई रूल्स हैं भूंगा वसूल करने के।

श्री भीमसेन : कौन से एक्ट के तहत में रूल्स थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इतनी जानकारी नहीं है, पर रूल्स थे जरूर।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

Page No.28

पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं

३४४. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): Will the Education Minister be pleased to state—

(1) Does the Government propose to transfer Post-Graduate classess to the University?

(ii) If so, will it not mean classes in one subject at one particular place only and thus a denial of opportunities for pursuing higher education economically and conveniently?

मुख्य व शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) सिद्धान्ततः तो सरकार ने विज्ञान की पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाऐज़ को विश्व विद्यालय को देना स्वीकार कर लिया है। इकोनोमिक्स, ज़िओलोजी, हिस्ट्री, फिलोसफी और लॉ की पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासेज़ पहले से ही विश्व विद्यालय के पास हैं। आर्टस के बारे में अभी विचार नहीं किया है।

(ख) यह प्रश्न अभी सरकार तथा यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के विचाराधीन है इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द मोदी।

विकास खण्ड

३५४. श्री ज्ञानचंद मोदी (नीम का थाना): क्या विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) सन् १९५६-५७ में राजस्थान में कुल कितने विकास खण्ड खोले गये?

(ख) इनमें कुल कितने मूल्य का श्रम व सम्पत्ति दान हुआ व मुख्य प्रगति क्या हुई?

(ग) सबसे अधिक कार्य व श्रमदान (मूल्य व प्रगति में) कौन से विकास खण्ड में हुआ?

(घ) प्रथम एवं उच्चतम प्रगति वाले विकास खण्ड क्षेत्र को क्या पुरस्कार दिया गया?

(ङ) ऐसे क्षेत्र को कोई विशेष सहायता देने का कोई नियम है। यदि हां, तो क्या?

उप विकास मन्त्री (श्री सम्पत राम):

(क) २६ विकास खण्ड खोले गये।

(ख) उनमें कुल ३८,३५,०८२ रुपये की कीमत का श्रमदान और २६,८४,२७६ रुपये मूल्य का सम्पत्ति-दान हुआ है।

(ग) मेज पर रख दी गई है।

सबसे अधिक गंगानगर विकास खण्ड और उदयपुर वाटी विकास खण्ड में हुआ।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी नहीं, पर जिस खण्ड में कार्य अच्छा हो उसे विकास योजना में परिवर्तित करते समय प्राथमिकता दी जाती है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री अध्यक्ष: श्री मनोहर कोठरी।

(अनुपस्थित)

श्री नारायणसिंह मसूदा।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

Page No.29

सदन की मेज पर रखे गये अतारांकित प्रश्नोत्तर

मधुमक्खी पालन केन्द्र

१. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या उद्योग तथा व्यवसाय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३ से अब तक राजस्थान में मधुमक्खी पालने के कार्य कहां २ पर डिस्ट्रिक्ट, तहसील और ग्रामवाइज़ हुये ?

(ख) इसके लिए कितने आदमी ट्रेन्ड कराये गये ?

(ग) उपरोक्त उद्योगों के लिए अब तक कितनी धन-राशि खर्च की गई ?

(घ) आयन्दा इसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के पास क्या कोई योजना है ?

उत्तर

(क) मधुमक्खी का कार्य खादी बोर्ड द्वारा सन् १९५७ से ही प्रारम्भ किया गया है। इस समय मधुमक्खी केन्द्र, आबू माउन्ट व कुम्भलगढ़ पर चल रहे हैं।

(ख) उक्त केन्द्रों में प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, केवल उत्पादन का कार्य होता है। इसमें ६६ ट्रेंड व्यक्तियों को कार्य मिल रहा है।

(ग) इन केन्द्रों के लिए राज्य सरकार से कोई रकम प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु केन्द्रीय बोर्ड की रकम से ४,३४६,०७ रुपये व्यय किए गए हैं।

(घ) इसकी प्रगति के लिए योजना विचाराधीन है।

प्रश्न

विभिन्न विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन निधि लेने सम्बन्धी

२. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Finance Minister be pleased to state:—

(a) What is the magnitude of the funds drawn from the Treasury by the various Heads of Departments and the Heads of Offices on the closing day of the financial years 1955-56 and 1956-57 ?

(Figures for each Heads of Departments and each Head of Offices should be stated separately for both these days.)

(b) How these various amounts drawn on the last working day of the financial year 1955-56 and 1956-57 had been disposed of by them and within what period in each case ?

(उत्तर अनुपलब्ध)

प्रश्न

राज्य अधीनस्थ देवस्थान

३. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार के अधीनस्थ कुल कितने देवस्थान हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या इन देवस्थानों के महंतों और पुजारियों को सरकार की ओर से कोई अलाउन्स मिलता है ? यदि हां, तो कितना और किस रूप में ?

(ग) क्या महंतों और पुजारियों के व्यक्तिगत जीवन पर भी सरकार कोई नियंत्रण रखती है ?

Page No.30

(डॉ० चन्द्रकला)

(घ) जनता के कितने स्तर को उठाने में मन्दिरों और देवस्थानों का कितना योग सरकार मानती है?

उत्तर

(क) ५२१। सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है।

(ख) जी हां। प्रत्येक मन्दिर की भिन्न भिन्न स्थिति है और उसी के अनुसार उस मन्दिर के पुजारी, सेवागिर और महंत को रकम दी जाती है। किसी विशेष मन्दिर के विषय में जानकारी चाही जाय तो कृपया बतावें ताकि उसके लिए आवश्यक जानकारी कर उत्तर दिया जा सके।

(ग) जी हां।

(घ) जहां तक जनता के नैतिक स्तर का प्रश्न है यह व्यक्तिगत भावना पर निर्भर है किन्तु यह मानी हुई बात है कि मन्दिरों में जाने से शुद्ध भावना उत्पन्न होती है। जिनका चरित्र पर उत्तम प्रभाव पड़ता है और जनता का नैतिक स्तर उठाने में योग मिलता है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में सदस्यों के सूचनार्थ प्रेषित की गई)

प्रश्न

जिला जयपुर की तहसीलों की जनसंख्या एवं राजस्व आय

४. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) जयपुर जिले की समस्त तहसीलों की पृथक पृथक रूप से जनसंख्या और राजस्व आय कितनी कितनी है और जिले की प्रत्येक तहसील को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष में कितनी कितनी तकावी किसानों को देने के हेतु स्वीकृत की गई है?

(ख) अलॉट की गई राशि में से जिले की प्रत्येक तहसील द्वारा बिल स्वीकृत करवा कर कितनी कितनी राशि का अब तक किसानों को पेमेंट दिया जा चुका है और कितनी राशि का अभी देना बाकी है?

(ग) तहसील लालसोट, चाकसू, सांगानेर और सिकराय में पृथक पृथक रूप से कुल कितनी राशि तकावी के लिए वर्तमान वर्ष में स्वीकृत हो गई थी जिसमें से उपरोक्त तहसीलों में कितनी कितनी राशि का पेमेंट किसानों को दिया जा चुका है और अब कितना दिया जाना बाकी है? बाकी का क्या कारण है?

(घ) क्या यह सत्य है कि तकावी कमेटी द्वारा किसान को तकावी स्वीकृत कर दिये जाने के बाद बिल तैयार करवा कर पास करवाने और पेमेंट देने में महीनों गुजर जाते हैं और वर्ष की समाप्ति पर उक्त राशि लेप्स हो जाती है? क्या सरकार ने इसको मिटाने के उपायों पर विचार किया है? यदि हां, तो क्या, और नहीं, तो क्यों नहीं?

(ङ) क्या यह सत्य है कि लालसोट तहसील में तकावी के बिल के फार्मों का अभाव है जिसके कारण बिल नहीं बनते हैं? अगर हां, तो क्यों और नहीं, तो [बि]ल किस कारण से तैयार होकर स्वीकृत नहीं हुए?

उत्तर

(क) जयपुर जिले की समस्त तहसीलों की

Page No.31

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

जनसंख्या और राजस्व आय का विवरण पत्र संलग्न है। चालू वर्ष में हर तहसील को जितनी तकावी स्वीकृत की गई उसका विवरण पत्र भी संलग्न है।

(ख) अलाट की गई राशि में से जिले की प्रत्येक तहसील द्वारा बिल स्वीकृत करवाकर जितनी जितनी राशि का अब तक किसानों को पेमेंट किया जा चुका है और जितना धन राशि दिया जाना बाकी है उसका विवरण पत्र संलग्न है।

(ग) इसका उत्तर प्रश्न (ख) में सम्मिलित है।

(ग) तकावी स्वीकृत होने के बाद बिल तैयार करने, पास करवाने व चुकारा करने में कम से कम समय लगे ऐसा प्रयत्न किया जाता है। देरी बिल के नियमानुसार नहीं तैयार होने के कारण ही होती है। जिसकी पूर्ति शीघ्रातिशीघ्र कराने का प्रयत्न किया जाता है और उसके लिए उचित निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं।

(घ) यह सत्य है कि कुछ समय के लिए तहसील लालसोट में फार्मों का अभाव रहा था अब इस सम्बन्ध में कोई अभाव नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

प्रश्न

डिस्चार्जेड जागीर कर्मचरियों के राज्य सेवा कालीन वेतन सम्बन्धी

५. सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जिला जयपुर में जागीर इम्प्लॉइज़ को डिस्चार्ज नोटिस देने के बाद तथा उन्हें पुनः राज्य सेवा में ले लेने के पश्चात् रिज़म्प्शन जागीर की तारीख से राज्य सेवा में लेने के दिन तक का वेतन किस २ व्यक्ति को दिया जा चुका और किस २ को नहीं दिया तथा इसके क्या कारण हैं?

(ख) जागीर एम्प्लॉइज ऐसे कौन २ हैं जिनके अपोइन्टमेन्ट के बाद पोष्टिंग में विशेष समय लगा और उनको पोष्टिंग पीरियड तक का वेतन नहीं दिया गया?

(ग) डिस्चार्ज होने वाले जागीर कर्मचारिय को नोटिस पीरियड का वेतन न देने का कारण बताया जावे?

(घ) रिज़म्प्शन होने वाली जागीरों के कितने व्यक्ति राज्य सेवा में लिये गये? कुल कितने एम्प्लॉइज़ ने एप्लाई किया था जिनको नहीं लिया गया? उनके कारण क्या हैं?

(ङ) राज्य सेवा में लिये जाने वाले कितने कर्मचारियों का कन्फर्मेशन और फिक्सेशन अब तक बाकी है?

(च) राज्य सेवा में आने वाले कितने कर्मचारियों के (जागीर) के बकाया वेतन, फिक्सेशन, कन्फर्मेशन के किस २ कलेक्टरी में कितने कितने केस पेन्डिंग पड़े हैं? फाइनल नहीं करने के कारण क्या हैं?

(उत्तर विलम्ब से प्राप्त हुआ। कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

१२. मध्यान्ह

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व मैं सदस्यों को

Page No.32

(श्री अध्यक्ष)

सूचित करना चाहता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिये जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित हैं, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है :

(१) श्री नारायणसिंह मसूदा, दिनांक २५.२.५८ से २८.२.५८ तक।

(२) श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा, दिनांक ११.३.५८ के लिये।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

१२.२ म०प०

विचारार्थ एवं पारित किये गये विधेयक

(क) राजस्थान कोर्ट फी एण्ड स्टाम्प ड्यूटी लॉज एक्सटेन्शन) विधेयक,१९५८

श्री हरिभाऊ उपाध्यक्ष (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कोर्ट फी एण्ड स्टाम्प ड्युटी लॉज़ (एक्सटेन्शन) विधेयक, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह मोशन मूव करता हू "That the Rajasthan Court Fee And Stamp Duty Laws (Extention) Bill, 1958 be referred to the Select Committee to examine the conversion rates and new rates given in the Schedules of the Bill."

अध्यक्ष महोदय, मेरा मोशन मूव करने का यह इरादा है कि इस बिल के शिड्यूल में रेट्स दिये हैं, पुराने पैसों का हिसाब दिया है, एक आने के १० नये पैसे बताये हैं। जब गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने एक आने के ६ नये पैसे बताये हैं तो आप पुराने ४ पैसों के १० नये पैसे कैसे बता रहे हैं ? ३ आनों के २० नये पैसे बताये हैं। हम इसमें यह देखते हैं कि सिर्फ कन्वर्शन के नाम से यानी पुराने पैसों के नये पैसे लेने के बहाने से हमारे पास से यानी पब्लिक से ज्यादा पैसा वसूल करने की तजवीज है। दूसरा मेरा उद्देश्य इस मोशन को मूव करने का यह है कि हम हमेशा यह आशा दिलाते हैं कि 'जस्टिस शुड बी चीप' (Justice should be cheep) इन्साफ हर आदमी को सस्ता से सस्ता मिलना चाहिये, लेकिन हम देखते हैं कि आज हमारा नया बजट है उसमें हम देखते हैं कि हर साल लोगों से ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया जाता है। पिछले साल का बजट एस्टीमेट देखे उससे ७ लाख की ज्यादा रिसिट्स होगी और रिवाइज्ड एस्टीमेट से भी करीब करीब ४ लाख रुपये इस मद से वसूल होंगे। जहां एक पुराने आने के नये १० पैसे बनाये जाते हैं तो वह लगभग दूना हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की रेट है पुराने दो आनों के १३ नये पैसे मगर हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ने पुराने एक आने के १० नये पैसे की रेट रखी है। यह तो एक किस्म का डबल हो गया, महज कन्वर्शन के नाम से। मैं समझता हूं कि हम को वे कुछ ओब्जेक्टिव बतावेंगे। हम जानते हैं कि जहां तक राउन्डिंग ऑफ फिगर्स का प्रश्न आता है गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने भी दशमलव सिस्टम बनाते समय फिगर्स को राउन्ड ऑफ किस तरह से किया जाए, इस बात को ध्यान में रखा है। तो इस

(श्री पी० के० चौधरी)

बिल में सिर्फ राउन्ड ऑफ करने के इरादे से ज्यादा पैसा लिया जाए और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की जो रेट है उसके अनुसार कम पैसे होते हैं और यदि हम उसको मंजूर करते हैं, तो हम सिर्फ उस नाम से रेट को डबल कर रहे हैं और हम समझते हैं कि यह एक किस्म का पब्लिक के साथ धोखा है, क्योंकि पब्लिक को मालूम नहीं होता कि रेट कुछ बढ़े हैं, क्योंकि हम उनको कहते हैं कि हमने इसमें कुछ बढ़ाया चढ़ाया नहीं है। आप पहले एक आना देते थे उसको हम अब १० पैसे कर देते हैं। इसको हम डर्वाइज़ मेथड मानते हैं। रेट्स बढ़ा रहे है, जब हम यह कहते हैं कि 'जस्टिस शुड बी चीप', हमारे यहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ-जस्टिस पधारे थे तो उन्होंने इसी मैदान में कहा था, लेकिन आज हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान में जस्टिस बहुत मंहगा है। वकीलों के अलावा और भी हर क्लास के लोगों को पैसा खर्च करना पड़ता है। यदि कोई नक्ल लेने जावेगा तो उसको कोर्ट फीस के स्टाम्प के अलावा और भी रुपया देना होगा और दूसरे लोगों को अनड्यू पैसा देना पड़ता है। यदि उनको पैसा नहीं दिया जावेगा उस समय तक नक्ल भी नहीं दी जावेगी। यह एक किस्म का उन लोगों का बंधा हुआ होता है कि इतने रुपयों की नकल होगी तो कितना रुपया देना होगा। पब्लिक तो लिटिगेन्ट है उनको ऐसा भय है और सिर्फ हम कनवर्शन के नाम से यह कहें कि एक आने के पुराने पैसों के बजाय १० नये पैसे कर दिये जावें तो यह उचित नहीं होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे और सिलेक्ट कमेटी जो गवर्नमेंट की कन्वर्शन रेट है उसको ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करेगी। इस पर सिलेक्ट कमेटी विचार कर लेगी और उसके बाद इसको यहां पर लाया जावे; यह मेरा सुझाव है। इस बारे में लम्बी चौड़ी बातें कहने की जरूरत नहीं और न मैं कहना चाहता हूं; मैं समझता हूं कि मेरा पोइन्ट बिल्कुल साफ है और मैं माननीय फाइनेन्स मंत्री और माननीय सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज देंगे और वे इस बात को महसूस करेंगे कि कन्वर्शन रेट क्या होनी चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कोर्ट फी एन्ड स्टेम्प ड्युटी लॉज़ (एक्सटेन्शन) विधेयक–१९५८ के बारे में मेरे माननीय मित्र ने कहा कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे, मैं भी यह निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे। अभी मेरे माननीय मित्र ने जैसा बताया इसका आधार यह है कि पुराने पैसों के बदले नये पैसे लिये जावें। मगर एक आने के ६ नये पैसे होते हैं और आप १ आने के बदले १० नये पैसे लेना चाहते हैं। इस तरह से पब्लिक पर बहुत टैक्स और नया भार होगा और उसके साथ साथ उनको न्याय भी मंहगा हो जायगा। मैं यहां पर एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप एक आने के १० पैसे कर रहे है; अच्छा होता यदि आप उसको एक आने के ५ नये पैसों में बदल देते। यह बहुत ज्यादा वैज्ञानिक होगा। जो ६ से बहुत दूर पड़ता है। दशमलव प्रणाली से ५ ज्यादा अच्छा होता है और पांच पैसे १० पैसों के बजाय अधिक निकट हैं और निकट का ही अंक होना चाहिये। यदि हम एक आने के ६ नये पैसे को दशमलव प्रणाली में बदलना चाहते हैं तो

(श्री दयाकृष्ण विजय)

आपको यह आधार रखना चाहिये था और बजाय १० के ५ को आधार बनाना चाहिये। छः से दस बहुत दूर पड़ता है और यह किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। यदि एक आने के हिसाब से वसूल करते है और यदि इस पर विचार करें तो दस पैसे के हिसाब से १६० पैसे वसूल होते हैं और इस प्रकार १६० पैसे वसूल करने से १ रुपया ६ आना ४ नये पैसे वसूल करते हैं और यह लगभग दो रुपया हो जाता है, जो उस गरीब आदमी से वसूल कर लिया। इस विचार से यदि हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि यदि राजस्थान कोर्ट फीस लागू करते हैं, इसको दशमलव प्रणाली पर बदल कर यह चालाकी करते हैं तो जनता पर एक प्रकार से टैक्स का भार बढ़ा देते हैं जो वास्तव में किसी प्रकार से न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। आज हम देखते हैं कि सब जगह से यह आवाज उठ रही है कि हमारे यहां न्याय बहुत मंहगा है और होता जा रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूं। मैं आपको कोटा क्षेत्र का ही उदाहरण दूंगा। एस.डी.ओ. की जो कोर्ट है उससे जो तहसीलें लगती हैं वे करीब २०,२५ मील की दूरी पर हैं और इसके अलावा जो दूसरी अदालतें हैं वे तो ५०,६० मील की दूरी पर हैं। एक ओर तो गरीब आदमी को कोर्ट फीस के लिए ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन की भारी ड्यूटी देनी पड़ती है और दूसरी ओर यह देखा जाता है कि तारीख पेशियां बदल दी जाती हैं, कभी कहा जाता है कि एस. डी. ओ. कहीं बाहर गये हैं, कभी कहा जाता है कि अदालत कहीं दूसरी जगह बैठी है। इस तरह से छोटे २ काम के लिए लोगों को ५०,६० मील की दूरी से आना पड़ता है और लोगों को वहां पर खराब होना पड़ता है। हम चाहते हैं कि लोगों को न्याय सुलभता से मिल सके और सस्ता मिल सके, लेकिन हम आज भी देख रहे हैं कि सरकार इसके लिए कोई कोशिश नहीं कर रही है, केवल न्याय को मंहगा करने की दृष्टि से ही इस प्रकार से और टैक्स बढ़ाये जा रहे हैं। कोर्ट फीस की रेट्स में वृद्धि करने का यह मन्तव्य भी हो सकता है कि इससे कुछ अधिक रुपयों की आमदनी की जाय। लेकिन जहां तक लोगों को सस्ता न्याय देने की बात है, लोगों के हितों की रक्षा करने का प्रश्न है, जनता को न्याय मिले वहां किसी चालाकी की वजह से, कोर्ट फीस बढ़ा कर उनको बांध देते हैं जिससे एक गरीब आदमी, छोटा आदमी न्याय के दरवाजे को नहीं खटखटा सकता। मैं चाहता हूँ और मेरी यह मान्यता है कि न्याय को इस प्रकार सस्ता और सुलभ कर दें कि जिससे गरीब से गरीब आदमी भी न्याय का दरवाजा खटखटा सके, न्याय के दरवाजे तक पहुंच सके, और उसको वहां न्याय मिल सके।

इस शिड्यूल को हम देखें तो हम पाते हैं कि सब जगह रेट्स को बदला गया है। एक आने को छः नये पैसे में न बदल कर १० कर दिया, दो आने को २० और इस प्रकार से आगे भी परिवर्तन कर दिया गया है। यह एक तरह से जनता पर बड़ा भारी भार डाल रहे हैं। मैं जनता हूं कि यह परिवर्तन पूर्णतया अवैज्ञानिक है। यदि ५ की संख्या मान कर चलें तो मैं समझता हूं कि इसके अन्दर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आवेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह जो बिल इस प्रकार से अवैज्ञानिक तरीके से रखा गया है और जनता के ऊपर जो भार स्वरूप है उसको वापिस लिया जाय। एक आने को दस पैसे का आधार न मान कर एक आने को पांच पैसे का आधार मानना चाहिये और उसी तरह से इस सारे बिल में परिवर्तन

(श्री दयाकृष्ण विजय)

करना चाहिये ताकि यह बिल वैज्ञानिक हो सके और जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। अतः इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहिए।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, मेरा भी प्रस्ताव है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय। जहां तक इस बिल के उद्देश्य और कारण दिये हुए हैं वे यह हैं कि एक युनिफार्म रेट हम राजस्थान में लागू करें। मैं इसका समर्थन करता हूं। सारे राजस्थान के अन्दर इसको लागू करें इसका भी मैं समर्थन करता हूं और इसको डेसीमल कोइनेज में बदला जाय. इसका भी मैं समर्थन करता हूं। लेकिन मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से इतना जरूर कहूंगा कि इसको फर्स्ट एप्रिल को लागू कर रहे हैं और वह ही फर्स्ट एप्रैल की तारीख रखी है इसकी रेट्स की लागू होने की। इसलिए तारीख जरूर बदल दीजिए क्योंकि दोनों तारीखें कोइन्साइड हो रही हैं।

जहां तक न्याय का सवाल है राजस्थान में ही नहीं, सारे भारतवर्ष में इसको देखें तो हमें पता चलेगा कि सब का ही यह क्रिटिसिज़्म है कि जस्टिस आज कल बहुत कोस्टली है और इसको चीप बनाना है। जस्टिस में जो ड्रॉबैक्स हैं उनको दूर करना और गरीब आदमी के लिए जस्टिस के डोर्स (दरवाजे) खुले रहें इस तरह की परिस्थिति पैदा करना ज्युडिशियरी और जस्टिस में इम्प्रूवमेंट करना है। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि आज कल जस्टिस कितनी कोस्टली है, लोकेशन आफ कोर्ट्स को ही देखिए, कितना खर्चा होता है. दूसरी तरफ जो रेट्स हैं उनको भी देखिए। मैं कहूं कि इन रेट्स से एक वेल्थी आदमी को सपोर्ट करते हैं और पूअर आदमी के लिए न्याय ऐसा बनाते हैं कि जैसे एक लग्ज़रियस होटल है जो कि हर एक आदमी के लिए खुला हुआ है। लेकिन सवाल यह आता है कि वहां पर जो रहने के लिए अफोर्ड कर सकता है वही रह सकता है। यही हाल न्याय का हो रहा है। उसके डोर्स सबके लिए ओपन हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वे वहां जा नहीं सकते। जो रेट्स आपने रखी हैं उनको आप सेफ गार्ड नहीं कर सकते। जुडिशियरी है, जस्टिस है, न्याय देते हैं, लेकिन उससे फायदा हासिल न करें। अगर ये रेट्स लागू करेंगे तो आप देखेंगे कि न्याय सस्ता नहीं दे सकते। कोर्ट फीस बढ़ाकर, जो टैक्सेशन लागू करते हैं उससे इन्कम ड्रॉ करना चाहते हैं। यदि यह सिद्धान्त है तो वह ठीक नहीं है। जस्टिस के जो आंकड़े हैं वे शायद ४८ लाख के हैं, यानी यह हम जस्टिस पर खर्च करते हैं और यदि कोर्ट फीस. टैक्सेशन. रजिस्ट्रेशन वगैरह को एमेल्गेमेट किया जाय तो ८२ लाख की इन्कम होती है। इस तरह से हम इसको एक इन्कम का सोर्स भी बनाना चाहते हैं। जब चीफ जस्टिस और हाईकोर्ट जजेज़ ने कहा कि कोस्ट कम करना चाहिए और टैक्सेशन कमीशन ने यह राय दी है कि इसको खत्म कर देना चाहिये तब इसको एबोलिश करना तो दूर रहा इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि इसके जरिये से सोर्स ऑफ इन्कम करना चाहते हैं, इसकी आमदनी से फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन यदि यह कह कर कि जस्टिस चीप करना चाहते हैं, दूसरी तरफ टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको एप्लाई करना चाहते हैं तो उसके बावजूद भी रेट्स बढ़ाते हैं तो एक एनामोली पैदा होती है। होना तो चाहिए यह था कि मेज्युअली जो रेट्स हैं उनको रिड्यूस करना चाहिए था और यह स्टेप लेने

(श्री श्रीमानसिंह)

के पश्चात् इसको abolish करना चाहिए था, इसके बगैर वेलफेयर स्टेट कायम नहीं रह सकती। आप देखेंगे कि जो सोशयल स्टेट हैं उनमें कोर्ट फीस जैसी चीज ही नहीं है। इन सब को देखते हुए इसका एबोलिशन करना जरूरी है। लेकिन अभी इसको एबोलिश नहीं कर सकते। यदि इसको एबोलिश नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतनी हाई रेट्स तो न रखें जिससे गरीब आदमी पर उसका बोझा पड़े। एक आने पर १० पैसा, डेढ़ आने पर १५ पैसे, दो आने पर २० पैसे और तीन आने पर ३० पैसे। हायर होती जाती हैं तो रेट्स भी रिड्यूस होती जाती हैं। लेकिन इसका इवेज़न कौन करता है? एक वेल्थी आदमी? वह किस तरह से करता है कि लोअर कोर्ट में नहीं जावेगा, क्योंकि पैसा ज्यादा है और हाई-कोर्ट में कम पैसा है तो कम दाखिल करना पड़ेगा और वह Relief our valuation करके हाइकोर्ट में दाखिल करेगा। इस तरह से वेल्दी आदमी ही इसको Evode करते हैं। इसलिए हाइकोर्ट पर ज्यादा पैसा लागू करें जिससे एक वेल्दी आदमी ओवर वेल्युएशन करके हाइकोर्ट में जावेगा और नीचे की कोर्ट में कम रखें इसलिए नीचे की कोर्ट में गरीब लोग जा सकें। अपील का सिस्टम नीचे से शुरू होता है, तहसील से शुरू होकर हाईकोर्ट तक चले जाते हैं। इसको सारे दृष्टिकोण से देखा जाय। इसमें जो इम्प्रूवमेन्ट करना है, लोगों को रिलीफ देना है तो ऐसे मेथड लागू करने चाहिए कि जिससे Relief मिले, जिससे सस्ता न्याय मिल सके। अगर आप न्याय को सस्ता और सुलभ नहीं कर सकते तो यह वैसा ही होगा जैसा कि मैंने पहले कहा, एक लग्जूरियस होटल जो कि सब के लिये तो खुला है किन्तु उसमें नहीं जा सकता है जो उसके चार्जेज़ को अफोर्ड कर सके। अगर आपको रेट्स रेशनेलाइज़ ही करना है तो पांच नये पैसे से यह शुरूआत कीजिये, इससे भी आप जो पर्पज़ सर्व करना चाहते हैं वह सर्व हो सकता है। चूंकि जब आप बजट को लेंगे तो हर एक चीज़ में आपने टैक्स बढ़ाया है और कोर्ट फीस इन्क्रीज़ करके भी आप एक प्रकार से टैक्स ही बढ़ा रहे हैं, इस तरह से आप गरीब आदमी को जो रिलीफ देना चाहते हैं वह किस प्रकार मिलेगा! आज हमारे देश में ८० प्रतिशत गरीब लोग हैं, उनकी तरफ से मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से डिमान्ड करूं कि जो कुछ आप बढ़ाने जा रहे हैं उससे ऐसा न हो कि धनवान ज्यादा फायदा उठायें और गरीब हमेशा के लिये गरीब ही बना रहे। अगर आप गरीब के अधिकारों को सेफगार्ड करना चाहते हैं तो यह जुडिशियरी के रेट्स बढ़ाकर नहीं कर सकते।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री पी० के० चौधरी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष, जो शुल्क वगैरह को नये पैसों में तबदील किया गया है वह वास्तव में, केन्द्रीय सरकार ने जो इसके लिये नियम बनाये हैं उसके एक दम विपरीत जाता है। केन्द्रीय सरकार ने एक आने के नये छः पैसे लेने का नियम बनाया है, लेकिन उसके विपरीत हमारी राजस्थान की सरकार एक आने के दस पैसे लेना चाहती है, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। इन सारी बातों पर विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे हिन्दू मैरिज एक्ट के अन्तर्गत राज्य सरकार ने एक विवाह के लिये २५

(डा० बहादुरसिंह)

रुपया फीस रखी है जब कि हमारे यहां पाणिग्रहण संस्कार के वक्त एक ब्राह्मण को पांच रुपए दक्षिणा देकर काम निकाल लेते हैं। इसी प्रकार की स्थिति यहां पर भी है। आज जब कि हम अच्छे मकान बनवा रहे हैं और भी अन्य सुविधाएं दे रहे हैं वैसी हालत में न्याय की सुविधा मिलना भी बहुत आवश्यक है इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्री महोदय इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे।

श्री **हरिभाऊ उपाध्याय** (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि जो प्रस्ताव इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का रखा है मैं उसे स्वीकार नहीं करता। अगर माननीय सदस्य को कुछ जानकारी होती तो शायद वे इस प्रस्ताव को पेश नहीं करते। पहली बात यह है कि जो खयाल माननीय सदस्य ने व्यक्त किया कि हम आड़े-टेढ़े तरीकों से टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, यह उनका खयाल गलत है। टैक्स हमेशा सीधे तरीके से बढ़ाया जाता है, बढ़ाया गया है और आगे भी जरूरत होगी तो ऐसा ही किया जायगा; इसमें टेढ़े-मेढ़े तरीके अख्त्यार करने की जरूरत ही नहीं है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने स्वीकार किया अलग अलग रियासतों में अलग अलग कानून थे, एकीकरण के बाद वे सब मिला दिए गए और उन सबको मिलाकर एक तरह का कानून बनाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। जहां तक रेट्स के समानीकरण का सवाल है उसी दृष्टि से यह विधेयक लाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई, वैसे आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से नहीं।

दूसरी बात यह है कि जो दाशमिक प्रणाली स्वीकार की गई है उसके बारे में भारत सरकार की यह नीति है कि सब राज्यों के लिए एक ही पोलिसी निर्धारित हो....

श्री **श्रीभानसिंह** : आपने अजमेर के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही बनाया है !

श्री **हरिभाऊ उपाध्याय** (जारी रखते हुए) : इसके अलावा मैं आपसे यह भी निवेदन कर दूं कि सारे राज्यों में इस प्रकार के संशोधन विधेयक लाये जा रहे हैं, यह केवल अपने राज्य का ही प्रश्न नहीं है। दूसरी बात यह कि यह हिदायत हो गई है कि १ अप्रेल से नये स्टाम्प जो छपाये जा रहे हैं वे पांच नये पैसे, १० नये पैसे और पन्द्रह नये पैसे के होंगे तो वैसी हालत में वर्तमान में जो रूप है वह तो रह भी नहीं सकता, इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भिजवाना वाजिब नहीं होगा। आज ही लेजिस्लेटिव बिज़नेस का आखिरी दिन है, पहली अप्रेल तक हमें इस पर स्वीकृति भी लेनी है।

श्री **श्रीभानसिंह** : आप ऐसी हिदायत दे दीजिये कि सिलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट १८ तारीख तक दे दे।

श्री **हरिभाऊ उपाध्याय** : (जारी) राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति भी हमें एक अप्रेल से पूर्व इस पर हासिल करनी है। इन कठिनाइयों को देखते हुए प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इन वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य से, जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है, उनसे, निवेदन करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को वापिस लेने की कृपा करेंगे।

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने रखा है कि

Page No.38

(श्री अध्यक्ष)

इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे, क्या उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ २ से ६.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ २, ३, ४, ५ और ६ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ २, ३, ४, ५ व ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

शिड्यूल में श्री तनसिंह के संशोधन हैं।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल में जो कॉलम नंबर दो है उसमें मैंने संशोधन रखे हैं। एक आने के लिए जो नया कोइन रखा है यह दस नये पैसे रखा है जब कि एक आने के छः नये पैसे ही होते हैं। मैंने जो संशोधन रखा है वह यह है कि दस नये पैसे के स्थान पर छः नये पैसे रखे जायं और पन्द्रह के स्थान पर १२ नये पैसे रखे जायं व २० के स्थान पर १६ नये पैसे रखे जायं।

मेरा इन संशोधनों के सम्बन्ध में यह निवेदन है कि पुराने कोइन को नये कोइन में बदलने का एक स्टेन्डर्ड रखा गया है। भारत सरकार के हिसाब से एक आने के छः नये पैसे होते हैं, लेकिन हमारे वित्तमंत्री महोदय ने एक आने के यहां दस नये पैसे कर दिये हैं। यह किस हिसाब से किये हैं? दो आने के पन्द्रह नये पैसे किये हैं और तीन आने के बीस कर दिये गये हैं। मालूम ऐसा होता है कि इनके पीछे न तो कोई व्यावहारिकता है और न कोई सिद्धान्त है और न इसका जिक्र ही स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्टस एन्ड रीज़न्स में भी किया गया है।

पहले भी कई बार वित्त मंत्री महोदय ने बिल रखे हैं, उनमें भी ऐसे तरीके अपनाये गये हैं जिससे ऐसा मालूम पड़ता है कि सीधे तरीके से टैक्स बढ़ाने का उनका साहस नहीं होता क्योंकि उनको डर है कि सीधे तरीके से यदि कोई टैक्स लगाया गया तो जनता उसका विरोध करेगी, ऐसी अवस्था में इनडाइरेक्ट टैक्स लगाना ही उन्होंने ठीक समझा है। उन्होंने कान या नाक पकड़ने का सीधा तरीका न अपना कर उल्टे, पीठ के पीछे से हाथ ले जाकर, नाक और कान को पकड़ना चाहा है पीछली बार भी, मुझे याद है मोटर विहिकल्स के बारे में कुछ दरें बढ़ाने सवाल आया तो उन्होंने छः आने के स्थान पर ३८ या चालीस नये पैसे करवा लिए। इसी तरह से यहां भी एक आने के स्थान पर दस पैसे कर दिये हैं, जब कि चार आने के २५ नये पैसे होते हैं, आठ आने के पचास नये पैसे होते हैं,

(श्री तनसिंह)

और बारह आने के ७५ नये पैसे होते हैं; ये सब डेसीमल कोइन्स के हिसाब से रखे हैं। उसी तरह से एक आने के छः नये पैसे होते हैं उसकी जगह १० नये पैसे रखने का अभिप्राय यही है कि किसी न किसी प्रकार से चुपके से विधान सभा की मोहर इस पर लगवा ली जाय और उसी के अनुसार वसूल कर लें, इसके अलावा वित्त मन्त्री के पास और कोई उत्तर नहीं हो सकता।

यदि इसको टालने की कोशिश की जाय तो यह स्पष्ट है। अगर टैक्स लगाना है, टैक्स बढ़ाना है तो वह चार आने पर भी लागू हो सकता है। ४ आने के २५ नये पैसे की जगह ३० नये पैसे कर दिया जाय, जिसके पहले एक बिन्दी है जैसे कि ५० नये पैसे हैं उनकी जगह भी ६० नये पैसे करते तो समान रूप से बढ़ाने की बात है। ५० नये पैसे का टिकट लगाना चाहें तो वह उतना ही दें और १२ नये पैसे यानी पुराने दो आने की जगह १५ नये पैसे का लगाना चाहते हैं तो यह कोई सैद्धान्तिक धरातल की बात नहीं है। अगर वे टैक्स बढ़ाना चाहते हैं तो उनमें इतना साहस होना चाहिए कि साफ तौर से आप कह दें कि इतने पैसे की कमी आ गई है, करोड़ों रुपया देना है, इसलिए इसको किसी न किसी तरह से हर कोई चीज़ पर एक एक नया पैसा बढ़ाते जायं ताकि इस तरह से करते करते कमी को पूरा कर दें। इस नये पैसे से जो ४५ या ४१ लाख सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को देना चाहते हैं या दूसरे जो घाटे हैं वे इससे पूरा होने वाले नहीं हैं। आप तो किसी तरह से पैसा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह वास्तव में आपका असफलतापूर्ण प्रयास होगा। इसका असर उन लोगों पर पड़ेगा जो एक आने का टिकिट या दो आने के टिकिट पर साधारण, मामूली दरख्वास्तें देते हैं। यह छोटे छोटे और साधारण लोगों पर टैक्स लगाने वाला है। उन पर बढ़ाने की कोशिश की है। यह अच्छा होता कि अगर आप टैक्स बढ़ाना चाहते हैं तो कोई सैद्धान्तिक बात हो। केवल एक आने के टिकिट पर ही पैसे बढ़ा दिये जायं और ४ आने पर नहीं बढ़ाये जायं तो कोई बात नहीं है। टैक्स लगाना है तो उसका सिद्धान्त होना चाहिए; अगर सिद्धान्त नहीं है तो उसका विरोध होगा।

इसके अलावा एक नई बात और भी है। एक तालिका यह है, जिसमें सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने दिया है कि १ आने के बजाय ६ नये पैसे और २ आने के बजाय १२ नये पैसे और ३ आने के बजाय १९ नये होते हैं। एक तालिका तो गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की है उसको लेकर बैठे हैं और अब इस नये हिसाब से नई तालिका को लेकर बैठना पड़ेगा। इससे डबल सिस्टम होता है, यह ठीक नहीं है। यह संशोधन बड़ा साधारण है और वह माननीय वित्तमंत्री को मान्य होगा, ऐसी आशा है। इन चन्द बातों के साथ मैं इस प्रस्ताव को रखता हूं

श्री दयाकृष्ण विजय : अध्यक्ष महोदय, जो यह संशोधन रखा गया है ...

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह का भी संशोधन है वह भी प्रस्तुत हो जाय, उसके बाद में आप बोलें।

डॉ० बहादुरसिंह : मेरा संशोधन थर्ड में है।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंहजी के और हैं।

श्री तनसिंह : वे राजस्थान स्टाम्प लॉ

(श्री तनसिंह)

एडेप्टेशन के ऊपर हैं, वे बाद में आ जायेंगे, आप चाहें तो पहले ले लूं।

श्री दयाकृष्ण विजय : इस संशोधन पर एक बात रखना चाहता हूं कि जिस तरह से...

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष. आपके संशोधन की इत्तिला नहीं मिली। मैं समझता हूं एन वक्त पर वे नहीं बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके एमेंडमेंट बहुत देर से आये हैं।

श्री तनसिंह : आप सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यहां पर यह रखा है कि एक आने के बजाय नई तालिका के अन्दर दाशमिक प्रणाली के परिवर्तित होने की वजह से १० नये पैसे रखे हैं, जब कि वह ६ नये पैसे होते हैं। हम इस सिद्धान्त को मानते हैं कि हमारे राज्य में न्याय जनता को सस्ता और सुलभ हो। उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जब इस तालिका को देखते हैं जो आज इस बिल के अन्दर रखा है तो ऐसा लगता है कि जहां सब्सटीट्यूशन वर्ड का प्रयोग किया है, इसका मतलब है कि नये पैसे में हम इस बात को रखें। एक आने का सब्स्टीट्युशन १० नये पैसे नहीं होते हैं। एक आने की जगह ६ नये पैसे रखते तो सब्स्टीट्यूशन ठीक होता। मगर नये टैक्स इम्पोज़ किये गये हैं, न्याय पाने की दरों में कोर्ट फीस के अन्दर वृद्धि की गई है तो इस प्रकार से नहीं रखा जाना चाहिए था :—

"Corresponding sums of money in terms of decimal coinage"

जहां हम इस बात को शीर्षक में रखते हैं तो यह एक नया भुलावा है कि क्या कोरेस्पोन्डिंग सम है ? यह साफ रखना चाहिए था कि इन्क्रीज़्ड रेट्स के अनुसार यह कोर्ट फीस रखते हैं। इस तरह से आप भुलावा देना चाहते हैं। कोरेस्पोन्डिंग सम का मतलब है कि जो नई तालिका में परिवर्तन हुआ है, वह उस तरीके से हो। क्या यह भुलावा नहीं है ? क्या एक आने के वास्ते केन्द्रीय सरकार की सारे देश भर में एक घोषित दर है, एक घोषित तालिका के अनुसार रखा गया है ! यह एक प्रकार से जनता के ऊपर न्याय पाने के लिए कोर्ट फीस की दरों में वृद्धि है और इसको बदलना चाहिए।

एक बात पहले भी रखी थी कि हमें जनता को न्याय सस्ता देना चाहिए। न्याय की फीस में किसी प्रकार की वृद्धि करें, कोर्ट फीस के अन्दर या स्टाम्प ड्युटी तो यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। न्याय का सीधा संबंध जहां गरीब से है तो वहां पूंजीपतियों से भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सरकार पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देना चाहती है, निर्धन के साथ में बगावत करना चाहती है, निर्धन को और भी निर्धन बनाना चाहती है, उसके अधिकारों के साथ बड़ा भारी कुठाराघात करना चाहती है। हम चाहते हैं और जब लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, समाज कल्याण के नारे लगाने वाली सरकार के लिए यह कभी भी शोभा की बात नहीं हो सकती है कि इस छुपावट के साथ में सरकार इस प्रकार से कोर्ट फीस के अन्दर

(श्री दयाकृष्ण विजय)

वृद्धि करती चली जाय। एक जगह लिखे कि कोरेस्पोन्डिंग सम होगा और दूसरी जगह तालिका में वृद्धि कर दे, तो इस प्रकार की बात को कभी भी हम शोभा की बात नहीं कह सकते हैं। जिस बात को कहें खुले दिल से कहें, हिम्मत के साथ कहें, लेकिन चोरी से इस तरह की बात करना कहां तक न्यायसंगत हो सकता है? हमारे वित्त मंत्री महोदय इस बात को सोचेंगे कि जनता को न्याय सस्ता दें और इस प्रकार की वृद्धि न करें कि कोरेस्पोन्डिंग सम तो ६ पैसे होते हैं और कर दिये १० पैसे। इसलिए मेरे पूर्व वक्ता ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले सदस्य ने एक एमेंडमेंट रखा है, सेकन्ड शिड्यूल में, जिसका मैं समर्थन करता हूं। वैसे तो नये पैसों के बाबत में सारी जनता में वैसे ही असंतोष फैला हुआ है और कई दफा इसके ऊपर कइयों ने विचार भी दिये हैं। उसके विचार के ऊपर माननीय वित्त मंत्री ने खड़े होकर यह फर्मा दिया है कि मुझे दुःख है कि इस चीज को स्वीकार नहीं करता हूं। दुःख भी मानते हैं और इस चीज को स्वीकार भी नहीं करते हैं, तो ये दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। दुःख होता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए।

दूसरा हम सोच रहे थे कि गरीबों पर एक्सपेन्डिचर टैक्स नहीं हो और केवल बड़े बड़े लोगों पर हो, लेकिन यहां दो आने खर्च करने पर भी एक्सपेन्डिचर टैक्स लगेगा एक दूसरे रूप के अन्दर। कोई गरीब आदमी दो आने का टिकट लगायेगा तो उसको टैक्स वहीं का वहीं, उसी सेकन्ड के ऊपर देना पड़ेगा, और इस तरह से गरीबों के ऊपर एक नया टैक्स लगा दिया गया है। इसमें मैं जो श्री तनसिंहजी ने एमेंडमेंट रखा है, उसका समर्थन करता हूं और वित्त मंत्री साहब से निवेदन करता हूं कि वे उस पर विचार करें। केवल तर्क मात्र से ही हमको संतोष नहीं होगा कि इस वजह से हुआ कि आज सारे राज्यों में अलग-अलग फीसें थीं और उसको बराबर करना चाहते हैं तो आज सारे राज्यों के अन्दर जो पुलिस के लोगों की तनख्वाहें थीं तो उसके लिए भी ऐसा क्यों नहीं हुआ? आज सारे राज्यों के अन्दर जो पुलिस के कर्मचारियों को तनख्वाहें मिलती हैं वही यहां मिलनी चाहिए। जब बढ़ाने का प्रस्ताव होता है तो कम से कम जिस बात का एमेंडमेंट आया था उसके ऊपर ध्यान दें। वैसे देखें तो जो एक आने की कीमत रखी है वह वैसी की वैसी होनी चाहिए। इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि सारे राज्यों में अलग अलग फीस थी, उसको बराबर करने में तालिका को आगे बढ़ाया जाय और बराबर की जाय। यह कोई अच्छा तरीका नहीं है। मैं समझूंगा कि इस पर विचार हो कर यह कह दें कि फलां वजह है। इसकी कोई वजह नहीं है कि वाकई में गरीबों के ऊपर जा र एक्सपेन्डिचर टैक्स हो और वह भी उसी सेकन्ड पर हो जब कि वह एक आना अपनी जेब से निकाले, उसी वक्त एक्सपेन्डिचर टैक्स हो जाता है। इसलिए यह गरीबों पर इन्डाइरेक्टली एक्सपेन्डिचर टैक्स हो रहा है। इसलिए वितमंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि वे अपने इस प्रस्ताव को वापिस ले लें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के पक्ष में जो युक्तियां दी गई हैं वे करीब करीब वैसी ही हैं और उन्हीं बातों को दोहराया गया है जिनको कि इसे प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव में कहा गया था, तो माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई अप्रत्यक्ष रूप से कर लगाने की नीयत सरकार की नहीं है और न यही नीति है कि सब तरह से और सब कामों में सरकार को फायदा ही हो। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि अजमेर राज्य है। यह जो नई रेट लगाई गई है और इस कानून को जो अजमेर में एक्सटेन्ड किया गया है इसके फलस्वरूप अजमेर वालों को इससे फायदा होगा....

श्री श्रीभानसिंह : आप अजमेर वालों को तो फायदा और राजस्थान वालों को नुकसान दे रहे हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं तो यह बात इसके जवाब में कह रहा हूं कि आप अभी यह कह रहे थे कि किसी न किसी तरह की सरकार की नीयत आमदनी बढ़ाने की है। दाशमिक प्रणाली जो हम जारी कर रहे हैं, उसी का यह परिणाम है जो अवश्यम्भावी है। जब हम किसी भी रेट में समानता लाते हैं तो उससे कहीं लाभ होता है और कहीं हानि होती है। अब यह दूसरी बात है कि जैसे एक आने में ६ नये पैसे होते हैं और अब ६ नये पैसे न रख कर हिसाब में सहूलियत के लिए और दाशमिक प्रणाली को देखते हुए ५ नये पैसे अथवा १० नये पैसे हो जाते हैं। १० भी होते हैं तो ५ भी होते हैं....

अनेक माननीय सदस्य : १० कैसे होता है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ५ का दुगुना १० होता है। [हंसी] ६ नये पैसे का तो दाशमिक प्रणाली में आसपास हिसाब या तो ५ हो या फिर १० हो। दाशमिक आप ६ को ही कायम नहीं रख सकते हो। अब रहा सवाल यह कि हम किसको मंजूर करें, ५ नये पैसे को करें या १० नये पैसे को करें? तो सरकार ने १० नये पैसे को ही मंजूर करना पसन्द किया है।

श्री पी० के० चौधरी : ओन ए पोइन्ट ऑफ इनफोर्मेशन, सर, ६ नये पैसे का १० नये पैसे कैसे हुआ?

श्री तनसिंह : आप तो चिन्ता मत करो, किसी की मत सुनो। आप तो कहते जाओ।

[हंसी]

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कोई नई बात नहीं कही गई है। जो बात नफे-नुकसान की कही थी उसका मैंने अजमेर का हवाला देकर साफ कर दिया है। इसलिए इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई मतलब प्रतीत नहीं होता है।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि किस प्रकार का जवाब दिया गया है। अंग्रेजी में तो इसे 'पूअर आन्सर' कहना चाहिए और हिन्दी में इसे 'गरीब उत्तर' तो नहीं कह सकते। फिर भी इसे 'पूअर आन्सर' कहना चाहिए। अब आपकी बड़ी से बड़ी दलील यह कहती है कि अजमेर में इसका लाभ पहुंचाता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि अजमेर को १० नये पैसे करने से तो लाभ पहुंच गया और अगर ६ नये पैसे होते तो अजमेर को नुकसान हो जाता! यह दलील तो कोई जंचने जैसे नहीं है। आपने कहा कि १० नये पैसे करने से अजमेर को लाभ हुआ तो अजमेर का लाभ

(श्री तनसिंह)

राजस्थान के लाभ के मुकाबले से कितना छोटा है ? फिर आप यह फरमाते हैं और आप देखें कि कैसी विचित्र दलील और आर्ग्युमेन्ट दिया है कि ६ पैसे का या तो ५ हो सकता है या फिर १० हो सकता है । यह हमारे वित मंत्री महोदय ने दलील दी है कि ६ नये पैसे का हिसाब लगायें तो वह या तो ५ हो सकता है या फिर १० हो सकता है । तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात और बताऊं कि एक ६ पुराने पैसों का भी है वह बाद में आयेगा और उस ६ पुराने पैसे का हिसाब आपने १५ नये पैसे में किया है । १॥ आने के आपने १५ नये पैसे किये हैं जब कि १॥ आने के ६ नये पैसे होते हैं । फिर मेरी समझ में नहीं आता है कि जब १॥ आने के ६ नये पैसे होते हैं तो उसके लिए १५ नये पैसे कैसे रख दिये.......

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १ आने के लिए जब हमने १० मंजूर किये तो उसी गिनती से १॥ आने से १५ कर दिये हैं ।

श्री तनसिंह : तो फिर तो ४ आने के जैसे २५ पैसे होते हैं तो इनको भी आप ५० कर सकते हैं । तो अध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है । फिर आपने यह भी फरमाया कि १॥ आने के १५ पैसे किये हैं और २ आने के भी १५ पैसे है और इसके लिए कहा गया कि हिसाब में ठीक रहता है । तो जिस राजस्थान सरकार को करोड़ों रुपयों का हिसाब-किताब रखना पड़ता है वहां ६ पैसे की गड़बड़ी के लिए आप ५ या १० करते हैं तो यह तो कोई दलील नहीं हुई हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है और इससे हमारे वित्त मंत्री की अयोग्यता प्रदर्शित होती है जब कि वह यह कहते हैं कि हिसाब ६ नये पैसे नहीं बैठता है । अब मैंने पूछा कि सरकार ने ६ नये पैसे के लिए १० नये पैसे कैसे सोचा और इस निर्णय पर कैसे आई तो इसके लिए वित्त मत्री महोदय ने कहा कि सरकार ने सोचा कि ६ नये पैसे ठीक नहीं हैं इसलिए १० मंजूर किया है । अब सरकार ने मंजूर क्यों किया है ? यही तो पूछना चाहता हू, मगर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है । मेरा अनुमान है कि वित्त मंत्री महोदय को खुद को नहीं मालूम है कि सरकार इस निर्णय पर क्यों और कैसे पहुंची । हां, ६ नये पैसे की जगह अगर ५ नये पैसे होते और जैसा आप कहते हैं कि इससे हिसाब में ठीक रहता है तो ६ के बजाय ५ से तो लाभ होता । अब इसको १० नये पैसे करने के नतीजे पर सरकार कैसे पहुंची, इसका कोई कारण प्रकट नहीं किया गया और फिर आपने बताया कि हमारा अप्रत्यक्ष रूप से कर लगाने का इरादा नहीं है । तो जब आप यह दलील नहीं देते कि सरकार इस नतीजे पर कैसे पहुंची और जो आपने दलील दी वह भी संतोषजनक नहीं है, ६ से १० हो सकते हैं या ५ हो सकते हैं, इसका सही उत्तर नहीं है १॥ आने के ६ पैसे होते हैं उनको आपने १५ कैसे कर दिया ? इनके बारे में कोई उत्तर नहीं है । तो इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्यक्ष रूप से तो सरकार की कर लगाने की हिम्मत नहीं है इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से कर लगाती है । फिर आप सोचें कि इन छोटे-छोटे मामूली प्रयासों से क्या सरकार का घाटा पूरा हो सकता है और यदि पूरा नहीं होता तो फिर क्यों कीचड़ में हाथ डालना चाहते हैं? मेरा तो, अध्यक्ष महोदय, निवेदन यही है कि जैसा दांता-रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपको दुख हो रहा है तो उसका यही उपाय है और विरोधी पक्ष की ओर से मांग आई थी कि आप वृद्धावस्था में क्यों दुख ले रहे

Page No.44

(श्री तनसिंह)

हैं, क्यों कष्ट उठाते हैं। जब कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आयेगा तो फिर हम लोग बहस क्या कर सकते हैं? आप कुछ तथ्य तो देते ही नहीं हैं। अगर यही बात है तो फिर या तो हमें छुट्टी दे दी जाय या फिर हमें कुछ तथ्य मिलने चाहिए तो उनके ऊपर हम क्रिटिसिज़्म करें। अब अध्यक्ष महोदय, जो मैंने कहा था उन दलीलों का कोई भी सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला है और ऐसे असन्तोषजनक उत्तर के लिए अगर अपने संशोधन को विदड्रॉ करूंगा तो शोभाजनक नहीं होगा। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन मैंने रखा है उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तनसिंह ने शिड्यूल १ में सदन के सामने रखा है उसे स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद तो यही है कि जो अभी उत्तर दिया है वही का वही उत्तर इसका भी आयेगा, फायदा तो है ही नहीं लेकिन फिर भी मेरा जो कर्तव्य है वह तो मैं करूंगा ही और वह करना ही पड़ता है। मेरा संशोधन है कि राजस्थान स्टाम्प लॉ एडाप्टेशन एक्ट १६५२ के शेड्यूल का सेक्शन ३ जो है उसमें नंबर इलेवन्थ का जो पार्ट है उसको डिलीट कर दिया जाय। वह है— "In the sub-section (1) of section 4 of the Indian Act, for the words 'one rupee', the words 'two rupees' shall be substituted."

फिर यह तो, माननीय अध्यक्ष, कोई डेसीमल कोइनेज का सवाल नहीं है। यहां तो बिल्कुल साफ है कि एक रुपये के बजाय २ रुपये किये गये हैं। विन्दी एक के बाद में आने का सवाल नहीं है। आपने २ रुपये कर दिये तो इसका कोई कारण नहीं है, मगर स्पष्ट तो यह प्रतीत होता है कि आप कर बढ़ाना चाहते हैं। आप यों नहीं करना चाहते हैं तो यों करना पड़ेगा। अच्छा तो यही है कि आप इस संबंध में सहस करें और कहें कि हमारी कर बढ़ाने की नीति है। तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरा एक संशोधन यद्यपि वह टेक्निकल डिफिकल्टी के कारण आया नहीं, लेकिन इसी प्रकार का है, मैं निवेदन करूंगा कि वह मेरा संशोधन था जैसा कि अभी आपने रखा है कि "Every petition under section 9, 10, 11 or 12 or 13 of the Hindu Marriages Act. 20/- rupees." इसके लिए २०) रु० कोर्ट फीस रखी है और वैसी ही अन्डर हिन्दू मेरिज एक्ट के सेक्शन १२,१३ आदि के बारे में २०) रुपया रखा है, लेकिन अगर आपको पैसा ही लेना है तो इन पर २०) रु० की जगह ५० रु० कर दो। क्योंकि यह स्पेशल मेरेज करने वाले गरीब लोग नहीं होंगे, लेकिन अमीर लोग होंगे, इसलिए वे आदमी इन कानूनों को जानते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। उनको इससे कई फायदे हैं। उनको दहेज नहीं देना पड़ेगा। उनका दहेज का पैसा बचेगा तथा और जितनी सेरे-

Page No.45

(श्री तनसिंह)

मनीज़ होती हैं वे बचती हैं तो उनके ऊपर २०) रुपये के बजाय अगर २००) रुपये भी लगा दें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर २०) रुपये की जगह ५० रुपये भी कोर्ट फीस लगा दें तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। विवाह जो पुरानी रीति रिवाज से होता है उसमें खर्चा होता है। वह उनका सारा बचता है। दूसरे मात-पिता की बिना मन्जूरी के ऐसे विवाह किसी भी जगह कर लेते हैं और कुछ समय के बाद तलाक देकर चले आये, यह उन मन चले अमीरों का ही काम है, लेकिन उन किसानों को, उन गरीब आदमियों को, जिनके सामने हमेशा रोटी का सवाल रहता है, इन कानूनों में पेचीदगियां मालूम होती हैं और जैसी स्थिति होती है वैसा मन्जूर करते हैं। उनके ऊपर आप २० रु० की जगह १०० रु० भी कर दो, लेकिन एक आने के बजाय आप १० नये पैसे करते हैं तो मैं समझता हूं कि यदि आप किसी सैद्धान्तिक धरातल पर टैक्स लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन १ रु० का दो रुपये कर दो और ६ नये पैसे के बजाय १० नये पैसे कर दो तो यह कोई टैक्स लगाने का ढंग नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको डिलीट कर दिया जाय। यह जो एक रुपये के बजाय दो रुपये का संशोधन नया लाया जा रहा है वह वहां से हटाया जाय।

इसके साथ ही मेरा दूसरा संशोधन है सब सेक्शन टैवल्थ में। यह पार्ट भी सेक्शन (१२) का भी उसी ढंग का है— "for the words 'one rupee', the words 'two rupees' shall be substituted." इसके लिए वही दलील वापिस दोहराने की कोई जरूरत नहीं है।

तीसरा है, मेरा संशोधन पार्ट फिफ्टीन्थ में जो कि यह है— "in the proviso to sub-sectsion (4) of section 28 of the Indian Act, for the words 'one rupee', the words 'two rupees' shall be substituted." यह सब एक ही सी चीज हैं इसलिए तीनों संशोधनों को मैं सदन की राय के लिए प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान स्टाम्प लॉ एडेप्टेशन एक्ट, १६५२ के अन्दर शिड्यूल २ पर जो आपके एमेंडमेंट्स हैं वे भी प्रस्तुत कर दें फिर सबको एक साथ ही कन्सीडर कर लेंगे। इसके अन्दर जितने भी संशोधन हैं वे प्रस्तुत कर दें, एमेंडमेंट नं० ३।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल २ सेक्शन ३ के ऊपर जो मेरे एमेंडमेंट्स हैं वे भी करीब २ वही बात है जो कि पहले दी जा चुकी है कि दो आने की जगह १५ नये पैसे लगाये गये। वही १२ पैसे की जगह १५ नये पैसे। वही १॥ आने की जगह १५ नये पैसे। वही २० नये पैसे के बजाय ९६ नये पैसे आदि वही की वही बात है जो कि पहले संशोधन में रखी गई थी। मैं बिना उन दलीलों को दोहराते हुए सारे का सारा प्रस्ताव रखता हूं कि ये सब उसी संबध में हैं और बिल्कुल वही हैं, यानी जितने भी कोइनेज के सब्सिट्यूट की चीजें हैं, वही हैं, इसलिए सभी प्रस्ताव को एक साथ मूव करता हूं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तनसिंहजी ने पैसे के संबंध में कुछ कहा तो एक बात और मैं कहता हूँ वित्त मंत्री महोदय से कि गांव में इससे बड़ी गड़बड़ी होगी कि एक आने के एक तरफ गांव में तो ६ नये पैसे होंगे मगर जब वे कोर्ट में जायेंगे तो १० पैसे होंगे। इसलिए, इससे गरीबों को

(श्री मदनसिंह)

लूटना सहज हो जायगा। लोग उनसे कहेंगे कि कोर्ट में एक आने के १० नये पैसे हैं तो यहां भी एक आने के १० नये पैसे लेंगे और उनको इस तरह से लूट लेंगे, इसलिए ऐसी चीज का कोई अन्दाज आज रख दें तो अच्छा हो, अन्यथा वही जवाब है कि इससे बड़ी गड़बड़ी होगी। एक आदमी कोर्ट में एक आने के १० नये पैसे देगा और जब घर पर आयेगा तो ६ नये पैसे; तो उसका दिमाग सही नहीं रहेगा, क्योंकि गरीब लोग हैं वे पढ़े-लिखे तो है नहीं, इससे उनमें बड़ी गड़बड़ी होगी। इस पर काफी विचार होना चाहिए। इस प्रश्न पर सिलेक्ट कमेटी में थोड़ा बहुत विचार होता और फिर संशोधन होता तो ठीक रहता।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री): माननीय अध्यक्ष, यह जो प्रथम श्रेणी के तीन ऐमेन्डमेंट्स हैं, वे एक तरीके से आ जाते हैं। जैसे वे आगे एमेंडमेन्ट्स रखना चाहते हैं उससे वापिस १) रु० जो पहले था वह हो जाता है। उसमें मुझे इतना ही कहना है कि पहले सेन्ट्रल एक्ट को अपने यहां वैसे का वैसा ही एडोप्ट कर लिया था। उसके मुताबिक १ रु० रखा गया था, लेकिन बाद में देखने से मालूम पड़ा कि आसपास की रियासतों में कई जगह २ रु० टैक्स रखा हुआ है; जैसे कि आसाम, बंगाल, बम्बई और बिहार में सब जगह २ रु० है, एक रुपया कहीं नहीं है, इसलिए इसको भी वैसा ही करना पड़ा।

श्री पी० के० चौधरी: यू० पी० और पंजाब में क्या है?

श्री दामोदरलाल व्यास: वह किताबों में पढ़ लें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: पंजाब में डेढ़ रुपया और यू० पी० में १ रु० १४ आने।

श्री पी० के० चौधरी: इनको छोड़कर आप आसाम और बंगाल में पहुंच गये!

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: इसलिए मैं नहीं मानता इस बात को कि हमने २ रु० लगा कर, जब कि आसपास की रियासतों में वही रेट है, कोई बड़ी बात की है।

दूसरी बात जो आपने बताई है, एक माननीय सदस्य ने, कि गांव वालों में भ्रम फैल जायगा तो उनकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो स्टाम्प अब छपेंगे पहली अप्रेल से वह ५, १० और २५ नये पैसों के छपेंगे, दाशमिक प्रणाली वही रहेगी। इनके सिवाय दूसरे स्टाम्प्स नहीं रहेंगे। तो उनको जो इस बात की चिन्ता है कि गांव वालों में भ्रम फैलेगा तो वह दूर हो जानी चाहिए क्योंकि स्टाम्प्स यही छपे हुए मिलेंगे।

तो मैं नहीं समझता कि जब कि दूसरी जगह, सभी आसपास की रियासतों में करीब करीब २ रु० हैं तो फिर यहां करते हैं तो माननीय सदस्यों को क्यों आपत्ति होनी चाहिए और वह जो भ्रम फैलने की बात थी वह यों नहीं हो सकेगी क्योंकि स्टाम्प्स ५, १०, २५, आदि नये पैसों में होंगे।

श्री मदनसिंह दांता: कर्ज पर जो स्टाम्प लगता है, उसका क्या लगेगा गांव में?

श्री दामोदरलाल व्यास: किसी वकील से पूछिये।

श्री मदनसिंह दांता: वकील से नहीं यहां वित्त मंत्री बतायें कितना पैसा लगेगा?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : कर्जे के लिहाज से शहर और गांव में फर्क नहीं होता है। शहर और गांव में कर्जे के लिए एक ही कोर्ट फीस है।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : यह कोर्ट फीस नहीं होती है।

श्री रामकिशोर व्यास : स्टाम्प्स एक से लगेंगे। कोर्ट फीस जहां देनी होती है, वह वहां भी वैसी ही दी जाती है।

श्री तनसिंह : (श्री वित्त मंत्री के बैठे रहने पर) आप जवाब दे रहे थे न ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने जवाब दे दिया।

श्री तनसिंह : आपका बाकी का जवाब करीब-करीब नहीं देने के बराबर था।

(विराम)

समझ में तो मेरे बहुत जल्दी आता है और मैं बहुत गौर से सुन रहा हूं लेकिन इसमें कुछ समझने जैसी बात है नहीं

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आसपास की रियासतों का उदाहरण दिया, वह भी समझ में नहीं आया ?

श्री तनसिंह : आप दुबारा न कहो तो भी कोई बात नहीं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपने कहा कि समझ में नहीं आया....

श्री तनसिंह : जो समझ में आनेवाली बात है उसको मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप बम्बई और बंगाल-बिहार की उड़ान भरते हैं, लेकिन यू०पी० और पंजाब की बात को भूलते हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यू० पी० में १ रु० १४ आ० है और यहां २ रु० किया है, सिर्फ २ आने का ही फर्क है। आसाम, बिहार, बम्बई में २ रु० है, यू० पी० में १ रु० १४ आ० है, पंजाब में डेढ़ रुपया है, बिहार, में २ रु० है। आप देख सकते हैं कि मेजोरिटी किधर है।

श्री तनसिंह : मेजोरिटी जा रही है बंगाल, आसाम और बम्बई की तरफ इसलिये हमको भी उधर नहीं चले जाना चाहिये...

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पंजाब आपके पक्ष में है।

श्री तनसिंह : पंजाब और यू. पी. हमारे पक्ष में हैं। लेकिन यू. पी. में १ रु० १४ है, किन्तु १४ आने का हिसाब वित्त मंत्री जी से नहीं बैठेगा इसलिये उन्होंने यहां २ रु० रखे हैं। दूसरी जगह इतना है इसलिये हम भी कर दें, यह क्या उसूल है ? कोई आदमी या स्टेट कोई काम करता है इसलिये हम भी वही करें यह कोई दलील नहीं है। क्योंकि वे कर रहे हैं इसलिये हम भी वही करें, लेकिन क्या कोई वहां पर छोड़ देंगे तो आप भी छोड़ देंगे ? कई जगह निश्चित रूपसे पुरानी ही रेट होगी, आपने पूरे आंकडे सामने रखे नहीं हैं। जहां पर सेन्ट्रल रेट लागू है वहां पर १ रु. ही होगा। आपके खुद के पास १ रु. की रेट थी तब ऐसा मालूम हो रहा था कि आप भयानक त्रुटि कर रहे हैं जो क्षम्य नहीं हो रही है। जब आप पहले ले रहे थे वही क्यों नहीं लेते ? क्योंकि अभी दूसरी जगह बढ़ाया जा रहा है इसलिये यहां भी बढ़ाना चाहिये, यह दलील मानने जैसी नहीं है।

(श्री तनसिंह)

दूसरी दलील यह दी कि हमने ५ नये पैसे और १० नये पैसे कर दिये हैं इसलिये भ्रम नहीं होगा। भ्रम ५ पैसे से या ६ पैसे से नहीं होगा, लेकिन इस बात से होगा कि आप टैक्स बढ़ाना चाहते हो। आप सीधा क्यों नहीं कहते कि हम टैक्स लगाना चाहते हैं, सीधी तरह से नहीं कहने से भ्रम होता है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव के बारे में जो उत्तर दिया गया है, वह असंतोषजनक है। इसलिये मैं अपने संशोधन वापिस लेने को तैयार नहीं हूं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपको २ रु. से भी असंतोष होता है ?

श्री तनसिंह : बिल्कुल, यू. पी. और पंजाब हमारे पास में हैं, मध्य प्रदेश में भी ज्यादा नहीं है, सौराष्ट्र में भी ज्यादा नहीं था, अब बम्बई में भले ही बढ़ गया हो ऐसी स्थिति में यदि सारे आंकडे सामने रखे होते तो पता चलता कि मेजोरटी किधर जा रही है ? बंगाल, बिहार, आसाम, बम्बई आदि चार पांच स्टेट्स से मेजोरिटी नहीं बनती है। इसलिये यह कोई दलील नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो २ संशोधन श्री तनसिंह ने रखे वे स्वीकार किये जांय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विगत)

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष, महोदय, शिड्यूल ३ में मेरा छोटा सा संशोधन है जो इस प्रकार है कि १० नये पैसे कर दिए जायं और १५ नये पैसों की जगह १० नये पैसे कर दिये जायं। जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने बताया ६ पैसे नहीं बनते इस दृष्टिकोण से ५ पैसों का सिक्का बनता है। आराम से ५ पैसों का टिकट बन जायगा इसलिए मैंने यह संशोधन रखा था। वास्तविक चीज यह है कि न्यायपूर्ण कार्य के लिए न्यायपूर्ण शुल्क लें तो ठीक रहेगा। इसलिए मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार करेंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। वित्त मन्त्रीजी ने सेकन्ड शिड्यूल में इस सम्बन्ध में अमेन्डमेन्ट आया था उसका जवाब दिया है कि कन्वर्ज़न रेट्स बनती हैं, वह जवाब बिल्कुल सन्तोषजनक नहीं है। यहां जो शिड्यूल रखा है उसके अन्दर जो कन्वर्शन रेट्स बनती हैं उसमें सही और ठीक एटिट्यूड नहीं मालूम पड़ता है। आप देख सकते हैं, आपकी कन्वर्शन रेट एक ही जगह पर आकर ठहरती है। आपने पुराने डेढ़ आने के लिए भी १५ नये पैसे रखे हैं और दो आने के लिए भी १५ नये पैसे रखे हैं। किसी भी व्यक्ति को कहेंगे कि डेढ़ आने के १५ नये पैसे हैं और २ आने के भी १५ नये पैसे हैं तो वह कहेगा कि यह आपकी क्या लोजिक है ? आप जो भी कुछ कर रहे हैं वह आर्बिट्रेरी है, उसका कोई माप-दण्ड नहीं है। जब कभी भी आप ज्यादा पैसा लेना चाहते हैं तब दलील पेश करते हैं। कभी कहते हैं कि इससे हिसाब ठीक रहता है इसलिए कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि नजदीक की स्टेटस में इस प्रकार की रेट्स हैं इसलिए यहां भी इसी तरह से कर रहे हैं। लेकिन आपका यह निश्चित स्टेन्डर्ड नहीं है। जब आपको एक दलील माफिक लगती है उस समय यह दलील पेश करते हैं। मेरे ख्याल से किसी लेजिस्लेशन को पास करने में या टैक्सेशन रूल्स लाने में जो दलील सदन के सामने देते हैं वह रीज़नेबल होनी चाहिये, यह नहीं होना चाहिये कि बच्चों को समझाने के

(श्री पी० के० चौधरी)

लिए जो दलील दी जाती है वही यहां दी जाय। ठीक है कि यह पास हो जायगा, लेकिन इसका रेकार्ड यहां पर रहेगा, मंत्रीजी क्या जवाब देते हैं उसकी हिस्ट्री रहेगी और यह रेकार्ड रहेगा कि किस ढंग का सटन चलता था और किस ढंग के आर्गुमेन्ट्स दिये जाते थे। यहां जिस ढंग के आर्गुमेन्ट्स दिये जाते हैं वे साइन्टिफिक आर्गुमेन्ट्स नहीं हैं। ६ पुराने पैसों के बदले में भी १५ नये पैसे होंगे और पुराने दो आने के बदले भी १५ नये पैसे होंगे। आर्गुमेन्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें लोजिक हो। मैं यह कहूंगा कि कुछ फन्डामेन्टल बेसिस भी होना चाहिये। हमें कानून बनाना है तो फन्डामेन्टल चीज़ लेकर चलें, नहीं तो दलील मत करिये, कनवर्शन मत करिये। आप कहिये कि मैं चाहता हूं इसलिए ऐसा करें। अगर ऐसा ही है तो रेट्स क्यों बताते हैं ? यह तमाशा किस बात का है ? यह क्यों कहते हैं कि पुराने डेढ़ आने थे उसका १५ नये पैसे लगेंगे, उस काम के लिए इतने पैसे लगेंगे और दूसरे काम के लिए २ रु० लगेंगे, यह कनवर्शन रेट क्यों बताते हैं ?

फन्डामेन्टल बात यह है कि हम हिन्दुस्तान में मेट्रिक सिस्टम लागू करना चाहते हैं, यह हमारा पहला स्टेज़ है। इसके बाद में वेट में मेट्रिक सिस्टम एडोप्ट करेंगे और फिर और बातों में करेंगे। हम जब यह चाहते हैं कि मासेज़ में एक किस्म का भय है उसको दूर करना चाहिये और इस सिस्टम को पोपुलराइज़ करना चाहिये तो आपका जो तरीका है उससे असन्तोष बढ़ेगा और आगे चल कर जब हम वेट्स एन्ड मेज़र्स में यह सिस्टम लागू करने जायेंगे तब और भी डिस्सेटिसफेकशन होगा। आप जानते हैं कि डेसिमल सिस्टम को गवर्नमेन्ट आॅफ इन्डिया ने पहले लागू किया था तब पोस्ट आॅफिस में १ पैसा बढ़ाया था, उसका कलकत्ते में लोगों ने विरोध किया। कन्वर्शन और कोरेसपोन्डिंग रेट का नाम लेकर ज्यादा लेते हैं तो लोग समझते हैं कि आप बहाना बनाकर ज्यादा पैसा लेना चाहते है। मेरा कहना यह है कि आप ज्यादा पैसा लेना चाहते हैं तो खुशी से लीजिये। डेसिमल कोइनेज को बदनाम मत करिये।

(१ म. प.)

आप यह तरीका कर रहे हैं, इससे डेसीमल कोइनेज को बदनाम कर रहे हैं, मेट्रिक सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं और लोगों के दिलों में इसके लिये एक एवेरिस क्रियेट कर रहे हैं। जब यह सिस्टम वेटेज में लायेंगे तो बनिया उससे फायदा उठा सकता है। गवर्नमेन्ट ज्यादा पैसा ले सके, उसके लिए आप कोई तरीका अपनाना चाहते हैं तो उसको पोपुलराइज़ करने के लिए कोई अच्छा तरीका अख्तियार करते। मेरा वित्तमंत्री से निवेदन है कि यदि आपको पैसा ज्यादा चाहिये तो सीधे तरीके से लीजिये, आप यह डिफाइन कर दीजिये कि फलां एक्ट के लिए कोर्ट फीस का इतना पैसा लेंगे; don't relate it with the old coinage ? अब आप ओल्ड कोइनेज से इसका रिलेशनशिप बताते हैं और उसके लिए जो अर्ग्युमेंट रखते हैं वह इनकॉन्सिस्टेन्ट है। एक जगह बताते हैं कि ६ पैसे के १५ नये पैसे और दूसरी जगह बताते हैं कि दो आने के भी १५ नये पैसे, यह ठीक नहीं लगता और इसके इम्प्रेशन से लोगों का दिमाग खराब होता है। लोग समझेंगे कि आप जो करना चाहते हैं, वह कर लेते हैं और उसके लिए जो अर्ग्युमेंट और दलील, माफिक समझते हैं दे देते हैं, लेकिन उन अर्ग्युमेंट्स में, दलीलों में न

(श्री पी. के. चौधरी)

तो वजन है और न वे साइन्टिफिक हैं, वे आर्बिट्रेरी हैं। यह दलील ऐसी है जैसी बच्चों को समझाने के लिए दलील देते हैं। मैं नम्र निवेदन करता हूं कि हम बच्चे नहीं हैं, हम यहां आते हैं, हमारी काफी उम्र हो गई है,

(हंसी)

हमारे स्टेटस के आर्ग्युमेंट दीजिये। हमारे वित्त मंत्रीजी कवि हैं और कवि की दृष्टि से ६ पैसे के १५ नये पैसे हो सकते हैं, २० नये पैसे हो सकते हैं, ४० नये पैसे हो सकते हैं। कल्पना में ये सब बातें सही हैं, जो कवि के दिमाग में आ गई, उस पर उनकी कविता बन गई। लेकिन यह कल्पना मेट्रिक सिस्टम में नहीं चलती है, कोइनेज में नहीं चलती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप डेसिमल कोइनेज को बदनाम न करायें, मेट्रिक सिस्टम को बदनाम नहीं करायें और आपको जो कुछ भी करना है, उसे सीधे तरीके से करें कि फलाने एक्ट में कोर्ट फीस इतनी बढ़ गई हैं, १५ नया पैसा बढ़ गया है यह कोरेसपोन्डिंग रेट हो गई है, यह कनवर्सन रेट हो गई है। अगर गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया की कोई चीज आ जाती है, वेट का नया सिस्टम आता है, मेट्रिक सिस्टम है, इनको अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कानून बनाकर अडॉप्ट कर लें और उसके साथ गवर्नमेंट लोगों से एक्सपेक्ट करे, तो यह खुशी से करे। लेकिन जिस तरीके को अख्तियार किया गया है उससे वह सिस्टम पोपुलर नहीं होगा, अनपोपुलर होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इससे आपको ५० हजार रुपया मिलेगा लेकिन आप बहुत बड़ी डिस्सर्विस कर रहे हैं। एक साइन्टिफिक सिस्टम है, उसको अगर देश में इन्ट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसको करिये; किन्तु आप तो उसको इस तरह से करके अनपोपुलर कर रहे हैं। आज के जमाने में पोलिटिशियन वैसे ही बदनाम हैं, पोलिटिशियन्स के लिये इंगलैंड में एक इडियम है, "It is the game of scoundrels."

वहां पर पोलिटिशियन को स्काउन्डरल कहते हैं। हमारे देश में भी हम लोगों को स्काउन्डल समझते हैं क्योंकि आप लोग अपनी मर्जी के अनुसार दलील देते हैं और मनमानी करते हैं इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि जिस सिस्टम को पोपुलराइज करना चाहते हैं उसको इस तरह से बदनाम नहीं करायें। आप सीधे तरीके से बता दीजिये कि इतनी स्टाम्प फीस रख रहे हैं। मेरा इतना निवेदन है कि इस बिल को विथड्रॉ कर लीजिये और इसमें जो कोरेसपोन्डिग रेट्स हैं, तो उनको विथड्रॉ कर लीजिये और यह बता दीजिये कि इतना पैसा और देना पड़ेगा, वह हम खुशी से देंगे। हमें इस तरीके से बचना है, You are puitting the blame at the door of the Metric system. मैं समझता हूं, हम इस सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं और यह चीज ठीक नहीं है, यह गवर्नमेंट के हित में ठीक नहीं है और इस सिस्टम के हित में ठीक नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल को वापिस ले लें।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और अभी माननीय सदस्य ने एक एडवाइस के रूप में वित्त मंत्री जी से निवेदन किया उसके लिए मैं केवल दोष वित्त मंत्री महोदय पर ही नहीं मानता हूँ लेकिन जो माननीय सदस्य प्रस्ताव रखते हैं उन पर दोष है और वह यह है कि उन्होंने ही मंत्री महोदय की आदत बिगाड़ रखी है वे एक प्रस्ताव रखते हैं और बाद में उसे

(श्री पी॰ के॰ चौधरी)

विथड्रॉ कर लेते हैं। वे एक चीज को रोकने के लिए प्रस्ताव रख देते हैं और जिस वक्त मत्री महोदय कहते हैं तो प्रस्ताव को वापिस ले लेते हैं। इसलिए माननीय प्रस्तावक महोदय ने भी एक मज़ाक के रूप में हां बच्चा बना कर रखा है। आप अपने प्रस्ताव पर स्ट्रिक्ट रहिये और आपको हाउस में रिज़ल्ट मालूम हो जायगा कि कितने सदस्य प्रस्ताव के खिलाफ हैं और कितने सदस्य समर्थक हैं। इसलिए केवल माननीय वित्त मंत्रीजी ने आपको बच्चा समझ नहीं रखा है, आपने भी हमें बच्चा समझ रखा है। आप एक प्रस्ताव रख देते हैं। मिनिस्टर साहब खड़े होते हैं, एक इशारा होता है, गैलेरी में दबाव डालते हैं और फिर विथड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि प्रस्ताव वापिस ले लेते हैं इसलिए किसी प्रस्ताव को मन्जूर नहीं करते हैं माननीय मंत्री जी।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सुझाव, इस संशोधन के समर्थन में कई दलीलें दी गई हैं, एक दलील तो यह दी गई है कि डेसीमल सिस्टम को बदनाम किया जा रहा है और जो परिवर्तन किए जा रहे हैं वे सही नहीं हैं। दूसरी दलील यह दी गई है कि हाउस के जो माननीय सदस्य हैं, वे बुजुर्ग हैं, उनको बच्चा समझ कर, गालिबन, इस तरह से समझाया जाता है। तीसरी दलील माननीय सदस्य, जो दांता रामगढ़ से आये हुए हैं, ने दी है कि जिन सदस्य ने सशोधन रखा है, वे उसे वापिस न लें और उसका परिणाम जो कुछ हो देखें। तीसरी के बारे में...

श्री पी॰ के॰ चौधरी : ये दलीलें आपके रिप्लाई में नहीं आतीं।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं तीसरी दलील के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अब जो दो दलीलें हैं उनके बारे में कह दूं। ये सुझाव बड़े साइन्टिफिक आधार पर रखे गये हैं; आपका ख्याल है कि ये आर्बिट्रेरी तरीके से कर दिए हैं, यह बात नहीं है। असल में पहली अप्रेल से सारे स्टाम्प्स बदले जाने हैं, जितने पुराने स्टाम्प्स हैं पुराने पैसों के लिहाज से, उनको अब नये पैसों के लिहाज से बनाया जायगा और इस प्रकार जो फ्रेक्शन रहेगा, उसको ठीक किया जायगा। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने सजेस्ट किया है कि जो पुराने पैसे हैं उनके इक्विवेलेंट इतने नये पैसे होते हैं, इसलिए हम उसके अनुसार कन्वर्ट करना चाहते हैं। ऑल इन्डिया के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने बनाया है उसके बेसिस पर हमने यह बिल बनाया है। जो सुझाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे उनको आपके सामने प्रस्तुत करता हूं: आध आने के एग्ज़ेक्ट इक्विवेलेंट ३.२५ नये पैसे हैं, प्रपोज़्ड ५ नये पैसे हैं। इसी तरह से एक आने का एग्ज़ेक्ट इक्वीवेलेंट ६.२५ नये पैसे होते हैं प्रपोज़्ड १० नये पैसे किये गये हैं। इसी तरह से डेढ़ आने और दो आने के लिए १५ नये पैसे रखे हैं। इसकी एक पूरी लिस्ट बनाई है, उसके अनुसार हमने केल्कुलेट कर लिया है। इसी प्रकार दो आने का और चार आने का है उसमें केल्कुलेट कर लिया है कि एक आने का एग्ज़ेक्ट इक्वीवेलेट ६.२५ नये पैसे होते हैं, उसको १० नये पैसे मानना चाहिए, दो आने का एग्ज़ेक्ट इक्विवेलेंट १२.२५ नये पैसे होते हैं, इसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया है कि १५ नये पैसे होने चाहिए।

श्री तनसिंह : डेढ़ आने का भी पढ़ दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : इस प्रकार उन्होंने सुझाव दिये हैं और वह लिस्ट सब स्टेट्स को सर्कुलेट की गई है, उसके बेसिस पर हमने यह बनाया है। हमने चाहा वैसा कर दिया है, ऐसा नहीं है। हमने अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ा दिया हो, यह बात नहीं है। उसी आधार के ऊपर हमने केल्कुलेट किया...

श्री तनसिंह : मेट्रिक सिस्टम का जो एक्ट पास किया गया है उसमें रेट्स दी गई हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : ये सजेशन हैं, यह आपसे कह रहा हूं। जो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया पेटर्न के लिए प्रपोज़ल किये गये उसके बेसिस पर यह रखा है, इसमें कोई राजस्थान के लिए विशेष बात नहीं है कि एक आने के लिए छः नये पैसे की जगह १० नये पैसे कर दिये हों...

श्री मदनसिंह : Can't we suggest something better than this ? अपन क्या उनको सजेस्ट नहीं कर सकते थे?

श्री रामकिशोर व्यास : सजेस्ट कर सकते हैं लेकिन जो ऑल इन्डिया पेटर्न के लिए रहता है उसको अपने को रखना पड़ेगा। ...

श्री दयाकृष्ण विजय : किसी प्रोविन्स ने अभी तक पास किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पास करने का पोइन्ट नहीं है। पास करने के लिए तो आपके सामने आया है। मैं तो रीज़न की बात बता रहा हूं। यह दलील दी गई है कि चाहा जैसा रख दिया है, मैंने कहा कि वैसी बात नहीं है, यह गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की सिफारिशों के आधार पर है, ऑल इन्डिया के पेटर्न के बेसिस पर बनाया गया है। इसके लिए मैंने आपको एक्चुअल फिगर्स बताये कि किस तरह क्या एग्ज़ेक्ट वेल्यु है और प्रपोज़्ड रेट्स क्या होनी चाहिए। सिफारिश के आधार पर यह है, न तो इसमें आर्बिट्रेरी की बात है और न बच्चा बनाने की बात है, ऑल इन्डिया पेटर्न के लिहाज़ से रखने की बात है।

इससे बढ़ता नहीं है, यह नहीं कहा गया। बढ़ता है, उसको बढ़ता कहना चाहिये। बैक-डोर से आने की, पीछे से आने की बात नहीं है। दशमलव प्रणाली से ६ की जगह १० पैसे किये हैं, it is all open. इसे एक्सेप्ट करना न करना यह हाउस के अख्त्यार की बात है, पर इसमें बैकडोर की बात नहीं है। इसलिये यह जवाब है इसमें, वह एक वैज्ञानिक आधार पर है, इसे आप लोगों को स्वीकार करना चाहिये।

श्री तनसिंह : रुपये की जगह दो रुपये कर दिये जायं, यह भी वैज्ञानिक आधार है?

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे गृह मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया हैं, वह कुछ मुझको तो संतोष हो, इस प्रकार का नहीं है। दशमिक प्रणाली से ६ पैसे की जगह १० पैसे करेंगे तो समझ में नहीं आ रहा है। टैक्स बढ़ाना चाहते थे तो इस प्रकार कर देते कि हम टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। फिर भी मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेना चाहता हूं ?

(हंसी)

श्री तनसिंह : बस !

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बहादुरसिंहजी ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा दी जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री बहादुरसिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह ! एक और रह जाता है ।

श्री तनसिंह : मैंने तो साहब सब एक साथ कर दिया है ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कोर्ट फी एन्ड स्टॉम्प ड्यूटी लॉज़ (एक्स्टेन्शन) बिल, १६५८ के शिड्यूल, विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

शिड्यूल विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गये ।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक का क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गए ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कोर्ट फी एन्ड स्टॉम्प ड्यूटी लॉज़ (एक्स्टेन्शन) बिल, १६५८ को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

(विराम)

श्री दामोदरलाल व्यास ।

१. २२ म० प०

राजस्थान नकदी जागीर उत्पादन विधेयक, १६५८

(प्रवर समिति को)

श्री दामोदरलाल व्यास : (राजस्व मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नकदी जागीर उत्पादन विधेयक, १६५८ एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे । यह समिति अपना प्रतिवेदन इस सदन के अन्त तक प्रस्तुत कर देगी; Sorry, इस अधिवेशन के अन्त तक प्रस्तुत कर देगी ।

१. मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दी बिल ।
२. श्री तेजमल बापना ।
३. [illegible]
४. श्री जयेन्द्रसिंह
५. श्री भैरोंसिंह खेजड़ला

(श्री दामोदरलाल व्यास)

६. श्री अमृतलाल पायक
७. श्री मोड़ूलाल मीना
८. श्रीमती कमला श्रोत्रिय
९. श्री चुन्नीलाल
१०. श्री शंकरलाल
११. श्री घासीराम यादव
१२. श्री मोहरसिंह
१३. श्री नत्थीसिंह
१४. श्री रामनारायण
१५. श्री अनोपसिंह

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

इसके बाद नं० ३, जो कार्य-सूची में विधेयक नं० २ पर है उसको बाद में लिया जायगा; दूसरे हैं उनको पहले ले लिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास, क्रम संख्या ४।

१.२४ म० प०

अजमेर वक्फ बोर्ड (विघटन) विधेयक, १९५८
(विचारार्थ व पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अजमेर वक्फ बोर्ड (विघटन) विधेयक, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

(कुछ विराम के अनन्तर)

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

श्री रामकिशोर व्यास।

१.२५ म० प०

राजस्थान कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (राजस्थान अमेण्डमेंट) विधेयक, १९५८
(विचारार्थ एवं पारित)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (राजस्थान अमेंडमेंट) बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री तनसिंह : यह १९५८ का कौन सा है, सिविल प्रोसीजर कोड का अमेंडमेंट बिल तो पास हो गया है।

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमन्त्री) : अलग अलग हैं.......

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): आपके हित की बात है।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

(अल्प विराम के अन्तर)

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक पारित किया जाय।

(स्वीकृति)

विधेयक पारित किया गया।

१. २७ म० प०

राजस्थान होल्डिंग्ज (कन्सोलिडेशन एन्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेंटेशन) संशोधन विधेयक, १९५८

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान होल्डिंग्स (कान्सोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेंटेशन) संशोधन विधेयक, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया।

१. २८ म० प०

राजस्थान टिनेन्सी द्वितीय संशोधन विधेयक, १९५८

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान टीनेन्सी (सेकिन्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

इस पर अमेंडमेंट है.......

श्री दामोदरलाल व्यास : श्री सोहनलाल भटनागर का। वे अभी यहां नहीं हैं।

श्री तनसिंह : भगा दिया उनको पहले से ही !

श्री अध्यक्ष : He is not here.

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान टिनेन्सी (सेकिन्ड अमेंडमेंट) बिल, १६५८ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

१.२६ म० प०

राजस्थान हक्के मालिकाना समापन विधेयक, १६५७
(विचारार्थ एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान हक्के मालिकाना समापन विधेयक, १६५७ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक पारित किया जाय।

श्री बृजमोहन शर्मा (ब्यावर) अध्यक्ष महोदय,.... ..

श्री दामोदरलाल व्यास : यह स्टेज बोलने की नहीं है, The Question has been put.

श्री तनसिंह : वह थर्ड स्टेज पर बोल रहे थे, आप उनको दबा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप भी नहीं बोले तो वे क्यों बोलेंगे ?

प्रश्न यह है कि विधेयक पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक पारित किया गया।

१. ३० म० प०

राजस्थान पेन्शन विधेयक, १६५८

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पेन्शन बिल, १६५८ विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इसको पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

१. ३१. म० प०

इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (राजस्थान संशोधन, विधेयक, १६५८

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १६५८ को विचारार्थ लिया जाए।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "That the Industrial Disputes (Rajasthan Amendment) Bill, 1958 be referred to the Select Committee to examine carefully the provisions of registration, cancellation of registration and reregistration of the Unions."

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय जिस ख्याल से इस बिल को सदन के सामने लाये हैं उसके ऑब्जेक्ट्स में भी आपने बताया है : 'to afford further relief and protection to industrial employees in the matter of their representation and the settlement of industrial disputes by voluntary sumbmission to arbitration, etc" लेकिन इसके मेथड्स of registration and representation of unions हैं और उनको रजिस्ट्रेशन केन्सल करने की जो शर्तें रखी है और रि-रजिस्ट्रेशन के लिए जो शर्तें रखी है और जैसा ऑब्जेक्टिव बताया है, यह उसको डिफीट करता है। दो-एक बातों की तरफ इस संबन्ध में, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सब से पहले यह डिफाइन किया गया है कि १५ पर्सेन्ट मेम्बरशिप है या नहीं, लेकिन इस बात को तय करने वाला कौन होगा? गवर्नमेन्ट ने जिस व्यक्ति को रखा है वही होगा। फिर यहां पर जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए मैं एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट में से कुछ बताना चाहता हूं। लेबर डिपार्टमेन्ट के कारघर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इस लेबर डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में एस्टीमेट

Page No.58

(श्री पी० के० चौधरी)

कमेटी ने, लेबर डिपार्टमेंट के जो पाइलोट हैं, कन्ट्रोल करते हैं, उसके बारे में क्या कहा है, मैं बताना चाहता हूं । उन्होंने कहा :

"2 From the examination of the officers of the Department the Committee could gather that suitably trained personnel was lacking in the Department. It is really unfortunate that such an important Department which can be called the back-bone for the development of industries in the State is callously ignored by the Government. One who may hold the reigns of the Department should not only possess a theoritical knowledge of the subject but should also have considerable practical experience of the labour problems and, therefore, it becomes necessary that whoever may be placed in charge of the department should not be allowed to be shifted from it off and on. During the course of the statement by the Labour Commissioner, it was revealed that he does not fully possess the knowledge of the laws which he has got to administer for the amelioration of labour in various fields. This is perhaps because he is not certain that he would stick to this job for a long time. The same condition was discovered with regard to other officers also who were called before the Committee and this state of affairs gave a very gloomy picture about the Deparment.

3. It was notice that the Government have no plans for developing the department and the provisions made in the budget are inadequate. The Labour Commissioner stated that certain schemes have been prepared for the department in the Scond Five year plan, and more welfare centres are to be opened, but no definite plan was placed before the Committee to enable it to tender its opinion there on"

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह जो एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट से पढ़ कर सुनाया उसका मतलब यह है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन के संबंध में सरकार ब्लैंक पॉवर दे रही है, सरकार डिस्क्रिमिनेटरी पॉवर्स दे रही है । सरकार ने सिर्फ यह रखा है कि १५ पर्सेन्ट मेम्बर्स हैं या नहीं ? मगर इसके सिवाय क्या क्राइटेरिया रखा है । मगर इसको भी तय कौन करेगा ?

एस्टीमेट कमेटी ने जो नमूना पेश किया है, वह वो है जो मैंने आपके सामने रखा । इसके अलावा और भी एक मिसालें मैं आपके सामने पेश करूंगा । लेबर डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं वे एन्टी लेबरर्स हैं और जिस ऑफिसर को हम डिस्क्रिशनरी पॉवर देते हैं उसके लिए एक दो मिसालें मैं आपको दूंगा उससे आपको अंदाज हो जायगा कि लेबर डिपार्टमेंट में लेजिस्लेशन ठीक है या नहीं और जो आदमी इम्पलीमेंट करने वाला है वह उपयुक्त है या नहीं, जिसको हम डिस्क्रिशनरी पॉवर्स देते हैं । उसके लिये हम कोई चैक नहीं रखते और न इस बात को ध्यान रखते हैं कि यह व्यक्ति वास्तव में सही तरीके से काम करेगा या नहीं ? आप उसको ब्लैंक चैक दे देते हैं, डिस्क्रिशनरी पॉवर्स देकर । इसका एक नमूना मैं आपके सामने पेश करना

(श्री पी० के० चौधरी)

चाहता हूं। इस सिलसिले में अजमेर म्युनिसिपल कर्मचारियों की हड़ताल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वहां लेबर ऑफिसर और लेबर कमिश्नर का जो उस सम्बन्ध में रुख रहा है वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिशनरी पॉवर्स से लोग किस प्रकार फायदा उठाते है ? करीब आज से ७ या ८ महीने पहले यानि पिछले जुलाई महीने में ६ जुलाई, १६५७ को अजमेर के म्युनिसिपल कर्मचारियों ने हड़ताल का नोटिस दिया। उन्होंने मांग की कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ५) रुपये तनख्वाह के ज्यादा बढ़ाये हैं, उसी तरह से जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अन्दर में कार्य करनेवाले हैं उनको भी ५) रुपये तनख्वाह में बढ़ाये जावें। यह जो तनख्वाह है उसका ६६ प्रतिशत खर्च स्टेट गवर्नमेंट से उनको मिलता है। म्युनिसिपेलिटी को ३३ प्रतिशत ही देना पड़ता है। बाकी के पैसे तो सब गवर्नमेंट से मिलते हैं। जब उन्होंने यह पांच रुपये की मांग की तो वहां के म्युनिसिपल चैयरमैन ने नहीं माने और इस पर उन्होंने ६ जुलाई को नोटिस दिया और उसके बाद २४ जुलाई को हड़ताल की और यह हड़ताल तीन सप्ताह यानि २१ दिन चलती रही। इस हड़ताल में उन मजदूरों के औरतें और बच्चे भी शरीक थे। उस दौरान में मुझे भी कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स से मिलने का मौका मिला। मैं यह कहूंगा कि जहां पर इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वहां पर इस प्रकार का प्रोविजन है कि क्या करना चाहिये। लेबर ऑफिसर को साफ आदेश है लेकिन जब हम उससे मिले और मैं यह भी कहूंगा कि इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से भी कम से कम दो दफे इस सम्बन्ध में मिला, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि चीफ मिनिस्टर को भी, लेबर डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वे यूनियन के सिलसिले में मिसगाइड करते हैं और अपने डिस्क्रिशनरी पॉवर्स का फायदा उठाते हैं। इस सम्बन्ध में मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा, कलेक्टर से भी कहा कि अजमेर इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अन्दर में गवर्नमेंट को पॉवर है उसको आर्बिट्रेशन में देने के, मगर चूंकि यह पॉवर डिस्क्रिमिनेटरी है, गवर्नमेंट ने इस पॉवर का यूज़ नहीं किया। वे पॉवर्स क्या थे ? यह भी मैंने उनको बताया था, मैंने उनको यह भी बताया था कि जो रिलेवेन्ट क्लॉज़ था जिसका कि उपयोग नहीं किया गया। यह डिस्क्रिशनरी भी नहीं है, मैं समझता हूं कि मेन्डेटरी है, उसको लेबर डिपार्टमेंट अमल में नहीं लाया। उसको नहीं लाया जाता है तो इस प्रकार के एक ब्लैंकेट पॉवर्स दे दिये जाते हैं कि क्राइटेरिया भी वे ही तय करेंगे कि कौन रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन है और कौन नहीं। यह क्राइटेरिया वे ही तय करेंगे जो ठीक नहीं है। इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल ने लिखा था कि गवर्नमेंट इन्टरफियर करेगी। करीब करीब सब ही म्युनिसिपेल्टीज़ को पैसा मिलता है। अजमेर के कर्मचारियों ने हड़ताल की, तीन हफ्ता से हड़ताल की, नोटिस दिया और एक हफ्ता पहले तो उन्होंने भूख हड़ताल की थी, लेकिन लेबर मिनिस्टर साहब उनसे एक रोज भी जाकर नहीं मिले होंगे। जब उन्होंने भूख हड़ताल यहां सदन के सामने कर रखी थी, तो जहां तक मेरी जानकारी है, हाउस एडजोर्न हो गया था, उसके बाद वित्त मंत्री ने उनको आश्वासन दिया था कि आपको वापिस काम पर ले लिया जावेगा, लेकिन वापिस लिया नहीं। जब ऐसी स्थिति होती है, हड़ताल होती है, भूख हड़ताल होती है, उन्होंने २१ दिन का नोटिस दिया था, नोटिस देकर उन्होंने लीगल स्टेप लिया था, भूख हड़ताल और हड़ताल करने का अधिकार है;

(श्री पी० के० चौधरी)

उसके बाद भी म्युनिसिपेलिटी के चैयरमैन ७९ आदमियों को विदाउट नोटिस डिस्मिस कर देते हैं। यह उनको लिख कर भी नहीं देते हैं कि हम तुमको डिस्मिस करते हैं लेकिन जबानी हुक्म देते हैं। यदि उनको इस प्रकार से लिख कर देते हैं तो फिर वे ट्रिब्युनल में जाकर उनका फायदा उठा सकते हैं, यह वे जानते हैं, इसलिए लिखकर उनको नहीं देते लेकिन जबानी हुक्म देते हैं। पांच सात साल की लोगों की सर्विस है उनको इस प्रकार से डिस्मिस कर दिया, उनको घर बिठा दिया, लोग काम पर जाते हैं लेकिन उनको काम करने नहीं देते। जब वे लोग घर पर बैठे हैं, उनको काम पर लिया नहीं जाता, लोगों ने हड़ताल की, भूख हड़ताल की, फिर भी हमारे लेबर कमिश्नर साहब सोते रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? जिस लेबर डिपार्टमेन्ट की बात करते हैं, इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट के कानून की बात कर देते हैं, मैं कहूंगा कि यह पूरा का पूरा डिपार्टमेन्ट केवल बताने के लिए है, एक शोपीस है? बाकी इसमें कोई काम नहीं होता है। वह एन्टी लेबर है, एम्प्लोयर्स से मिले जुले हुए हैं। मेरे पास मिसाल है। नवम्बर में हाउस चल रहा था। उस समय मान इन्डस्ट्रियल के मजदूरों के विषय की बात चल रही थी। आर्बिट्रेटर को पैसा खर्च करके अहमदाबाद से निगोशियेशन्स के लिए बुलाया। ऊपर से कन्सीलियेशन ऑफिसर का फोन आता है कि एम्प्लोयर नहीं आये, जब कि वह पास के कमरे में बैठा हुआ था। कन्सीलियेशन करने जावेंगे तो वर्कर्स की मांग सही है और उनको मंजूर करना पड़ेगा, इसलिए बता दिया कि मालिक नहीं आया। लेकिन जब वर्कर्स बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वह अन्दर बैठा हुआ है और ऊपर से टेलीफोन हुआ है कि वह नहीं आया। लेबर ऑफिसर कह देता है कि बाहर गये हैं। इस प्रकार लेबर ऑफिसर्स काम करते हैं। हमारे श्रम मंत्रीजी हैं उनको लेबर के मामले में किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं है, वे तो खास कर स्वायत्त शासन में रहते हैं और लेबर में काम नहीं करते। लेकिन ऑल इन्डिया की संस्था है तो कानून जरूर यहां भी पास कर देते हैं। लेकिन कानून इम्प्लीमेन्ट होता है इसकी उनको कोई परवाह नहीं। अजमेर के म्युनिसिपेलिटी के कर्मचारियों को जब वित्त मंत्री महोदय ने कह दिया था कि वापिस तुमको काम पर ले लिया जावेगा, लेकिन चेयरमेन साहब कहते हैं कि नहीं लेंगे। उन्होंने नोटिस देकर हड़ताल की, उनको इस प्रकार घर बिठा दिया जाता है, वे ट्रेड यूनियन कानून में आते हैं। उस कानून के अन्तर्गत किसी कर्मचारी को वाजिब काम है, संगठन का काम है, उसको आगे बढ़ाने का कोई कदम उठाता है, कोई नोटिस देकर हड़ताल करता है तो कर सकता है लेकिन कहीं उसका विक्टिमाइज़ेशन नहीं होता है; अगर होता है तो वह ट्रेड युनियन एक्ट में आता है। मंत्री महोदय हंसते हैं, उनके दिल में कोई रंज नहीं। उनके बाल-बच्चे भूखे मर रहे हैं लेकिन उनको कोई रंज नहीं है। एक बात मैं इस बीच में कहना भूल गया कि जो ऑल इन्डिया कमेटी है उसने एक एम. पी. को भेजा था। एम. पी. साहब आये और उन्होंने फैसला दिया कि उनको ५) रु० दें। ४) रुपया सरकार दे और एक रुपया म्युनिसिपैलिटी दे, उनका विक्टीमाइज़ेशन न हो, उनको फिर से काम पर लिया जाय। इसको लेबर डिपार्टमेन्ट को फोर्वर्ड किया। लेकिन अजमेर म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन साहब शेर के मालिक हैं। वे उनको वापिस नहीं लेते। मजदूरों पर जुल्म होता है। लेबर डिपार्टमेन्ट है, गवर्नमेन्ट है वह भी उसमें दिलचस्पी नहीं

(श्री पी० के० चौधरी)

रखती। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि लेबर डिपार्टमेन्ट है वह बिलकुल रद्दी है, इसको खत्म कर दिया जावे।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : आपने जो प्रस्ताव रखा है, उसी पर बोलें। लम्बा-चौड़ा भाषण न दें।

श्री पी० के० चौधरी : प्रस्ताव पर ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : It has nothing to do with your motion which only says that it should be referred to the Select Committee. You are speaking on general debate. Atleast you should confine yourself to some limits.

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सिलेक्ट कमेटी में इसको क्यों देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : But this has nothing to do as to how the Labour Department is running......

श्री पी. के. चौधरी : ब्लेन्कैट पॉवर्स दिये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : You cannot say the purpose of the bill is like this. You can speak that it should be sent. If you have any specific proposal regarding the Select Committee you can say so. You cannot make a long and rambling speech.

श्री पी० के० चौधरी : दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, उसमें केन्सलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखा है, वह भी, मैं समझता हूँ रिट्रोगेट है। केन्सलेशन आफ राजस्ट्रेशन में यह रखा है कि कोई यूनियन हड़ताल कर दे तो रजिस्ट्रेशन कैन्सल हो जावेगा, गलती कर दे या कोई ऐसा काम कर दे तो रजिस्ट्रेशन यूनियन का कैन्सल हो जावेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह कौन तय करेगा कि आपकी रजिस्टर्ड यूनियन है? मजदूर हड़ताल करना अपना एक फन्डामेन्टल राइट समझते हैं और इस राइट को उनसे छीन नहीं सकते, लेकिन हड़ताल करने से रजिस्ट्रेशन को कैन्सल करते हैं तो ये सब बातें गलत हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यहां जो यह बिल लाया गया है, केन्सलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन करने की जो कोशिश की गई उसको सोचा नहीं गया है। वे चाहेंगे उसी को नाजायज कर देंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि अजमेर म्युनिसिपेलिटी में कर्मचारियों ने हड़ताल की, फिर उनको गैर कानूनी बना दिया। इसलिए जैसा कर देंगे, अर्बिट्रेरी पॉवर्स दिये जा रहे हैं, मर्जी चाहे जिसको गैर कानूनी कर दें। इस प्रकार का जो कानून में प्रोविजन करते हैं तो इसका जो असली पर्पज़ है उसको डिफीट करते हैं। इसमें यह कहा गया है, इसके ऑब्जेक्टिव में कहा गया है कि चूंकि रजिस्ट्रेशन कम्पनी यूनियन्स को तरजीह नहीं मिले इसलिए यह कानून ला रहे है और राजस्थान में सच्चा ट्रेड यूनियन पनप सके। लेकिन इससे तो कम्पनी यूनियन ही पनपेगी। लेबर ऑफिसर हैं, वे एम्प्लोयर के यहां जाते हैं तो वहां चाय पानी करते हैं। वे उसका फैसला मिल मालिकों से जाकर तय करके करेंगे। उनसे पूछेंगे कि कौन सी यूनियन ठीक हैं, किसी यूनियन के १५ पर्सेन्ट मेम्बर हैं या नहीं। इस हालत में जो फैक्ट्री

(श्री पी० के० चौधरी)

वाले बता देंगे उनको ही करेंगे। चेक एन्ड बेलेन्सेज़ का इन्तजाम आपने नहीं रखा है। जिस मकसद से ट्रेड यूनियन को प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं, जो प्रोसेस रखा है, उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए जो कानून ला रहे हैं, वास्तव में उससे उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। इससे यह होगा कि जो कम्पनी यूनियन आप नहीं रखना चाहते और सच्ची ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हैं वह नहीं बन सकेगी। इस प्रकार से जो एक स्टेटस दे रहे हैं उसका नाजायज फायदा दूसरे लोग उठावेंगे। इसलिए इसको अच्छी तरह से गौर करना चाहिए और इसीलिए इसको सिलेक्ट कमेटी को देना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि किसी युनियन ने स्ट्राइक शुरू कर दी हो और कम्पनी के मालिक या मिल मालिक उस स्ट्राइक को रेज़िस्ट करते हों और उस पर हड़ताल होती है उसके लिए मजदूर लोग चन्दा करते हैं और चन्दा करके उन हड़ताली मजदूरों के पास पहुंचाते हैं। मान लीजिये नेशनल बॉल बियरिंग में हड़ताल होती है उसके लिये स्पीनिंग एन्ड वीविंग मिल के मजदूर सहानुभूति के तौर पर चन्दा इकट्ठा करते हैं और उन पैसों से उन मजदूर परिवारों को रोटी खिलाते हैं, उनके बाल बच्चों को रोटी खिलाते हैं वैसी हालत में जब कि स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल की यूनियन रिप्रेज़ेन्टेटिव यूनियन है और वह मदद करती है, सहानुभूति के तौर पर मदद करती है तो क्या आप उसका रिप्रेज़ेन्टेटिव का करेक्टर छीन लेंगे ? मैं तो समझता हूं, यदि उनका रिप्रेज़ेन्टेटिव करेक्टर छीन लेते हैं तो यह मजदूरों के साथ न्याय नहीं है। इससे होगा क्या कि जितने भी कम्पनी यूनियन्स है वे इससे फायदा उठायेंगे और वास्तव में जो मजदूरों की यूनियन होगी उसको कभी पनपने नहीं दिया जायगा। इससे होगा यह कि कम्पनी यूनियन के सिवाय दूसरी मजदूरों की युनियन्स हैं उनको खत्म कर दिया जायगा। जिन इन्डस्ट्रीज़ में हमारी सरकार का पैसा हो वहां पर भी मजदूर यूनियन्स को पनपने नहीं दिया जायगा, उनको विक्टिमाइज़ किया जायगा; फिर भी सरकार द्वारा किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जायगा।

तीसरी बात यह है, मान लीजिये किसी यूनियन का रजिस्ट्रेशन केन्सिल होता है तो वैसी हालत में री रजिस्ट्रेशन के लिये उसको गवर्नमेन्ट की परमिशन लेनी होती है ऐसे रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज़ेज इसमें रखे गये हैं। मैं श्रममंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, अगर उन्होंने पाक इरादों से, साफ दिल से, यदि वे मजदूरों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो यूनियन की स्टेटस को बढ़ाकर वे ऐसा कर सकते हैं लेकिन यहां तो यह किया जाता है कि लेबर आफिसर और एम्प्लोयर्स को मिलाकर मजदूरों के खिलाफ किया जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा यह निवेदन है कि इसे सिलेक्ट कमेटी में दे दिया जाय। इसमें जो लूपहोल्स है उनके कारण हम जिस ट्रेड यूनियन स्पिरिट को डेवलप करना चाहते हैं वह नहीं कर पायेंगे। इसीलिये सिलेक्ट कमेटी में दे दिये जायं ताकि इसमें जो लूपहोल्स है उनको रिमूव कर दिया जाय।

इसमें भी जो डिस्क्रिशन रखे गये हैं उसको भी बिल्कुल स्पेसिफाइ कर दिया जाय कि किस हालत में रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन्स को माना जायगा, उसका क्या क्राइटे रहेगा। जहां आपने पन्द्रह पर्सेन्ट का रखा है उसमें

(श्री पी० के० चौधरी)

कम्पनी युनियन में पन्द्रह पर्सेन्ट मेम्बर्स का होना तो सेफ है। इसलिए होगा क्या कि लेबर ऑफिसर और फैक्टरी मैनेजर के पास दो तीन यूनियन्स हैं तो वैसी हालत में फैक्टरी मैनेजर अपने लेवर की जो यूनियन होगी उसको रिजेवेंशन के लिए रिकमन्ड करेगा और उसी को रिजर्वेशन मिलेगा। ऐसी हालत में इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में दे दिया जाय ताकि जो भी लूपहोल्स इसमें रह गये हैं उनका इन्तजाम हो जाय; उसके बाद इसको फिर लिया जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो विधेयक सदन के सामने लाया गया है उसका अभिप्राय यह है कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, १९४६ में कुछ संशोधन किये गये हैं, उनके मातहत हम यह चाहते हैं कि राजस्थान के मजदूरों की स्थिति में सुधार हो। इस संबन्ध में जैसा कि इसके साथ की लिस्ट में दिया गया है मैंने भी इस बारे में कुछ संशोधन दिये थे, इस आशा से कि यह बिल कल लिया जायगा लेकिन वे संशोधन आज पेश नहीं हो सके, इसलिये मैं श्रम मंत्री महोदय से इस बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि मेरे संशोधन आये नहीं हैं। कानून में यह नहीं होना चाहिये कि किसी प्रकार सेट बैक रहने दिया जाय। पहली चीज यह है कि इसके मुताबिक आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्ज़ कायम करना चाहते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय सदस्य क्या पी० के० चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं या अमेन्डमेन्ट पर बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा भी अमेन्डमेन्ट इस पर है इसलिये यह मैंने निवेदन किया।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मैं श्री पी. के. चौधरी के अमेन्डमेंट पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : (जारी) श्रीमन् अर्बिटेशन प्रोसीडिंग की मार्फतक्ज़ अवार्ड देने का प्रोवीजन किया गया है जैसा कि इसमें प्रोवीज़न है "The Arbitrator shall, after hearing the parties concerned, make an award which shall be signed by him." But what would happen to that award? How that award will be executed, and if the award is not executed, what penalty is going to be imposed on the employees or the employer.? There is no such provision in the Act. Of course the word 'award' has been defined and so far as I remember, that definition says that 'award' means an interim or final determination by an industrial tribunal of any industrial dispute or of any question relating thereto or by an arbitrator in arbitration proceedings under Sec. 10 (A). Now this award will be given under Chapter III-A but it will not be covered by the definition of the award given to him.

श्रीमन् मेरे कहने का यह अभिप्राय था कि जो एवार्ड की परिभाषा दी गई है वह प्रिन्सिपल एक्ट के अन्तर्गत विजुअलाइज़ नहीं की गई है। चेप्टर तीन अ के अन्तर्गत जो अवार्ड दिया जायगा वह प्रिन्सिपल एक्ट

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

के अन्दर कवर नहीं होता है और इस तरह से जो अवार्ड दिया जायगा वह एम्पलीमेन्ट नहीं हो सकता। अगर इसमें तीन (अ) रखना चाहते हैं तो अवार्ड की डेफीनिशन में संशोधन करना होगा। अवार्ड के मायने यह हैं, "interim or final determination by na Industrial Tribunal." So you should make special provision that the award wnich shall be given during the arbitration proceedings shall be implemented, but you are not going to amend the definition of the award.

पहले यह जरूरी है कि अवार्ड की डेफीनेशन क्या हो ? उसके लिये मैंने संशोधन दिया है वह इस प्रकार था :

"Award ': an interim or final determination by an industrial tribunal of any irdustrial dispute or of any question relating thereto, or by an order in arbitration proceedings under Chapter III-A or Section 10-A."

तो इसलिये मेरी यह प्रार्थना है श्रीमान् कि बिल की सारी स्कीम ही फेल हो जावेगी, अगर अवार्ड की डेफीनेशन में संशोधन नहीं करेंगे और वह अवार्ड भी होगा चैप्टर ३ ए के मुताबिक।

इसके अलावा इस एक्ट में प्रिन्टिग मिस्टेक भी है। पर अगर यहां सदन में उन्हें संशोधित नहीं किया गया है और इसी तरह से पारित कर दिया गया तो बाद में सशोधन करना कठिन होगा।

आगे १० बी में लिखा है : "10B. Submission- (1) Any employer and a Representative union, or in the absence of any registered Representative Union, may other Union which is representative of employees, may, by a written agreement, agree..."

अगर सारे पैरेग्राफ को पढ़ेंगे तो मतलब नहीं निकलेगा। इंगलिश ही गलत है। प्रिंटिंग मिस्टेक भी है। Here 'may' should be replaced by 'any', otherwise you cannot make out head or tail out of this clause 10B.

इस तरीके से जहां तक मैं ख्याल करता हूं अपने क्लॉज़ ३ सब सैक्शन (४) में "(iii) where the owner of any industry in the course of or for the purpose of conducting the industry contracts with any person for the execution by or under the contractor."

कन्ट्रेक्टर की जगह में मेरे ख्याल से कन्ट्राक्ट होगा। कन्ट्राक्टर से सेन्स बनता नहीं, contractor of the whole or any part of any work which is ordinarily a part of the industry, the owner of the industry."

तो श्रीमान् इस प्रिन्टिग मिस्टेक को ठीक करना चाहिये और कन्ट्राक्टर के लिये मैंने संशोधन पेश किया था।

इस दृष्टिकोण से या तो बिल का संशोधन कर लें या एक दो दिन के बाद इसे ले लें। सिलेक्ट कमेटी में भी भेजें, पर इसका जल्दी होना जरूरी है, उसमें कुछ देर अवश्य लग जावेगी। इसलिये ये संशोधन अगर कर लिये गये तो फिर सिलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्यकता नहीं रह जावेगी।

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

रजिस्ट्रेशन के बारे में चौधरीजी की बात ठीक हो सकती है। कानून बनाना एक बात है और उसे इम्प्लीमेन्ट करना दूसरी बात है। इसलिये अगर यूनियनों को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो करना चाहिये, नहीं तो बहुत सी बोगस यूनियनें हो सकती हैं। व्यक्तिगत तौर से मेरा अनुभव है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होने से सेठ लोग बड़ा नाजायज फायदा उठाते हैं। जब वे देख लेते हैं कि कोई युनीयन ठीक बन गई है और उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ गई है तो वे अपनी ओर से उसमें तोड़फोड़ करते हैं। अपनी ओर से उस यूनियन में मजदूरों को मिलाकर उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी को तोड़ देते हैं। इसके एक नहीं कई उदाहरण मैं दे सकता हूं। ऊन के मजदूरों का उदाहरण देता हूं। उनकी १।।) मजदूरी तय की। सब मजदूर एक थे। बार्गेनिंग कैपेसिटी इस तरह से उन्होंने अपनी बढ़ा ली। सेठ लोगों ने यह देखा और फिर उसमें अपनी ओर से मजदूरों को मिलाया और उनको कमजोर बनाकर उनको रिकग्नीशन दे दिया, तो इस तरह से बोगस यूनियनें बन जाती हैं। मैं विजयनगर की टैक्सटाइल इन्डस्ट्री का उदाहरण दे सकता हूं। वहां के सेठ ने जब यह देखा कि वहां की यूनियन उनकी जेब में नहीं रह सकती तो उन्होंने दूसरी बोगस यूनियन बनाई और फिर मजदूरोंमें झगड़े चलाये। अब ऐसी सूरत में सरकार के सामने यह प्रश्न हो सकता है कि कौनसी यूनियन से बात करें। इसलिये यह रजिस्ट्रेशन होना चाहिये, बोगस को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलना चाहिये। फिर भी वास्तव में अगर किसी को रिप्रेजेन्टेशन नहीं मिल रहा है तो अपील का प्रोवीजन भी इसमें है इसके बाद में और भी दूसरे तरीके हैं। अगर हमारा संगठन मजबूत है तो सरकार को ही नहीं, बल्कि एम्प्लोयर को भी मानना पड़ेगा। तो इसलिये रजिस्ट्रेशन की बात जरूरी है। पर इसमें एक बात कहता हूं कि इसमें कमसे कम चन्दा देने वाला, यानी ४ आने की जगह दो आना कर देना चाहिये। राजस्थान में ट्रेड यूनियनें डेवलप्ड नहीं हैं। बल्कि मोस्ट डिस्ऑर्गेनाइज्ड स्थिति में होने के कारण चार आना उनके लिये भारी पड़ेगा। यहां की इन्डस्ट्रीज़ भी बहुत डिस्ऑर्गेनाइज्ड कन्डीशन्स में हैं। बहुत छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज़ हैं; जैसे बीड़ी की है और चीजों की है और उनके अन्दर वहां के मजदूरों को तनख्वाह केवल दस-बारह आना रोज मिलते हैं, तो उनको डेवलप करने के लिए यह जरूरी है कि आप जो मिनिमम रखते हैं वह दो आना रखें। अगर कोई यूनियन ज्यादा चन्दा लेना चाहे तो अच्छा है। यह ठीक है कि ज्यादा चन्दा देना चाहिये। इससे संगठन ही मजबूत होता है। पर चूंकि अभी हमारे यहां ट्रेड यूनियन मूवमेन्ट इन्फेन्ट स्टेज़ में ही है इसलिये उसको प्रोत्साहन देने के लिये चन्दे की दर चार आने की जगह दो आना रखना भी जरूरी है। तो इसलिए मैंने अमेन्डमेन्ट दिये हैं। अगर इनको मन्त्री महोदय स्वीकार कर लें तो खुशी की बात होगी। सिलेक्ट कमेटी को भी उस हालत में नहीं भेजें तो आवश्यक नहीं रहेगा। पर अपने जवाब में उनको संशोधनों से सन्तोष नहीं होता है और वे अगर इनको ठीक नहीं समझते हैं तो फिर प्रवर समिति को भेजें जाने चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ): माननीय अध्यक्षजी, मैं चौधरीजी की इस बात का समर्थन करता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। इससे यह होगा कि इस बिल के अन्दर जो खामियां होंगी और जिन पर इस सदन में विस्तार से विचार नहीं कर सकते, उन पर प्रवर समिति में विचार

(मुक्तिलाल मोदी)

किया जा सकेगा और दूसरी जगह, दूसरे प्रान्तों में किस तरह के बिल हैं उनमें क्या क्या बातें हैं, उनका सारांश करके और उसमें लिया जा सकेगा। इसके बाद वह बिल हाउस के सामने आवेगा तो ज्यादा अच्छा होगा और अगर जल्दी जल्दी में इसे अभी पास कर दिया गया तो जैसे कई बार सरकार करती है वैसी ही गलती इस बार होगी और फिर जो कठिनाइयां और खामियां मालूम होंगी तो उस वक्त सरकार अमेन्डमेन्ट लावेगी, जैसे कई बिलों में लाती रहती है। जैसे जैसे जिस जिस तरह से पार्टी के दबाव से या पार्टी के कहने से बाद में अमेन्डमेन्ट लाये जाते हैं और उससे जो हैरानी और परेशानी सरकार को और इस सदन को होती है वह सब जानते हैं, इससे जिन पर कानून लागू होता है उनको भी परेशानी होती है। तो इसलिये फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रक्खा है उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (उद्योगमंत्री): अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने जो संशोधन रक्खा है उसमें मुख्य एतराज की तीन बातें उन्होंने रक्खी हैं। पहली यह कि रजिस्ट्रार ऑफ यूनियन जो अपोइन्ट होगा वह ऐसा व्यक्ति होने जा रहा है कि जिसमें काबलियत नहीं है। मैं अर्ज करूं इसके लिये कि रजिस्ट्रार का इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है कि कौन होगा या कौन नहीं होगा। इसके लिये यह दलील ठीक नहीं है।

दूसरी बात इसी सिलसिले में यह कही गई कि यह विभाग कैसे काम करता है, उसको लेकर अजमेर की हड़ताल के बारे में बातें कही गई। मैं अदब से कहूंगा कि अजमेर की हड़ताल के बारे में मुझे पूरी जानकारी है। म्युनिसिपैलिटी की तरफ से भी और लेबर डिपार्टमेन्ट की तरफ से भी, और इस बात को मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि उनकी हड़ताल गैर कानूनी है। इस पर भी हमने म्युनिसिपैलिटी और वहां के कर्मचारियों में समझौता कराने की कोशिश की, उन्होंने मन्जूर भी कर लिया, पर वे एक बात पर कायम ही नहीं रहते।

मैं अजमेर की हड़ताल के मौकों पर देखने स्वयं गया हूं। सारी डिटेल में बातें मुझे मालूम हैं। माननीय सदस्य ने मुझसे मिलने की बात का जिक्र किया, वे और किसी से मिले होंगे, मुझसे नहीं और अब भी जो कार्यवाही चल रही है उसमें तीन बार एम्प्लोईज़ से मैं मिल चुका हूं, समझौता करा चुका हूं, पर बार बार एम्प्लोईज़ ने अपने वादे को तोड़ दिया है, ब्यावर से आने वाले सदस्य के सामने एग्री कर लिया था, चिट्ठी भी लिखकर दे दी गई थी पर शाम को मेरे मकान पर आकर चिट्ठी पर विचार नहीं किया, फिर उसके बाद में वित्त मंत्री महोदय ने चिट्ठी लिखी, फिर भी नहीं माने और अब भी मैं तैयार हूं, अगर वे हड़ताल खोलना चाहें। लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि वह पार्टी वगैरह के चक्कर में आकर स्टन्ट बनाये हुए हैं।

अब एक यह कहा गया कि रजिस्ट्रेशन के कॉन्सीलियेशन के लिए पॉवर्स दी गई हैं। अगर कोई इल्लीगल हड़ताल करते हैं तो उसके बारे में मैं यह अर्ज करूंगा कि उस यूनियन को, जिसने कि गैर कानूनी हड़ताल कराई है उसका रजिस्ट्रेशन कैन्सिल तो अवश्य होगा मगर इसके बाद में उसके लिए एक प्रोवीज़न रक्खा गया है कि रजिस्ट्रार के द्वारा की गई कार्यवाही के लिए अगर कोई अपील करना चाहे तो वह ट्रिब्युनल में कर सकता

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

है। अगर रजिस्ट्रार कोई गड़बड़ करता है या ज्यादती करता है तो इसके लिए ट्रिब्युनल का प्रोवीज़न हमने रखा है। अब इससे यह सोचना कि गवर्नमेन्ट को कोई बहुत बड़ी पॉवर्स मिल जायेंगी, ऐसी बात नहीं है। बिलकुल यह इसलिए बनाया जा रहा है कि बहुत से जो इम्प्लीकेशन्स हैं, मिलों के मालिक हैं वे अपनी चालों से मजदूरों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस मकसद के बारे में जो प्रस्ताव रखा है माननीय सदस्य उससे डिसएग्री नहीं करेंगे और इसको मानेंगे कि जो कुछ प्रस्ताव रखा गया है वह बिलकुल ठीक है।

एक बात जो इसको सपोर्ट करते हुए ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, अवार्ड की डेफीनिशन के बारे में, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमने जो इसमें अमेन्डमेन्ट किया है क्लॉज़ ३, सब-क्लॉज़ (२) में; जो टेक्स्ट इस प्रकार है:

"(ii) in clause (b), after words, figures and letter 'under section 10 A' the words, figures and letter 'or under chapter III-A' shall be inserteed',. इसके आ जाने के बाद में जो चीजें हैं वे सारी इसके ऊपर लागू हो जाती हैं। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : Defination of the term 'award' ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : Will you kindly repeat your argument ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने यह अर्ज किया : "3. Amendment of Section 2, Central Act XIV of 1957:- In section 2 of the principal Act:" वह ३ का सब-क्लॉज़ (२) है। इसमें जो डेफीनिशन अमेन्ड की है उसके मुताबिक "(ii) in clause (b), after words, figures and letter 'under section 10A' the words figures and letter 'or under chapter III-A' shall be inserted;" तो इनके मुताबिक इससे कवर हो जाता है। इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसके अन्दर कहीं प्रिन्टिंग एरर्स हो गई हैं तो उनको ठीक करेंगे। लेकिन कानून का जहां तक संबंध है मैं यह अर्ज करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी में इसे भेजने से कोई फायदा नहीं है। हां, अगर कोई बेसिक बात है तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। लेकिन दलील यही है कि चूंकि डिपार्टमेन्ट ठीक काम नहीं करता इसलिए कानून नहीं बनाया जाये, तो यह दलील तो वैसी ही है कि सर दर्द के लिए सर को काट दो। मैं इस बात को मानता हूं कि डिपार्टमेन्ट में काफी इम्प्रूवमेन्ट्स होने चाहिए। यह बात ठीक है। मैं बड़े अदब से यह अर्ज करूंगा कि यह दलील उचित नहीं होगी और यह लेबर के फायदे के लिए ही है। अब मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि जो कुछ मैंने निवेदन किया है उसको सुनने के बाद वे अपना प्रस्ताव वापिस ले लें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मैंने जो बात कहनी चाही थी उसको माननीय मंत्री महोदय ने नहीं समझा है। सब से पहले जो उन्होंने कन्सीलएशन के लिए कहा है कि इल्लीगल स्ट्राइक होगा तो हम उस यूनियन को कैंसल करेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि आज सबसे ज्यादा

(श्री पी० के० चौधरी)

हिन्दुस्तान में इल्लीगल स्ट्राइक्स होते हैं, सिवाय उन जगहों के जहां कि युनियन्स वैल ऑर्गेनाइज्ड हैं। सिर्फ अहमदाबाद, बम्बई और कलकत्ता के लीगल स्ट्राइक्स होते हैं, बाकी जहां लेबर्स वैल ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं वहां ही इल्लीगल स्ट्राइक्स होते हैं। वे स्ट्राइक्स कैसे करते हैं ? किसी को घर बैठा दिया हो या किसी मजदूर को मैनेजर या फोरमैन ने थप्पड़ मार दिया, तो फैक्टरी में काम करने वाले मजदूर टूल डाउन कर देते हैं या उन पर फिर कोई ज्यादती होती है तो उन पर एक्शन्स वह स्पोन्टेनियस ले लेते हैं। अब अगर मजदूर ऐसा करते हैं तो आप उनके स्ट्राइक को इल्लीगल डिक्लेयर कर देंगे और यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैन्सिल कर देंगे। जहां यूनियन्स वैल ऑर्गेनाइज्ड हैं अहमदाबाद या बम्बई जैसी जगहों पर, वहां पर मैनेजर की या फोरमैन की हिम्मत नहीं हो सकती कि किसी को थप्पड़ लगा दे। वहां पर कोई भी स्ट्राइक करेगा तो पूरी तैयारी करके करेंगे, वहां पर कलेक्टिव बार्गेन होता है। लेकिन राजस्थान के जो मजदूर हैं वे न तो कोई कॉन्सेन्सस ऑफ लेबर हैं और न वैल ऑर्गेनाइज्ड उनकी कोई लेबर है। जयपुर में दस-बारह हजार आदमी होंगे बल्कि दस-बारह नहीं पांच-छः हजार ही आदमी ऐसे होंगे जो फैक्टरी में काम करते हैं और यहां ऐसा कोई लेबर नहीं है जो कह सके कि हमारी यूनियन वैल ऑर्गेनाइज्ड है। यहां यूनियन के वैल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होने की वजह से इल्लीगल स्ट्राइक्स होते हैं, जब उनसे इल्लीगल स्ट्राइक्स होंगे तो एम्प्लोयर्स जो हैं वे कॉन्ट्राइव करेंगे और इन्स्टीगेट करेंगे कि इल्लीगल स्ट्राइक्स मजदूरों ने किया है और उनसे किसी भी एक बात में टूल डाउन करा देंगे और बाद में रजिस्ट्रार, यूनियन के पास जायेंगे और कहेंगे कि इनका रजिस्ट्रेशन कैन्सिल कर दो क्योंकि इन्होंने स्ट्राइक्स इल्लीगल किया है। आपका जो कानून है उसका दुरुपयोग होगा, यह मेरे कहने का मतलब था। आपकी जो माइन्स हैं उनमें लगभग एक लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं लेकिन उसके अन्दर यूनियन नाम की कोई चीज नहीं है। सिर्फ एक दो यूनियन्स का ही रजिस्ट्रेशन करा रखा है, मगर उनका कोई ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है। उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वे स्ट्राइक करें। वह तो तभी स्ट्राइक करते हैं जब कि कभी कुछ हो जाये या उनकी ह्युमेनिटी को इन्सल्ट किया जाता है या उनके साथ बुरी तरह से बिहेव किया जाय, तभी स्ट्राइक करते हैं। वह डेलीबरेटली नहीं करते हैं। डेलीबरेट स्ट्राइक होता है तो लोग-बाग नोटिस देकर करते हैं। यहां राजस्थान में जो स्ट्राइक्स होते हैं वे छोटे मोटे होते हैं या फिर स्पोन्टेनियस स्ट्राइक्स होते हैं, क्योंकि मजदूरों को तनख्वाह ही क्या मिलती है। उनको मुश्किल से १ रुपया या १।। रुपया मिलता है। यहां का मजदूर ६ महीने स्ट्राइक करके घर बैठा रहे, उसकी यह हिम्मत नहीं हो सकती। आज राजस्थान का एक भी मजदूर ऐसा नहीं है जो महीने भर भी घर बैठ जावे : क्योंकि हमारे मिनिमम वेजेज़ एक्ट के मुताबिक मजदूर की तनख्वाह १।। रुपया रखी है और इस तरह से उसको मुश्किल से ४५ रुपये एक महीने में मिल पाते हैं। इस तरह से उसकी हिम्मत नहीं है कि वह स्ट्राइक कर दे। स्ट्राइक वही लेबर कर सकते हैं जिनको कि पॉवर ऑफ रेजिस्टेन्स है। लेकिन आप जो यह क्लाज़ रखते हैं तो मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि इस क्लॉज़ की वजह से जो स्टेटस आप उसको देना चाहते हैं, जो अच्छी यूनियन बनाना चाहते हैं वह काम पूरा नहीं हो सकेगा, आपने कहा कि ब्यावर से आने वाले मान-

(श्री पी. के. चौधरी)

नीय सदस्य ने इसका पक्ष लिया है तो मैं कह रहा हूं कि इसका सहारा लेकर कम्पनी वाले अपनी यूनियन बनायेंगे। यहां के किसी भी मजदूर को पूछ लीजिये कि यहां का लेबर ऑफिसर कैसा है। आपके लेबर ऑफिसर की तारीफ मुझसे मत पूछिए। उसकी तारीफ किसी भी मजदूर से सुनिये और बाद में आकर आप मुझसे कहें कि मैं जो बात कह रहा हूँ वह सही है या गलत है। मैं तो सही बात आपको कह रहा हूं कि जो आपके हैण्डस् एण्ड लिम्ब्स हैं, जिनके जरिये आप कानून को इम्प्लीमेन्ट करना चाहते हैं वे इस बिल के काबिल नहीं हैं। इसलिये अर्ज कर रहा था कि ऐसी यूनियनें बनावें, पर उनके रुल्स और रेगुलेशन्स आप ऐसे ले डाउन करें कि वे चाहें तब भी एम्प्लोयर्स के साथ नहीं हो सकें।

२.२१ म० प०

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

फिर मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि स्ट्राइक करना मजदूरों का फन्डामेन्टल राइट है। फिर एक बात और मैं निवेदन करूं कि राजस्थान में इन्डस्ट्री अभी अन-ऑर्गेनाइज्ड है, टेड यूनियन मूवमेन्ट इन्फेन्ट स्टेज पर है और ऐसी सूरत में यहां का मजदूर इतना कमजोर है कि वह स्ट्राइक नहीं कर सकता, वह एक दिन भी सस्टेन नहीं कर सकता। आप देखें कि इतने खान के मजदूर हैं करीब सवा लाख हैं, पर उनमें से कितनों ने स्ट्राइक किया है सिवाय जयपुर के एक-दो कारखानों के? कोई नहीं कर पाता है। उनकी पॉवर आफ रेज़िस्टेन्स ही इतनी नहीं कि वे एक दिन की हड़ताल भी कर सकें।

अब आपने क्या किया है? आपने कलकत्ता-बम्बई की कॉपी कर ली। उनकी यूनियनें बड़ी मजबूत हैं, उनके पास चार-चार, पांच-पांच लाख रुपयों के फण्डस् होते हैं, अगर तीन महीने तक भी हड़ताल चले तो वे भूखों नहीं मर सकते, सस्टेन कर सकते हैं, उनको तनख्वाह मिल सकती है अहमदाबाद में यूनियनों के पास काफी पैसा है, पांच-पांच छः-छः लाख रुपया उनके पास है। दो-तीन महीने वे घर बैठे तनख्वाह ले सकते हैं। उनके लिये इस तरह का प्रोविज़न रहे, यह मैं समझ सकता हूं। पर यहां तो हालत उल्टी है। मैं तो यहां के लिये यह समझता हूं कि थोड़ी बहुत स्ट्राइक यहां हो तो इन मजदूरों में जान आवे। ये तो मिट्टी के जैसे मजदूर हैं। इनके लिये ऐसा कानून आप बनाने जा रहे हैं जिसका नाजायज फायदा आपके अफसर लोग उठावेंगे, इस लिये मेरी यह अर्ज थी।

दूसरी बात अजमेर के बारे में कही गई। वे हड़ताल करके बैठे हैं, कहा गया। मैं कहता हूं वे तो बेचारे काम पर जाना चाहते हैं। हड़ताल कहां है उनकी? छः आदमियों को तो आपने जेल में डाल रक्खा है। वे क्या हड़ताल कर रहे हैं? आज सुबह कह दिया है कि लिख कर देओ, तो काम पर जावें। वित्त मन्त्री सलाह देते हैं पर लिख कर नहीं देते हैं। कहते हैं, आप कुछ लिखकर दे दो। लिख कर नहीं देते।

श्री बद्रीप्रसाद (स्वायत शासन मंत्री): वित्त मंत्री ने लैटर लिख कर दे दिया है।

श्री पी० के० चौधरी: जो लिखकर दे दिया है वह और चीज है। वह कोई लैटर नहीं है जिसके लिये कहा गया है। वह तो लिख रहे हैं, चैयरमैन साहब से मिलिये।

(श्री पी. के. चौधरी)

अब चैयरमैन साहब कहते हैं काम पर चले जाओ, नई सर्विस होगी तुम्हारी। वे कहते हैं हम अपनी पांच, छः, सात साल की सर्विस क्यों खोवें ? यह कोई इन्साफ है ! मांगों के बारे में कुछ नहीं कहा गया, बस आपने तो कह दिया इल्लीगल स्ट्राइक। पर मैं कहूं वह इल्लीगल भी नहीं थी। उनकी तो गलती क्या थी, यह मैं बताता हूं। उन्होंने समय पर नोटिस दिया। पर आगे गलती उन्होंने क्या की कि बीच में १४ तारीख को टेलीग्राम भी दे दिया। आपके कानूनबाज लेबर ऑफिसर लोग उस पहले के नोटिस को भूल जाते हैं और टेलीग्राम की डेट से नोटिस की मियाद गिनते हैं। यह गलती उनसे हो गई कि बीच में उन्होंने एक तार और दे दिया और इस गलती को इन कानूनबाजों ने पकड़ लिया कि इस तारीख से पन्द्रह दिन होने चाहिये। आज हमारे अनपढ़ मजदूर कानूनबाज नहीं हैं, वे वकालत पास नहीं हैं। वकालत पास होते तो तार नहीं देते। यह नहीं समझते वे कि पहले का नोटिस दिया हुआ है, फिर तार क्यों दिया ? उन्होंने तो भोलेपन में यह समझा कि तार देकर हड़ताल करेंगे तो असर पड़ेगा। तो यह तो आपके डिपार्टमेन्ट की खूबी है। आपका डिपार्टमेन्ट इसको भी इल्लीगल करार दे सकता है, तो फिर और भी किसी भी हड़ताल को इल्लीगल करार दे सकता है। इन्टरप्रिटेशन उसका करने का तरीका अजीब है। आपके मजदूर आर्गेनाइज्ड नहीं हैं, इसका भी नाजायज फायदा आपका यह विभाग उठा रहा है। इसलिये इल्लीगल स्ट्राइक की बात कहते हैं। स्ट्राइक इल्लीगल नहीं है, कानूनी है। अब अगर इसको कानूनी स्ट्राइक डिपार्टमेन्ट कहता है तो यह पब्लिक युटीलिटी सर्विस में होती है। इससे विभाग पर जोर आता है। तो अपनी जान बचाने के लिये वे आज इसे इल्लीगल कह रहे हैं।

दूसरी बात, इनकी मांगों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। उन्होंने पांच रुपये मांगे। राजस्थान के तमाम महकमों में ५) रुपया सबको मिला है। वही वे मांग रहे हैं। बहुत ही रीज़नेबल उनकी मांग है। अब अगर आप यह कहते हैं कि नोटिस कम था, तो थोड़ी देर के लिये आपकी बात भी अगर मान लें तो उनकी मांग जो बिलकुल वाजिब थी वह मान लेने में आपको क्या ऐतराज था। पर इसके लिये भी चैयरमैन साहब कहते हैं पांच रुपये जिसको मुझे देना है उसको दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। यह चैयरमैन साहब का रुख है, पैसा आपके पास है। रुपये में ६६ पर्सेन्ट सरकार देती है। मांग उनकी जायज है। तो अब मान लेने में आप हिचकिचा क्यों रहे हैं ? तो यह आपके लेबर डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों का आज रवैया है और सोचने विचारने का तरीका है। वे आज मजदूरों का साथ देने में बहुत पीछे रह रहे हैं। ऐसा सूरत में मेरा यह संशोधन है। अब आप इसको सिलेक्ट कमेटी को देने के लिये तैयार नहीं हैं तो मैं नहीं समझता कि इन खराबियों को आप किस तरह से ठीक करेंगे !

फिर भी मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अपने संशोधन को वापिस लेने की इजाजत इनको दी जावे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री बद्रीप्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जावे।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है कि इस इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूटस को पारित किया जावे।

(राजस्थान अमेण्डमेण्ट) विधेयक, १९५८

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

२. २७ म० प०

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन विधेयक, १९५७
(विचारार्थ एवं पारित)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान सोसायटीज़ रजिस्ट्रेशन बिल, १९५७ को विचारार्थ लिया जावे।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

श्री रामकिशोर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जावे।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया :

२. २८ म० प०

मोटर विहिकल्स (बोम्बे अमेण्डमेण्ट) निरसन विधेयक, १९५८

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर विहिकल्स (बोम्बे अमेण्डमेण्ट) निरसन। विधेयक, १९५८ को विचारार्थ लिया जावे।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस बिल को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

श्री रामकिशोर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जावे।

Page No.72

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

२. २६ म० प०

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, १९५८

(खण्डशः विचार विमर्श)

श्री सम्पतराम (उपवित्तमन्त्री) : मैं

(विराम)

प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाता है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सेल्सटैक्स (संशोधन) विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे।

हमारे सामने यह राजस्थान सेल्सटैक्स (संशोधन) विधेयक, ५८ जो प्रस्तुत है उसके उद्देश्य में जो यह लिखा गया है उसमें बताया गया है कि प्रक्रिया सम्बन्धी कितने ही प्रावधान अस्पष्ट थे उनको स्पष्ट करने की दृष्टि से यह संशोधन विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी कितनी ही धारायें इसके अन्दर हैं जो संशोधन करने के लिए रखी हुई हैं। यह विधेयक है, पर ऐसी कितनी ही धारायें हैं जिनमें अभी संशोधन और होने बाकी हैं। यही नहीं बल्कि इसके अन्दर यद्यपि यह संशोधन करने की मंशा से यहां पर रखा गया है लेकिन इसके अन्दर जो सवा छ परसेन्ट सेल्ज टैक्स की दर है उसको बढ़ा कर ७ परसेन्ट किया गया है। यह इस दृष्टि से केवल मामूली विधेयक नहीं रहता बल्कि एक मनी बिल की श्रेणी में आता है और जब धन विधेयक (मनी बिल) होता है तो इसके लिए राज्यपाल महोदय की स्वीकृति लेना आवश्यक है! कांस्टिट्युशनल मेटर है, जो हमारे सामने है। ऐसी सूरत में जब शुल्क में वृद्धि करते हैं तो उसके लिए राज्यपाल महोदय की स्वीकृति लेना आवश्यक है। अतएव मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह मनी बिल है इसलिये राज्यपाल की स्वीकृति लेनी चाहिये थी। इसके अतिरिक्त सदन का ध्यान क्लोज़ ५ (ख) की ओर दिलाना चाहता हूँ। इसके अन्दर इस बात को हटाया गया है :

"at any time before the assessment is made"

इसको हटाकर यह रखा गया है :

"before the time prescribed for the submission of the next return but not later"

इस धारा को इस तरह से बदलने से कितना अन्तर आ गया है इस ओर देखेंगे तो मालूम होगा कि जो रिटर्न्स देने पड़ते थे उसमें कुछ गलती रह जाती तो उसको दुरुस्त कर सकते थे, लेकिन इसमें त्रैमासिक स्टेटमेन्ट्स देने पड़ेंगे। उस गलती को ३ महीनों में दुरुस्त कर दिया गया तो कर दिया गया, अन्यथा नहीं कर सकते। पहले अधिकार था कि साल भर का पूरा अकाउन्ट बनता था उसके बाद भी भूल रह गई हो तो उसमें सुधार कर सकते थे, लेकिन इस संशोधन से व्यापारियों के हाथ बंध जायेंगे, उनको रिटर्न्स तीन महीनों के अन्दर देने पड़ेंगे।

[श्री दयाकृष्ण विजय]

यही नहीं बल्कि मैं आपका ध्यान एक और चीज की ओर दिलाना चाहता हूँ। 'क्लॉज़ (a)' जो मूल एक्ट की धारा ८ है उसमें दिया है १५ दिन उसके बजाय ३० दिन रखा गया है :

"Information to be furnished regarding change of business: If any dealer liable to pay tax: (a) sells or otherwise disposes of his business or any part of his business"

यदि उसके व्यापार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है या दुकान के नाम में परिवर्तन होता है या किसी के नाम दुकान ट्रान्सफर करता है तो वह सूचना देगा, लेकिन इसके आगे कोई प्रावधान नहीं है। सूचना देने के बाद क्या क्या प्रावधान करना पड़ेगा और सेल्स टैक्स ऑफिसर को सूचना देगा वह किस प्रकार रजिस्ट्रेशन वगैरह करेगा इसका प्रावधान नहीं है।

इसके अतिरिक्त इसी क्लॉज़ १२, मूल एक्ट की धारा १३ की ओर ध्यान दिलाऊंगा; उसके अन्दर व्यापारियों को एक और कठिनाई होती है। यह अपील का चेप्टर है :

"Any assessee objecting to an assessment or refund or an order of penalty, may within sixty days from the date on which he was served with a notice of demand, or the copy of the refund order, appeal to the appellate authority."

लेकिन अपील करने से पहले यदि इस धारा की तहत वह किसी प्रकार से वहां पर उपस्थित नहीं होता है और उपस्थित नहीं होने से जो अतिरिक्त कार्यवाही होती है उसमें जो कुछ सेल्स टैक्स ऑफिसर एसेस करता है वह रकम उसको जमा करानी पड़ती है। उसके बाद में वह अपील कर सकता है। मान लीजिये एक मामूली व्यापारी है वह साल भर में ४०० की प्रोफिट करता है, लेकिन एसेस करनेवाले ने उसकी प्रोफिट की रकम हजार, दो हजार की कर दी तो उसकी ताकत इतनी नहीं है कि इतने पैसे जमा करा दे। लेकिन इतने पैसे जमा कराने के बाद ही वह अपील कर सकता है। इसलिये जो न्याय का आधार है वह खत्म हो जाता है। चाहे दुश्मनी के कारण से सेल्स टेक्स ऑफिसर ने ज्यादा एसेस कर दिया या और किसी कारण से कर दिया लेकिन वह रकम उसको जमा करानी पड़ेगी, फिर अपील की जा सकती है। यदि अपील नहीं करे तो कमिश्नर के पास रिवीज़न में जा सकता है, लेकिन रिवीज़न भी कमिश्नर एन्टरटेन करे न करे। वह कह सकता है कि अपील करिये उसके बाद आइये। इसलिये मूल एक्ट में जो प्रोविज़ो है उसको निकाल दिया जाय तो जो खराबी है वह दूर हो जायगी। इसी तरह की कितनी ही और खराबियें हैं।

इसके आगे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा जो वृद्धि की है उसकी ओर। यह है क्लॉज़ ४ पार्ट (२); इसमें एक शब्द के अन्दर ही सवा छः पर्सेन्ट के स्थान पर ७ पर्सेन्ट कर दिया गया है और यहां पर इस संशोधन के बहाने बिक्री कर में वृद्धि की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की नीति है कि बिक्री कर प्रतिगामी है इसलिये इसको हटाकर उत्पादन कर लगाना चाहिये ताकि व्यापारियों की कठिनाई दूर हो सके। आज छोटे व्यापारी जो २ रु०, ३ रु० रोज कमाते हैं उनको भी खाते-बही रखने पड़ेंगे। दिन भर परिश्रम करने के बाद भी जो इतना सा कमाते हैं उनको भी हिसाब रखने के

(श्री दयाकृष्ण विजय)

लिये मुनीम रखना पड़ेगा, ऐसी सूरत में बड़ी कठिनाई होगी। इसलिये मैं कहूंगा कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय तो कठिनाई दूर हो सकती है। इसलिये मैं कहूंगा कि यह संशोधन अपूर्ण, अपर्याप्त है इसलिये इसे वापिस लेना चाहिये। यदि वापिस नहीं लिया जाय तो इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाना चाहिये यदि जनता स्वीकार करती है कि ६। प्रतिशत पर्याप्त है तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं रहती।

(श्री लक्ष्मीचन्द के बोलने के लिये खड़े होने के साथ ही श्री उप मंत्री के उत्तर देने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : जनमत के पक्ष में उधर से बोल रहे हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक को जनता की ओपिनियन के लिये भेजना चाहिये, उसका मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि सेल्स टैक्स एक्ट में कई ऐसी धाराएं हैं जो जनता को आघात पहुंचानेवाली हैं। पहले यह बात थी कि रिवाइज्ड स्टेमेंट साल भर के बाद भी पेश कर सकते थे लेकिन अब ३ महीने का समय रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, कई जगह डाक की सुविधा नहीं होती। उदाहरण के तौर पर मैं कहूंगा कि सांचोर एक ऐसी तहसील है जहां डाक की अच्छी व्यवस्था नहीं है। वहां पर कई दफा ८,१० महीनों के लिये कॉम्युनिकेशन बंद हो जाता है इसलिये तीन महीनों में स्टेटमेंट नहीं भेज सकेंगे तो जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी।

दूसरी बात यह है कि इम्पोर्टर्स की डेफिनेशन क्लियर नहीं है। पहले ५००० का सामान मंगानेवालों को सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, लेकिन अब किसी ने ५००० का इम्पोर्ट नहीं किया है और १०० रु. का ही किया है तो भी एसेसमेन्ट ऑफिसर कह देगा कि तुम को लाइसेन्स लेना कम्पल्सरी था क्योंकि तुम इम्पोर्टर की डेफिनिशन में आते हो। इस प्रकार की कई कमियें इसमें हैं, इसलिये इसे जनता की ओपीनियन जानने के लिए प्रसारित करना जरूरी है।

श्री सम्पतराम (उप राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स अमेंडिंग बिल का, मेरी समझ में ऐसा आता है, माननीय सदस्य ने ठीक तरह से अध्ययन नहीं किया। इसमें सवा छः का सवाल नहीं, जो क्लॉज़ पढ़कर सुनाये, उसका सवाल नहीं है, वे सारे बिल को पढ़ें तो जो डीलर को डिफिकल्टी आती है, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रह गई थीं, उनको ठीक करते हुए इस सेल्स टैक्स अमेंडिंग बिल के अन्दर हमने आवश्यकतानुसार संशोधन किये हैं। वैसे कोई विशेष आवश्यक बात हो उसमें ही परिवर्तन किया गया है। जहां तक किया गया है आम तौर से डीलर की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है और ज्यादा से ज्यादा ऑपोर्चुनिटीज़ की व्यवस्था की गई है जिससे लोगों को तकलीफ न हो। मैं नहीं समझता कि इस मामले को जनमत जानने के लिए किसी रूप में भी भेजना चाहिए। इस पर पहले भी बहस की जा चुकी है।

एक बात कही है कि साढ़े छः पर्सेन्ट से सात पर्सेन्ट करना चाहते हैं। सवाल यह है कि साढ़े छः से सात इसलिए टैक्स बढ़ाते हैं कि यदि डेसिमल कोइनेज आता है तो उसका पूरा पर्से

(श्री सम्पतराम)

न्टेज आ जाय, इसलिए हमने साढ़े छः से से सात पर्सेन्ट कर दिया है। इसके अतिरिक्त अभी जो ऑल इंडिया कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें फैसला किया था कि जितनी लग्ज़रीज गुड्स होंगे, उन पर कम से कम सात पर्सेन्ट टैक्स लगेगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने यह आवश्यक समझा कि दरें बढ़ाई जायं। इसके अलावा क्लॉज़ कोई खास तो है नहीं, जिसमें आपत्ति हो।

एक और बात कही गई जो १५ दिन के सम्बन्ध में है, हमने पीरियड दिया है कि १५ दिन में आये, ३० दिन में आये, फिर समय का सवाल कहां आता है? जितने साधन हो सकते हैं, जितना इस बिल को प्रगतिशील बनाया जा सकता है जितनी लीगल फ्रेज़ियोलोजी ठीक की जा सकती है, जहां कमियों को रिमूव किया जा सकता है, उनको दूर किया गया है। इन सब बातों को देखते हुए, मैं मानता हूं, यह संशोधन, यह सुझाव जो रखा गया है कि इसको जनमत जानने के लिए पुनः भेजा जाय, यह कोई मायने नहीं रखता। मैं इसको नामंजूर करता हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है, वह ऊपर से लीपा पोती मात्र है। जो कुछ मैंने प्रश्न उठाये थे, उन प्रश्नों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। मैं समझता हूँ, शायद जब मैं बोल रहा था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मुझ पर आक्षेप लगाया कि बिल मैंने पढ़ा नहीं है। मैं सदन का अधिक टाइम नहीं लेना चाहता। जब उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने किन सेक्शन्स पर किस प्रकार की आपत्ति उठाई थी, मैं फिर संक्षेप में रखना चाहता हूँ। सेक्शन १३ के अन्दर बताया था कि उसमें अपील का प्रोवीजन है, उसमें लिखा है कि १५, ३० दिन कर दिया है, लेकिन यह धारा मैं नहीं लूंगा। उसका जो प्रोविज़ो है, उस पर मैंने आपत्ति की थी, उसका उत्तर नहीं दिया है। मैंने सेक्शन ८ के बाद बताया कि सेक्शन ८ के बाद आखिर क्या करना पड़ेगा, उसकी जो बिज़नेस है, उसमें रद्दोबदल हुई है, उसमे चेंज हुए है, उसका ट्रान्सफर हुआ है, उसकी इन्फोर्मेशन देने के बाद व्यापार करना पड़ेगा। इसमें एक क्लॉज़ की कमी है क्योंकि उसके विषय में लिखना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, इसलिए सेक्शन आठ के बाद प्रोवीज़न होना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त मैंने अपील्स के प्रोवीज़न के बारे में बताया। अपील के सम्बन्ध में सेक्शन १३ में है : "Provided that no appeal shall be entertained under this sub section unless it is accompained be a satisfactory proof of the payment of the tax in respect of which the appeal has been preferred." जब तक इस सेक्शन के अनुसार, जो इकतरफा कर थोपा करता है, एक सर्टिफिकेट ऑबटेन नहीं करेगा, उसकी अपील मंजूर नहीं की जायगी। इस क्लॉज़ में इस बात को रखा है कि किसी की अपील हो जाय तो उस टैक्स का, जब तक पेमेन्ट न हो जाय, उस पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है। जो पेमेन्ट का प्रश्न है, उसको हटाया नहीं गया है। जब तक यह प्रोवीज़न है व्यापारियों पर ज्यादती होगी। इसका जवाब भी माननीय उपमंत्री द्वारा नहीं दिया गया है।

एक प्रश्न सबसे बड़ा खड़ा होता है कि इसमें टैक्स की वृद्धि की गई है, इस बिल पर

Page No.76

(श्री दयाकृष्ण विजय)

राज्यपाल की स्वीकृति होना आवश्यक है, इसका भी जवाब नहीं दिया है—

श्री उपाध्यक्ष : It is there with me, it is with me.

मेरे पास है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं यह बताना चाहता हूँ कि इसमें काफी कमियां हैं, इसलिए इन बातों को रखते हुए, मैं साफ तौर से बताता हूँ कि मेरे संशोधन को स्वीकार करें, या इसका जवाब दें या इसे जनमत को जानने के लिए प्रसारित करें ताकि उसमें उचित संशोधन हो सके। जो कुछ जवाब माननीय उप मंत्री द्वारा दिये गये हैं, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ और मेरा जो प्रस्ताव है उसे वापिस नहीं लेता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय....

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को जनमत के लिए प्रसारित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह : मेरा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

खण्ड २ (मूल अधिनियम की धारा २ में संशोधन)

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ २।

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्लॉज़ दो में संशोधन है कि इसे विलोपित कर दिया जाय। अभी तक जो मेलों में आमदनी होती है, या मेले में जो बिक्रियां होती हैं, उस पर टैक्स नहीं लिया जाता है। पहले क्लॉज़ दो में यह स्पष्टीकरण कर दिया है कि मेला क्या है, मेले की डेफीनिशन दी गई है। मेले की जो डेफीनिशन है, यद्यपि मेरा जो संशोधन दिया हुआ है, उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। बाद में एक संशोधन आ रहा है क्लॉज़ ३ में, उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जो भी डीलर मेले में बिक्री करेगा और उसकी ४५०) रु० महीने से ज्यादा बिक्री होगी तो उस पर टैक्स लगेगा। तो मेरा इसमें निवेदन यह है कि यह हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति को, जिसकी ४५० रुपये से ज्यादा एवरेज इन्कम हो, अथवा ५०० रुपये के करीब बिक्री हो, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। यह तो कोई बात नहीं है कि इतनी आमदनी होने पर टैक्स क्यों न दें, लेकिन इसमें जो कठिनाई होती है, वह यह है कि इसमें स्पष्टीकरण इस बात का तो नहीं है कि कौनसे गुड्स ऐसे हैं कि जिन पर टैक्स लगेगा, यह स्पष्ट नहीं दिया गया है कि यह किस प्रकार की बिक्री के लिए है। इसलिए मेरा ख्याल है कि क्या यह टैक्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर लगेगा या उसके साथ ही मवेशी भी उसमें शामिल हैं। यदि मवेशी शामिल नहीं है तो स्पष्टीकरण कर दीजिये; मैं अपना संशोधन वापिस ले लूंगा। (विराम) यदि मवेशी शामिल नहीं होंगे तो मैं अपना प्रस्ताव

(श्री तनसिंह)

वापिस ले लेता हूं। (विराम) यह स्पष्ट नहीं है इसका अर्थ यह होता है कि मवेशी पर टैक्स लगेगा। (विराम) मवेशी की बिक्री पर टैक्स लगेगा या नहीं, आप यह मालूम कर लीजिये।

तो एक तो सबसे बड़ी अड़चन यह होती है कि एक ऊंट की कीमत ६०० रु० होती है। यदि कोई आदमी चार-पांच ऊंट बेचता है तो उसकी कीमत पांच हजार के करीब हो जाती है। अब मुश्किल यह है कि बेचने वाला जो ऊंट का मालिक होता है, वह आम तौर पर पढ़ा लिखा नहीं होता है। जब पढ़ा-लिखा नहीं होता है तो उसे टैक्स सरकार को देना पड़ेगा, उसमें कुछ दिक्कत आयेगी और इस सिलसिले में कुछ रुपया उसे, जो करों सम्बन्धी प्रेक्टीशनर होते हैं, उनको देना पड़ेगा। रिटर्न भरना, उसको पेश करना, ये ऐसे झगड़े हैं, जिनमें उनको और खर्च करना पड़ेगा। आज यदि हम मेलों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि जो मेले में क्रय-विक्रय करते हैं, उनको कोई झंझट मोल न लेना पड़े। इस तरह यदि आप मेलों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो टैक्स नहीं लेना चाहिए। आपने यह भी कहा है कि बाहर से आने वाले लोग हैं, उन पर यह टैक्स लगेगा, जो अन्दर के बेचने वाले होंगे, उन पर टैक्स नहीं लगेगा। इस बात से भी मवेशी बेचने वालों पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर के लोग मवेशी बेचने वाले होंगे, उनके लिए आफत रहेगी रिटर्न पेश करने की, तो इससे निश्चित रूप से हमारे यहां पर भी असर पड़ेगा। ऐसी सूरत में जो अमेंडमेंट रखा गया है मेले के सम्बन्ध में उसको डिलीट करने का प्रस्ताव मैंने रखा है। मैं समझता हूं, इसको स्वीकार किया जायगा।

श्री सम्पतराम (उप मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मेले के सम्बन्ध में एक अमेंडमेंट रखा है। मैं आपको बताऊं कि इसमें कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका मवेशी बेचना पेशा होता है, वे बाहर से आते हैं, उनको जो मेले से आय होती है, उसमें से टैक्स देना पड़ेगा। यह प्रिंसिपल मान लिया है तो उसके बाद क्या आपत्ति है? जहां तक मवेशी का सवाल है, अन्त में आप देखेंगे, एक लिस्ट है, उसमें लिखा है : 'Description of goods, men, Livestock, excluding camel, sheep and goat." इनसे कवर होता है।

श्री तनसिंह : Camel, sheep and...

श्री दामोदरलाल व्यास : Goat.

श्री उपाध्यक्ष : शी केमल के साथ नहीं लगा हुआ है।

श्री सम्पतराम : तो छोटे लोगों पर इसका असर नहीं होता. जो इस तरह का पेशा करते हैं, उनसे टैक्स लेने का सवाल है। और वह भी उस सूरत कि वे रजिस्टर्ड डीलर्स नहीं हों तब। अगर रजिस्टर्ड डीलर्स हैं तो उनसे और निर्धारित तरीके से टैक्स लिया जायगा। नहीं हैं, तो उनसे यह टैक्स वसूल किया जायगा। वहां मेले में भेड़, बकरी होती हैं, चाहे घूमना फिरता बेचता है या दूकान लगा कर बेचता है, उससे यह टैक्स वसूल किया जायगा। तो मैं समझता हूं कि यह अमेन्डमेन्ट आवश्यक नहीं था और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसे वापिस ले लेंगे।

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भेड़ें और बकरियें तो मेलों में बिकती ही

(श्री तनसिंह)

नहीं हैं, शायद अलवर में एक-आध मेले हों वहां बिकती हों, पर मैंने तो इन भेड़ बकरियों को मेलों में बिकते नहीं देखा, ऊंट जरूर बिकते हैं, पर पता नहीं बैल-गाय को इसमें क्यों नहीं रखा गया, यह तो बैलों की जोड़ी रखने वाले ही ज्यादा जान सकते हैं।

पर कहा गया कि बाहर से आने वाले लोगों का धन्धा होता है, हो सकता है, पर ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनका आम तौर पर धन्धा नहीं होता है और बेचने वाले भी निश्चित रूप से शहरों वाले नहीं होंगे, क्योंकि उनको यह पता ही नहीं कि गाय की क्या कीमत है, बैल की क्या कीमत है और ऊंट की क्या कीमत है ? गांवों में रहने वाले बेचते हैं। जब यह सिद्धान्त मानते हैं कि जो बेचता है उसको टैक्स देना चाहिए तो फिर आपका मेला लगाने का उद्देश्य क्या है, मेले लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिये। जब आप बड़े बड़े पूंजीपतियों को बड़ी बड़ी फैक्टरीज़ लगाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं कि अगर आप फैक्टरी लगायेंगे तो यह सुविधा आपको देंगे। इसी तरह मेले में क्रय-विक्रय करने वाले लोगों को भी सुविधायें देकर प्रोत्साहन देना चाहिए। क्योंकि मेले ही ऐसे बढ़िया साधन हमारे देश में हैं कि खेती के उपयुक्त औज़ार, बैल, मवेशी इत्यादि वहां मिल जाते हैं और इसीलिए मेले में जो क्रय-विक्रय हुआ करता है उस पर सेल्स टैक्स लगा कर आप बड़ा झगड़ा पैदा कर रहे हैं। आप बड़े बड़े पूंजीपतियों को बड़े बड़े प्रोत्साहन और आश्वासन दे देकर सेल्स टैक्स से मुक्त करते हैं तो फिर छोटे २ काश्तकारों पर इस प्रकार का टैक्स लगा कर उन्हें हतोत्साहित क्यों कर रहे हैं ? इससे तो यह अच्छा होता कि मेले के चारों ओर तारबन्दी कर देते और अन्दर आने के लिए प्रवेश फीस लगा देते, ऊंट पर ज्यादा लगा देते और मवेशी पर उससे कम; तो इससे यह सेल्स टैक्स का टन्टा मिट जाता, आपको तो पैसे वसूल करने हैं तो आप किसी तरह से किसी आदमी को पकड़ कर उससे पैसे वसूल कर सकते हैं।

२.५३ म० प०

(श्री सज्जनसिंह, सभापति, पदासीन)

जब आपको इस तरह सीधे रास्ते से पैसे मिल जाते हैं तो इस तरह टैक्स लगाकर पैसे वसूल करने की आवश्यकता क्या है ? इस सीधे तरीके से पैसा वसूल करने से सेल्स टैक्स की सारी तवालत मिट जायगी। इसीलिये मैंने यह अमेंडमेन्ट रखा है, कोई वजह नहीं कि मैं इसे वापिस लूं। अच्छा होता कि मन्त्री महोदय इस पर सोच-समझ कर जवाब देते, पर ऐसी कोई बात उनके जवाब से नहीं प्रकट होती।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : (मंत्री महोदय से) आप जवाब दे चुके ?

श्री सम्पतराम : जी हां।

श्री सभापति (श्री तनसिंह से) : आप इसे वापिस लेने को तैयार नहीं ?

श्री तनसिंह : जी नहीं।

श्री सभापति : तो इसको वोट पर रखा जाय ?

श्री तनसिंह : जी हां।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टेक्स (अमेंडमेंट) बिल, १९५८

Page No.79

(श्री सभापति)

के क्लॉज २ पर श्री तनसिंहजी का जो अमेंडमेंट है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

अमेंडमेंट गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २, "Amendment of Section 2, Rajasthan Act, xxix of 1954", विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ३, श्री तनसिंह।

खण्ड ३ (मूल अधिनियम की धारा ३ का संशोधन)

श्री तनसिंह : यह अमेंडमेंट इसी सम्बन्ध में है। पहले के दो के अमेंडमेंट में डेफिनेशन थी, इसमें स्पष्टीकरण किया गया है। क्लॉज ३ में लिखा है : "Provided that a dealer who comes from outside the State and carries on business during a mela shall be liable to pay tax under this Act if his average sales during the course of the mela exceed Rs. 450 per month."

अब यह मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर से आने वाले व्यक्ति मेले में विक्रय करते हैं और उसकी ४५० की औसत से ज्यादा आमदनी होती है तो उसको टेक्स देना आवश्यक है। जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उन लोगों से टेक्स लेना चाहते हैं, स्टेट के भीतर बेचे तो उससे टेक्स नहीं लेना चाहते। यह ठीक है पर यह समझ में नहीं आता कि बाहर से आने वालों से टेक्स क्यों लेना चाहते हैं? यह तो निश्चित बात है कि मवेशी जिसकी अच्छी नस्ल होगी उसको ही कोई खरीदेगा और अच्छी मवेशी को खरीदने पर हमारे यहां के पशुधन का विकास होगा। जो बाहर से यहां आकर बेचेंगे उससे हमारे पशुधन का विकास होगा, बाहर से आने वालों पर टेक्स लगाते हैं और भीतर वालों पर टेक्स नहीं तो मेलों के अन्दर बाहर से आने वालों को आप प्रोत्साहित नहीं करना चाहते, मेरी समझ में यह सिद्धान्त नहीं आता। इससे क्या अभिप्राय है कि बाहर से आकर व्यापार करें उनको तो टेक्स देना पड़े और अन्दर रहने वालों को टेक्स नहीं देना पड़े। मेरा तो यह कहना है कि जिस तरह अन्दर रहने वालों को टेक्स नहीं देना पड़ता उसी तरह बाहर से आने वालों को भी टेक्स से मुक्त रखना चाहिये।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ) : माननीय उपाध्यक्ष, श्री तनसिंह ने जो अमेंडमेंट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। बाहर से आनेवाले लोग जो पशु बेचते हैं, उनके ऊपर टेक्स लगाना बहुत बुरी चीज है, इसका सैद्धान्तिक रूप से विरोध करना चाहिये। इसमे फिजूल में प्रोविन्शियलिज़्म की भावना बढ़ेगी। दूसरे प्रोविन्स के आते हैं तो उन पर टेक्स लगाना चाहिये, यह उचित नहीं है। बाहर से आनेवालों पर यह कर नहीं लगेगा क्योंकि वे लोग उस व्यक्ति पर यह कर लगाएंगे जो उसको खरीदेगा। वह भी तो अपने

(श्री मदनसिंह दांता)

टैक्स से बचने के लिये इतनी कीमत बढ़ा कर पशु की कीमत रखेगा और इसलिये यह टैक्स उसी पर गिरेगा जो उसको खरीदेगा। इसलिये माननीय मन्त्री महोदय उसको ठीक ढंग से समझाएं कि यह किस तरह से वाजिब है ? तो हम उस बात पर संतोष करेंगे कि किस तरह से बाहर से आनेवालों पर यह टैक्स लगाने से सरकार को और हमको लाभ होगा। मैं यह कहूंगा कि कोई फायदा नहीं होगा और भावना कितनी खराब हो जावेगी। वे लोग बाहर से यहां पर मेल में आते हैं और गांव गांव में रहते हैं, खर्च करते हैं और फिर उन पर यह टैक्स लगता है तो यह उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह तो निश्चित बात है कि जब कभी वे उन पशुओं को बेचेंगे तो कभी नुकसान नहीं उठावेंगे और जो उनको खरीदेगा उस पर ही यह टैक्स होगा। इसलिये मैं यह समझता हूं कि ये दो चीजें नहीं होनी चाहिये। आज जब हम सब देश को एक राष्ट्र मानते हैं तो इस प्रकार की दो चीजें नहीं होनी चाहिये। यदि यह बड़े बड़े हीरों और पन्नों के व्यापार पर हो तो अच्छी बात होती। मगर उन लोगों को तो पहले से ही बाहर से आने में भी बहुत कठिनाई होती है और काफी खर्च करना पड़ता है। यदि उन पर फिर यह टैक्स लगता है तो उचित नहीं कहा जा सकता, इससे यह होता है कि खरीदने वाले की हालत खराब होती है और यदि वह जानवर नहीं बिकता है तो उसकी भी हालत खराब होती है। फिर इसमें भ्रष्टाचार फैलेगा और इसकी जांच कौन करेगा, इसलिये मैं यह समझता हूं कि जो लोग बाहर से आवेंगे उनसे यह टैक्स नहीं लिया जाए। अगर सरकार की यही मंशा हो कि बाहर से लोग न आवें तो यह ठीक हो तो मैं यह कहूंगा कि मेले बहुत कम तादाद में रह जावेंगे और जो अच्छे अच्छे पशु बाहर से लोग लाते हैं वे बाहर से लाना बन्द हो जावेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय समझावेंगे कि बाहर से आने वालों से टैक्स वसूल करने का उनका क्या आशय है। इस पर विचार प्रकट करेंगे तो उचित होगा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय सभापति, मेरे माननीय सदस्य तनसिंह ने जो संशोधन रखा है वह सोचने की चीज है कि मेलों में टैक्स लगाए जाएं और वह टैक्स भी करीब १५ रुपयों की बिक्री पर हो। आप सोचिये कि एक खोमचेवाला है उसकी भी बिक्री मेले में १५ रु० रोज की हो जाती है। अगर उसको कोई लाभ नहीं होगा तो फिर वह मेले में आएगा क्यों ? उसको परेशानी होती है आने और जाने में। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां धौलपुर शरद मेला में जिस वक्त स्टेट थी मेले होते थे और उस समय कस्टम ड्यूटी थी, मगर मेले के समय सरकार आधी कस्टम लेती थी और आधी कस्टम लेन पर भी सरकार की आमदनी एक लाख से ज्यादा होती थी। मगर आज वहां पर सेल्स टैक्स है, वहां की आमदनी आप देखेंगे आधी भी नहीं होती है। आपको मेले में आने वालों को राहत देनी चाहिये, जितनी आप दे सकें जिससे मेले बिगड़ें नहीं और गांव वालों और दूसरे आनेवालों का मनोरंजन हो जाए। इस प्रकार छोटे छोटे टैक्सों से विशेष आय नहीं होगी। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और खास तौर से राजस्थान के अच्छे अच्छे मेले हैं वहां पर इस प्रकार का टैक्स न लगाएं तो उत्तम होगा।

श्री संपतराम (उप मन्त्री) : माननीय सभापति, इसमें मेले की परिभाषा दी है उसमें साफ लिखा है : " 'Mela' means any fair or exhibition notified by the State Government from time to time, where goods are displayed for sale." Particularly, the name 'goods' is there.. इसके अलावा दूसरी बात जो उन्होंने कही कि बाहर से आनेवाले व्यापारियों पर यह टैक्स क्यों लगाया जाए, इसके दो तीन कारण हैं। एक तो यह कि वे लोग डिफरेन्ट स्टेट्स में व्यापार करते हैं और वहां के रजिस्टर्ड डीलर्स नहीं हैं और दूसरी बात यह कि जब हम उनसे टैक्स नहीं लेते हैं तो हमारे यहां लोकल डीलर्स को नुकसान होता है। इसलिये निश्चित तौर से यह टैक्स लगना चाहिये। हमारे यहां के डीलर्स रजिस्टर्ड हैं उनको सेल्स टैक्स जब देना पड़ता है और बाहर से आनेवाले लोग नहीं देते हैं तो आपस में कॉम्पीटीशन में बाहर के व्योपारियों का माल कम कीमत पर बिकता है। इससे भी हमारे यहां के व्यापारियों को नुकसान होता है। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि उन पर भी टैक्स लगाया जाए।

दूसरी बात यह है कि आप मेले में बिक्री से मतलब गाय, बैल पशु से ही न समझें मेले में और भी चीजें होती हैं। मैं समझता हूं कि इतना स्पष्टीकरण होने के बाद आपके समझ में आ गया होगा कि बाहर के व्योपारियों से भी टैक्स लेना चाहिये। इसी प्रकार का टैक्स दूसरी स्टेट्स में, जैसे मध्यभारत में और दूसरी सभी जगह लिया जाता है और हमारे व्योपारी वहां जाते हैं वे इस प्रकार का सेल्स टैक्स देते हैं। इसलिये आपको यह नहीं समझना चाहिये कि इससे नुकसान होगा। इसके अलावा इसमें गवर्नमेंट नोटिफाई करने की बात है। जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तब होगा। इसलिए मैं यह समझता हूं कि जो चीज यहां पर रखी है वह ठीक है और माननीय सदस्य अपना एमेन्डमेंट वापिस ले लेंगे।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, इस तरह की दलीलें जो दी गई हैं मैं समझता हूं हमको वे बिल्कुल गुमराह करने की बातें हैं। मेले की डेफिनिशन में आपने बताया है : "goods are displayed for sale." जिस जगह पर गुड्स सेल के लिये डिसप्ले किया जावे वही मेला होगा। उसमें चाहे जो चीज हो बेची जावेगी, उसका नाम मेला होगा। मगर क्लॉज़ ३ में यह नहीं लिखा है : "A dealer who comes from outside the State and carries on business during a Mela shall be liable to pay tax. irrespective of the fact that he sells goods or not." यह बात यहां पर नहीं है। जो मेले की डेफिनिशन है उसमें चाहे जो गुड्स हों उनको डिसप्ले किया जावे, उसको मेला माना जावेगा। मेले में जो माल आप बेचने आते हैं उस पर टैक्स लगेगा चाहे आप मवेशी बेचते हैं तो मवेशियों पर टैक्स लगेगा और दूसरी चीज बेचते हैं तो उस पर लगेगा। यह क्लॉज़ ३ में साफ है; मैंने पहले इस बात के लिये स्पष्टीकरण की मांग की कि अगर आप यह टैक्स मवेशियों पर नहीं लगाते हैं तो मैं अपने एमेन्डमेंट को वापिस ले लूंगा, मगर आपने यही कहा कि ऊंट, भेड़, बकरी पर नहीं लगेगा। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर ऊंट, भेड़, बकरी बाहर से नहीं आते। जो चीज हमारे यहां पर नहीं होती वह बाहर से आती है और जो यहां

Page No.82

(श्री तनसिंह)

पर होती हैं उसके लिए बाहर से आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए क्लॉज़ ३ में यह कहना कि गुड्स की डेफिनिशन दी हुई है उचित नहीं है, मैं यह कहूंगा कि यह हमें गुमराह करने की बात है। यह सभी पर लागू होगा : "anyone who comes from outside the state and carries on business during the Mela ." इसमें बिज़नेस गुड्स भी हो सकते हैं, मवेशियों के बेचने का भी हो सकता है; ये सारी बातें इस पर लागू होती हैं।

दूसरी बात आपने यह बताई कि रजिस्टर्ड डीलर्स नहीं हैं और इसका असर हमारे व्यापारियों पर पड़ता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि बाहर से दूसरे लोग आकर अपना सामान बेचते हैं और इसका असर हमारे डिलर्स पर पड़ता है तो इसमें सरकार को परेशान होने की जरूरत नहीं। सरकार अपनी परेशानी बताना चाहती है, मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि वास्तव में यह टैक्स उन लोगों पर लगेगा जो वास्तव में उसे खरीदेंगे। वे लोग जो बाहर से चीज बेचने आवेंगे वे तो वह सब खरीदने वालों से वसूल करेंगे। इसलिए यदि आप लोकल डिलर्स के साथ ऐसा करते हैं तो यह ठीक नहीं है और यह मेलों के लिए भी हितकर नहीं है। बाहर से दूर दूर से लोग आते हैं, उनको इतनी दूर से आने के लिए कुछ तो लालच होना ही चाहिए, कुछ तो लाभ होना ही चाहिए। अगर उनको कुछ भी लाभ यहां पर मेलों में आने से नहीं होगा तो वे खर्चा आने के लिए नहीं करेंगे। उनके लिए तो यहां के लोकल डिलर्स से कॉम्पीटिशन में आने के लिए खर्च होता है वह भी उनके लिए तो काफी है और इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इसमें गुड्स को रख दीजिए लेकिन मवेशी के लिए एक्मेम्प्शन कर दीजिए। यदि एक्मेम्प्शन कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में कोई ऐसी मवेशी नहीं होगी जो बाहर से यहां आती हो, बाहर से यदि यहां आती भी है तो इसको इसमें से निकाल दीजिए, मेले में कोई बाहर से मवेशी लाते हैं तो इसलिए भी इसको इसमें से निकाल दीजिए। मैं समझता हूँ कि यह ठीक होगा। यदि आप मवेशी को इसमें से निकाल देते हैं तो इसको स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ।

श्री सम्पतराम (उप मंत्री) : सवाल यह कि किन किन पर टैक्स लगेगा? शीप और केमल हैं they are taxable इसके अलावा जो हैं वे फ्री हैं। शीप और केमल राजस्थान में बाहर से आते नहीं हैं। ये तो राजस्थान में ज्यादा हैं और बाहर से आते नहीं हैं।

श्री मदनसिंह : बाहर से नहीं आते हैं तो फिर इसको हटा ही लेना चाहिए।

(विराम)

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : क्या आप (श्री तनसिंह) इसको विद्ड्रॉ करेंगे?

श्री तनसिंह : नहीं साहब, विद्ड्रॉ का तो सवाल ही नहीं है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स अमेन्डमेन्ट बिल के क्लॉज़ ३ पर जो श्री तनसिंहजी ने अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

अमेन्डमेन्ट गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ राजस्थान सेल्स

(श्री सभापति)

टैक्स अमेन्डमेन्ट बिल में अंग रूप से जोड़ा जाए।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज ४ (मूलअधिनियम की धारा ५ में संशोधन)

श्री तनसिंह : [संशोधन इस प्रकार है : "Substitute the figure and words '5 percent' for the words occurring in part II of clause 4"]

सभापति महोदय, इस संशोधन को रखते हुए मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। सवाल यह है कि ६। परसेंन्ट के बजाय ७ पर्सेन्ट कर दिया गया। दो दलीलें इस सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी ने दी हैं उस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। एक बात तो डेसीमल कोइनज को लेकर कही गई है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि यह डेसमल कोइनेज की बात यहां आकर कैसे टपक पड़ी; किसी में डेसमल के कारण कोई घाट की बात का हो तो बता दीजिये, लेकिन हम देखते हैं कि जहां जहां भी मांग की गई है वहां ज्यादा ही ज्यादा मांगा है। यह दलील इसके लिए भी दी और कहा कि इसलिए ६। पर्सेंट से ७ पर्सेंट करना चाहते हैं।

दूसरी दलील यह दी है कि ऑल इन्डिया फाइनेन्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेन्स हुई थी और वहां इसको तय कर लिया गया था। यहां यह दलील दे कि चूंकि वहीं पर इसको तय कर लिया गया है इसलिए यहां सदन को भी इसको मान लेना चाहिए, हम समझते हैं कि यह तो हमारे पर एक दबाव डालना है। हमें यह कन्वीन्स कीजिये कि ६। से ७ पर्सेंट इस कारण किया है, इस वजह से बढ़ाया है ? आपकी कान्फ्रेन्स में तय हो गया होगा लेकिन यह हमारे लिए हितकर है या नहीं, राजस्थान के लिए यह हितकर और लाभदायक है या नहीं, यह विचार करने का हमारा अधिकार है। दो दलीलें माननीय मंत्री महोदय ने दीं इसलिए जवाब दिया। लेकिन यदि टेक्स बढ़ाने का ही सवाल है तो स्पष्ट उनको कहना चाहिए कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम टेक्स बढ़ाना चाहते हैं। आप किसी ढंग से बताइये, आप कन्विन्स कीजिये कि हमारे पास पैसा नहीं है और इस कारण से हम बढ़ाना चाहते हैं, हम उसको मान लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव रखता हूँ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय सभापति, क्लॉज़ ४ के पार्ट २ में परिवर्तन किया गया है उसके पीछे मुझे कोई आधार नजर नहीं आता है। सिर्फ एक ही आधार नजर आता है और वह यह है कि जो इस प्रकार से पोलिसी चल रही है वह चुपचाप चोरी से चलने की है और जनता पर करों का भार बढ़ाने की है। इसमें भी यही तरीका अपनाया गया है। कहा यह जा रहा है कि दशमलव प्रणाली अपनाई गई है और चूंकि वह १ अप्रेल से लागू हो जायगी इसलिए सुविधा की दृष्टि से इसको लागू कर दिया। यदि जनता के प्रति सच्ची भावना है, यदि जनता के प्रति सच्ची सहानुभूति है तो मैं चाहूंगा कि आप कम क्यों नहीं कर सकते ? हमेशा बढ़ाने की ही बात करते हैं। कोर्ट फीस बिल देखें जो अब एक्ट बन गया है, तो उसमें भी यही बात है। नयी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

तालिका के अनुसार जहां एक आने के ६ पैसे बनते हैं वहां दस कर दिया और इस तरह से एक रुपया और ६।। आने अधिक ले लेना और जनता पर एक रुपया ६।। आने का भार डाल देना, यह कहां तक वाजिब है ? आपने इस प्रकार से करों का भार डालते रहने का अपना लक्ष्य बना दिया है। आखिर जनता पूछना चाहती है कि चोरी से इस प्रकार से करों को क्यों लगाना चाहते हैं ? क्या आपका केवल यही उद्देश्य था कि राजस्थान में सेल्स टेक्स में संशोधन किया जाय ? क्या इसीलिए किया जाय कि जो दरें लगा रहे हैं उनमें और वृद्धि की जाय ? जो खराबियां इसमें हैं उनको दूर करने का इरादा था। यह नहीं था कि जनता पर करों का भार और बढ़ाया जाय और उससे जनता की कमर ही को तोड़ दिया जाय। कर बढ़ाने से पहले इस बात पर विचार करना चाहिए कि जनता की मासिक और वार्षिक आय क्या है ? उसकी जेब में इतने पैसे हैं या नहीं ? जिन चीजों पर करों का भार बढ़ाते जा रहे हैं उन करों के कारण और टैक्स देने के बाद उनकी आमदनी होती है उसमें कुछ बचता है या नहीं ? कुछ योजनाओं के निर्माण के नाम पर, राजस्थान की प्रगति के नाम पर, राजस्थान को सर-सब्ज करने के नाम पर जनता की जेब में जो थोड़ा बहुत पैसा है, दिन भर कठोर परिश्रम करके दो पैसा कमाते हैं वह भी आप छीन लेना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम समाजवादी व्यवस्था निर्माण करने जा रहे हैं, लेकिन मैं पूछता हूं कि बिक्री कर का बोझा किस पर पड़ता है ? क्या वह व्यापारियों पर पड़ता है ? वह तो उसी जानता पर पड़ता है जो कि उन वस्तुओं का उपभोग करती है। यदि सारे बिक्री कर का भार पड़ता है तो वह उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है। व्यापारी के खाते में हिसाब रहता है कि यह तो लेने में आया और यह देने में आया और यह लाभ हुआ। व्यापारी का तो खाता खुला है। यदि इससे किसी को हानि होती है तो गरीब जनता को जो उपभोग करती है। इस प्रकार से गरीब जनता पर लगने वाले करों का जनता विरोध करेगी। मैं सदन में इसका खुल कर विरोध करता हूं कि इस प्रकार से बिक्री कर में और वृद्धि की जाय, चुप-चाप और चोरी से वृद्धि की जाय, यह नाजायज है, जनता के साथ सरासर अन्याय है, जनता के साथ यह सरासर धोखा है। आप जनता को सर सब्ज-बाग दिखाकर वोट लेते हैं और कहने का दावा करते हैं कि जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है, कांग्रेस बहुमत में आयी है, जनता का विश्वास है और जनता हमको लायी है, लेकिन मैं कहूंगा कि इस प्रकार से जनता पर कर वृद्धि करके तो आप जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, जनता के साथ इमानदारी से पेश नहीं आ रहे हैं। यह सरासर जनता के साथ विश्वासघात है, जनता की भावना पर कुठाराघात है, इस तरह से सरासर चुप-चाप, चोरी चोरी करों में वृद्धि कर रहे हैं, आबू और अजमेर व सुनेल का राजस्थान में मिल जाने के पश्चात् उनमें भी लागू करने के नाम पर, राजस्थान में समान दरें लागू करने के नाम पर इस प्रकार इसमें संशोधन कर, वृद्धि करके जनता पर टैक्स लागू कर रहे हैं, यह किसी प्रकार से भी न्याय संगत नहीं है। मैं सदन के सामने निवेदन करूंगा कि इतने कितने ही विधेयक हैं जिनके द्वारा आप जनता पर अधिक करों का भार डाल रहे हैं। यह सदन के लिए एक विचारणीय प्रश्न है। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि आज जनता की यह स्थिति है कि वह इन बढ़े हुए करों के भार को वहन कर सके ? आप जानते हैं कि

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जनता के पास पैसा नहीं है इसलिए आप इसका विरोध कीजिये । आप यदि जनता के सच्चे रूप में प्रतिनिधि बन कर आये हैं तो आप इसका विरोध कीजिये । जनता ने आपको इसलिए यहां नहीं बैठाया है कि आप पार्टी के डन्डे से डर कर आपकी आवाज को किसी प्रकार दबाया जाता रहे, आप गर्दन नीची किये सुना करें और जनता पर इस प्रकार से करों का भार बढ़ाया जाता रहे और जनता पर होने वाले बोझे का आप विरोध न करें ? यह सबसे बड़ी गिरी हुई बात है, यदि आप सच्चे प्रतिनिधि होकर जनता की इस आवाज का विरोध नहीं करें । जनता को विश्वास दिला कर आप यहां आये हैं, उसके प्रतिनिधि होकर यहां आये हैं और सच्चे रूप में यदि उसका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं तो यह गिरी हुई बात है । इसलिए मैं इस धारा का विरोध करता हूँ और करों में जो वृद्धि की गई है उसका विरोध करता हूं और सदन से मांग करता हूं कि इसको वापिस कर दे ।

श्री सम्पतराम (उप मंत्री) : माननीय चेयरमेन, मैंने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि हम ६। प्रतिशत से ७ प्रतिशत किन कारणों से करने जा रहे हैं । मुझे अफसोस है कि जो दलीलें दी गई थीं उनमें तथ्य उनको मालूम नहीं पड़ा । ऑल इन्डिया फाइनेन्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेन्स को लेकर कहा गया कि उनके फैसले से हम बाध्य नहीं हैं । मैंने उस सम्बन्ध में यहां जिक्र किया था । वे देश के प्रतिनिधि हैं । यदि वे कोई स्टेप लेते हैं, तो सारे मुल्क की हालत और परिस्थितियों को देखकर लेते हैं, कोई सवाल तय करते हैं तो वह सारे देश को मानना पड़ता है और कमसे कम जिस पार्टी की हुकूमत चलती है वे तो मानते हैं, आप नहीं मानते हैं यह हो सकता है, मैं इसको मानता हूं । लेकिन कोई संस्था बनायी जाय, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन बनाया जाय तो उसके द्वारा यह देखा जाता है कि उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यदि टैक्सेशन का मामला है तो टैक्सेशन का प्रभाव जनता पर कैसे पड़ने वाला है, इसको वे देखते हैं ।

अभी एक माननीय सदस्य ने भाषण दिया और कहा कि इस टैक्स का भार गरीबों पर ज्यादा से ज्यादा पड़ेगा । मेरा उन से निवेदन है कि गरीब और अमीर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है । हम तो इसके जरियेएक लिमिट तय करना चाहते हैं और वह यह कि सेवन पर्सेन्ट तक टैक्स जा सकता है । किस पर कितना पर्सेन्ट लगेगा, किस पर नहीं लगेगा, टैक्स का भार गरीबों पर ज्यादा पड़ता है या किस पर; यह तो बाद में सोचने की बात है । यह बात जरूर है कि हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन यह उन्हीं पर बढ़ायेंगे जो कि इस कर के भार को वहन करने में समर्थ होंगे । अभी यह कैसे कहा जा सकता है कि इस सारे टैक्स का भार गरीबों पर ही पड़ेगा । हम तो यह चाहते हैं कि जितनी भी लग्ज़रीज़ की चीजें हैं उन पर टैक्स बढ़े । इस बारे में जो निर्णय लिया गया वह स्पष्ट है, इसी पर विधेयक का महत्व है कि लग्ज़रीज़ की चीजों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन होना चाहिए, यह सरकार मानती है । इसी आधार पर और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैंने वित्त मंत्रियों की कॉन्फ्रेन्स का रेफ्रेन्स दिया था उसमें माननीय सदस्य मानहानि कैसे समझते हैं ! मैं तो इसमें मानहानि नहीं समझता, अगर किसी सदस्य की मानहानि इसी से होती है तो मैं नहीं समझ सकता ।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि हम टैक्स जो बढ़ा रहे हैं वह बैक डोर से

Page No.86

(श्री सम्पतराम)

बढ़ा रहे हैं। मैं उनसे निवेदन कर दूं कि गवर्नमेन्ट को पॉवर है टैक्स बढ़ाने की, गवर्नमेन्ट अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए नये टैक्स भी लगा सकती है, टैक्स लगाये भी हैं, लेकिन वे सदन द्वारा पास होते हैं। मनी बिल सदन द्वारा पास होता है उस समय माननीय सदस्यों को अपने अपने विचार प्रगट करने का अवसर मिलता है, तो फिर ऐसी हालत में यह कैसे कहा जाता है कि जो भी टैक्स बढ़ाने के मामले होते हैं वे बैक डोर से आते हैं। कल भी हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने स्पष्ट तौर से घोषणा की थी कि आने वाले साल में हमें सेल्स टैक्स में वृद्धि करनी होगी यह बहुत स्पष्ट बात थी। थोड़ा बहुत अगर टैक्स बढ़ता है तो यह समझ कर बढ़ाया जाता है कि यह वाजिब है और इतना जनता बर्दाश्त कर सकती है, इसी को तो ध्यान में रखकर बढ़ाया जाता है। इस पर यह कहना कि गरीबों की कमर टूट जायेगी, यह मेरी समझ में नहीं आया। आगे भी हमें अपने प्रान्त के विकास के लिए पैसे की आवश्यकता होगी तो टैक्स बढ़ाया जायगा, बिना पैसे विकास-कार्य कैसे चलेगा? यह आप विश्वास रखिये कि टैक्स का भार गरीबों पर ज्यादा नहीं पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अगर वे मेरी बातों से सन्तुष्ट हैं तो वे अपने संशोधन को वापिस लेंगे अन्यथा उनकी मर्जी है, मुझे आपत्ति करने का हक नहीं।

श्री तनसिंह : (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, बड़े जोश और खरोश के साथ यह कहा गया कि हमारा अपमान कैसे हुआ। आप कहते हैं कि देश के प्रतिनिधियों ने यह तय किया। मैं निवेदन करूं, अगर आप ही देश के प्रतिनिधि हैं तो आप सब मिलकर तय कर लीजिये, एक जगह बैठ कर निर्णय कर लीजिए कि जो भी आप करना चाहें, कर लें, हम पर आप २००) रुपया मासिक और साढ़े बारह रुपया प्रतिदिन का क्यों खर्च करते हैं? आप अपने आपको ही अगर देश का प्रतिनिधि मानते हैं तो फिर हमारा यहां अंगूठा क्यों करवाते हैं? आप सब वित्त मन्त्री महोदय एक साथ बैठ कर जो भी कुछ तय कर लेते हैं उसका उत्तरदायित्व आप हम पर क्यों डालना चाहते हैं, उसका उत्तरदायित्व आप अपने तक ही रखिये। आप जो कोई निर्णय करते हैं उसका उत्तरदायित्व हम पर क्यों डालना चाहते हैं? इससे अपमान हमारा होता है। आप कोई निर्णय करते हैं, हमको कॉन्फिडेन्स में लेने के बजाय, बिना विश्वास में लिये निर्णय कर लेते हैं और उस निर्णय को थोप देते हैं; इसे बैक डोर नहीं तो और क्या कहा जायगा? बैक डोर हम इसलिये भी कहते हैं कि आपने इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में क्या दिया है, इसमें लिखा है:

"Experience gained from the working of the Rajasthan Sales Tax, Act, 1954, discloses the necessity of further amendments in that Act in respect of the procedural provisions thereof. Hence the Bill. The amendments proposed are self explanatory."

आपने यह बतलाया कि प्रोसीजरल कोई डिफिकल्टी है इसलिये इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट की आवश्यकता पड़ गई। कई वर्षों तक इसके लिये काम किया और उससे एक्सपीरिएन्स हुआ उसके अनुसार आप यह महसूस करते हैं कि कुछ कठिनाइयां आयीं इसलिए आप इस अमेन्डमेन्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं। यही मन्शा

(श्री तनसिंह)

आपने स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में बतायी हैं। उद्देश्य में आप साफ तौर से कोई बात लिखते नहीं, फिर हम यदि आपको कहते हैं कि यही तो बैक डोर से टैक्स का इम्पोज़ करना हुआ तो आप नाराज होते हैं, एक बार नहीं दस बार नाराज होइये। आप स्पष्ट रूप से कहिये कि हमारे पास पैसे की कमी है इसलिये हम टैक्स बढ़ा रहे हैं और वही बात आप स्टेटमेंन्ट ऑफ ऑब्जेक्टस एन्ड रीज़न्स में भी बताइये। सिर्फ इसमें एक लाइन बढ़ा देने से आपका उद्देश्य स्पष्ट हो सकता है। यदि आप एक लाइन बढ़ा देते तो इतनी दलीलें देने का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। आपने जो उद्देश्य बतलाया है उसके अनुसार आपका कहना यह है कि कुछ असुविधायें हुईं और नये कोइन्स के लागू हो जाने के कारण एक आने के छः पैसे होते हैं वहां आपने दस पैसे बढ़ा दिये। आपकी दलील के मुताबिक यह आप पांच पैसे से शुरू करते तो हिसाब करने में भी सुविधा हो जाती। यह न करके आपने जो किया है कि उसके अनुसार सवा छः परसेन्ट टैक्स बढाया है यानि एक रुपये पर एक आना टैक्स लगता है। इससे हुआ यह कि तीन पोइन्ट २८ हुआ। इस प्रकार दिमाग में इसका हिसाब लगाने में सारा कचूमर निकल जायगा। इसके कारण लेने वाले और वसूल करने वाले दोनों को दिक्कतें होंगी, अगर सात नये पैसे लागू किये जायेंगे तो। आप हिसाब की ही सहूलियत चाहते हैं तो सात नये पैसे के बजाय दस नये पैसे कर देते तो और ज्यादा हिसाब की सहूलियत रह जाती। मेरा निवेदन यह है कि यदि हिसाब की सहूलित को ही देखा जाता है तो हिसाब की सहूलियत के पीछे टैक्स भी बढ़ेगा। आप स्पष्ट रूप से कह दीजिये कि हमें इतना पैसा चाहिये, आप एक साथ ही मांग लीजिये। तो आपको क्रिटिसिज़्म सुनने को नहीं मिलेगा, आप डेमोक्रेसी में काम कर रहे हैं। आपको तो क्रिटिसिज़्म को सुनने का आदी होना चाहिये, आप क्रिटिसिज़्म से डरते क्यों हैं? उत्तरदायी शासन में क्रिटिसिज़्म से भय करने की कोई बात नहीं, आपको क्रिटिसिज़्म के लिये तैयार रहना चाहिये। क्या आपने इस चीज को वर्क आउट किया है कि इतना टैक्स बढाने से आपको क्या आमदनी होगी? आप इस बारे में हमारे सामने फिगर्स पेश करते तो हमें मालूम होता कि हमारे सामने कोई कोन्क्रीट चीज आयी है। लेकिन आप ये चीजें तो हमें बताते नहीं और केवल टैक्स बढ़ाने का प्रोपोज़ल हमारे सामने रख देते हैं। आप बजट घाटे का पेश कर देते हैं लेकिन जब हम एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट्स और फाइनेन्स अकाउन्ट्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि घाटा केवल बताने को होता है बाकी हमारा बजट काफी सरप्लस रहता है। अगर आप किसी प्रकार टैक्स बढ़ाना ही चाहते हैं तो आपको इसके उद्देश्य में स्पष्ट रूप से इंगित कर देना चाहिये और यह भी बताया जाना चाहिये कि आपको कितनी आमदनी होगी। इस प्रकार फिगर्स वर्क आउट करके हमारे सामने रखने चाहिये ताकि हेल्दी ग्राउन्ड पर हम कुछ क्रिटिसिज़्म कर सकते। आप वित्त मंत्री महोदयों की कॉन्फेन्स में कोई डिसीजन ले लेते हैं लेकिन फिगर्स और बिना फेक्ट्स के सवा छः परसेन्ट को सात पर्सेन्ट करने की सिफारिश करते हैं बगैर किसी रेफरेन्स के तो हम उसे कैसे मान सकते हैं? आप रीज़न्स में ये सब बातें रखते और वास्तविक रूप से हमें कन्वीन्स करने की चेष्टा करते। ये तो चीजें नहीं है, केवल यह कह

Page No.88

(श्री तनसिंह)

देने से कि फाइनेन्स मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेन्स में यह तय हुआ था इसलिये यहां भी लागू किया गया है, इससे हमें सन्तोष हो नहीं सकता। हम अपनी मरजी के मालिक हैं, आपके दबाव में आने वाले नहीं, आप चाहे कुछ भी निर्णय कर सकते हैं। मेरे संशोधन को वापिस लेने की कोई बात नहीं। मुझे यह तो पता है कि यह संशोधन स्वीकृत होनेवाला नहीं, लेकिन यह एक उसूल की बात होती है। किस चीज के लिए क्या कहा जावे, किस चीज के लिए कदम वापिस रक्खा जावे, या आगे रक्खा जावे, यह सिद्धान्त की बात होती है, हम सिद्धान्त की बात कह रहे हैं, सिद्धान्त के लिए लड़ रहे हैं, और उसी के लिए प्रेस कर रहे हैं। उधर से भी मौके-मौके पर कहा जाता है, सिद्धान्त की बात कहिये। जब हम सिद्धान्त की बात कहते हैं तो वे हमारी मज़ाक करते हैं, हमें इग्नोर करते हैं। डेसिमल कोइनेज की बात कही गई। एक ओर सिद्धान्त की बात कही जाती है, दूसरी ओर पैसा बढ़ाने की बात कही जाती है बिना इस बात का निर्णय किये कि इससे कितने रुपयों का लाभ होगा, कितनी आमदनी होगी, किन आधारों और आंकड़ों के जरिए कहा जा रहा है? यह सब बिना निर्णय किए एट रेन्डम रख दिया गया है कि हम तो सवा छः पर्सेंट की जगह सात पर्सेन्ट करते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप सवा छः की जगह १० पर्सेन्ट करें, बीस कर दें, कर दें जितना करना हो एक बार। एक बार कर करा कर नक्की करें। बार बार की क्रिटिसिज्म से भी बचेंगे हमेशा के लिए। नहीं तो अभी सात करते हैं, क्रिटिसिज़्म होता है, फिर आप आठ करेंगे, फिर क्रिटिसिज़्म होगा। इसके बजाय तो आप एक बार ही सब कुछ कर लीजिए, मजे से कर लीजिए, दस, बीस, पच्चीस पचास पर्सेन्ट जितना लगाना हो एक बार नक्की कर दीजिए। इसके बाद रोजाना के क्रिटिसिज़्म से पल्ला छूटेगा। इसके बचने का यही एक अच्छा रास्ता है। फिर आराम से घर में बैठिये। पर आप तो रोजाना के क्रिटिसिज़्म के आदी हो गये हैं। इसलिए इस बात को ये आज मानेंगे नहीं।

अन्त में मैं सखेद निवेदन करूंगा कि यह प्रस्ताव इतना महत्वपूर्ण है कि इसे मैं वापिस नहीं ले सकता, इसलिए इसको प्रेस करता हूं।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स अमेन्डमेन्ट बिल, १९५८ के क्लॉज ४ पर श्री तनसिंहजी का जो संशोधन पेश किया गया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : चेयरमैन महोदय, राजस्थान सेल्स टैक्स अमेन्डमेंट बिल के क्लॉज़ ४ पर बहस चल रही है। इसमें दो सब-क्लॉजेज़ हैं। दूसरे सब-क्लॉज़ पर अभी अभी बहस हुई है जिसमें कि मैक्सिमम रेट सवा छः से सात पर्सेन्ट की गई है।

मैंने तीसरा नया सब क्लॉज़ जोड़े जाने के सम्बन्ध में तरमीम पेश की है जो इस प्रकार है : "The third proviso shall be deleted."

Page No.89

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इस बिल का क्लॉज़ ४ मूल एक्ट राजस्थान सेल्स टैक्स, ५४ की धारा ५ के सम्बन्ध में है। मैंने जिस प्रोविजो को डिलीट करने की तरमीम पेश की है वह मूल एक्ट की धारा ५ के तीसरे प्रोविजो को हटाने के सम्बन्ध में है। उसमें कुछ पदार्थों के लिए विशेष दरें निश्चित की गई हैं जो इस प्रकार हैं........

श्री तनसिंह : यह कैसे होगा, साहब ! जब यह अमेन्डमेन्ट बिल है तो मूल एक्ट में संशोधन कैसे हो सकता है ! अगर यह बात है तो फिर इसके लिए हमें भी अधिकार दिया जावे।

श्री सभापति: I believe the amendment is consequentinal only. This is only a procedural thing.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हाइड्रोजनेटेड वेजीटेबल एन्ड एडिबल ऑयल्स इन्क्लुडिंग

वनस्पति	६। पर्सेन्ट
पाम ऑइल	१२॥ पर्सेन्ट
सिगरेट व सिगार	६। पर्सेन्ट
बुलियन गोल्ड एन्ड सिलवर	॥ पर्सेन्ट

सामान्यः...

श्री श्रीभानसिंह : यह परमिशन दे दी क्या मूव करने की !

श्री सभापति : Yes.

श्री श्रीभानसिंह : Amendment in the original Act ?

श्री सभापति : This is in the Amended Bill which is before the House. This is a consequential amendment which is being brougt before the House and is in conformity with this amendment. Therefore, unless and until the House rejects this amendment, that will be in order and he is perfectly entitled to move that.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यद्यपि साधारण रेट ३ सही एक बटे आठ पर्सेन्ट है और मेग्ज़िमम सवा छ पर्सेन्ट है, पर अभी जैसा कि माननीय उपमंत्री महोदय ने बताया कि उच्च-स्तर पर फाइनेन्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेन्स में यह तय किया गया कि कुछ पदार्थों पर समान रूप से सात पर्सेन्ट की दरें सारे देश में लगाई जावें और इस चीज को कार्यान्वित करने की दृष्टि से राजस्थान सेल्स टैक्स अमेन्डमेन्ट बिल की धारा ४ की उपधारा (२) प्रस्तावित की गई जो पास भी हो गई है, इसमें मेग्ज़िमम रेट सवा छः पर्सेन्ट के बजाय सात कर दी गई है।

राजस्थान स्टेट की यह पोलिसी है और होनी ही चाहिए कि वेजिटेबल ऑइल और हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल एडिबल ऑजल्स इन्क्लुडिंग वनस्पति की खपत व आमद को प्रोत्साहित नहीं किया जावे और हम भी यह चाहते हैं कि इसको प्रोत्साहित नही किया जावे। इस दृष्टि से जब उपधारा (२) में सवा छः पर्सेन्ट से सात पर्सेन्ट की दरें निश्चित कर दी गई हैं तो अलग से सवा छः पर्सेन्ट का प्रोवीज़न रखने के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहता है। इसलिए इस सवा छः के बारे में प्रोविज़ो थी में जो प्रोविजन है, वह मंसूख किया जाना चाहिए।

दूसरा है पाम ऑइल। इस पर साढ़े बारह पर्सेन्ट टैक्स लिया जाता है। उस वक्त इतनी हैवी ड्युटी लगाने का कारण यह था

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कि यह एडल्टरेशन के काम में आता था, इस दृष्टि से हैवी टैक्स लगाया गया था। १-४-५५ से कस्टम ड्युटी एबोलिश हो गई है और वेजिटेबल घी अब आजादी से बिना रोक-टोक के आ सकता है और बिक सकता है। जब बिना रोक-टोक के आ सकता है और बिक सकता है तो फिर पाम ऑइल पर यह रेट आवश्यक प्रतीत नहीं होती इसलिए मेरी राय में इस सम्बन्धी प्रोविज़ो भी डिलिट करना चाहिए।

तीसरा सिगार और सिगरेट का मामला है, जिस पर सवा छः पर्सेन्ट बिक्री कर लिया जाता है। जैसा सब को मालूम है एडीशनल एक्साइज़ एक्ट सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने पार्लिया-मेन्ट में पास करा दिया है जिसकी तहत जो हम स्टेट में सिगरेट और सिगार की बिक्री पर सेल्स टैक्स लेते हैं उसके बजाय एडीशनल एक्साइज़ ड्युटी ली जावेगी और यह प्रोवी-ज़न १-४-५८ से लागू होगा। इसका मत-लब यह होता है कि १-४-५८ से हमको सिगार और सिगरेट को सेल्स टैक्स से मुक्त करना पड़ेगा। तो जब मुक्त ही करना है तो इस समय अब इस प्रोवीज़ो को रखने की जरूरत महसूस नहीं होती और इस लिए यह भी डिलीट किया जावे।

अब चौथी चीज रह जाती है गोल्ड, बुलियन और सिल्वर। यह एक ही आइटम है और एक के लिए यह विशेष प्रोविज़ो रखना उचित नहीं प्रतीत होता। हमने देखा है कि जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर का"'

श्री श्रीभानसिंह : यह कहां देखा है ? Where to look for all these things ?

श्री सभापतिः In the orginal Act.

श्री तनसिंह : इससे तो कोई सम्बन्ध ही नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : What has the original Act to do here ? There is no proviso or any thing.

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़ !

प्रश्न यह कि जो माननीय सदस्य यह अमेन्डमेन्ट मूव कर रहे हैं यह कॉन्सीक्वेन्शयल या प्रोसीज़रल है। अगर सात पर्सेन्ट सैल्स टैक्स रेट कर दिया जाता है तो जो शिड्यूल दिया हुआ है, इसमें उसके मार्फिक, in conformity with it, चेन्ज करना आवश्यक है और इसी को ध्यान में रख कर माननीय सदस्य अमेन्डमेन्ट मूव कर रहे हैं।

श्री तनसिंह : यह तो साढ़े बारह पर्सेन्ट है इसको....

श्री सभापति : Please have a look at it.

(श्री तनसिंह ने श्री सभापति से पुस्तक ली)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Should I proceed on, sir ?

श्री अध्यक्ष : yes.

चौथा आइटम बुलियन गोल्ड एण्ड सिलवर के बारे में रह जाता है। यह एक ही आइटम है और इसके लिए यह विशेष प्रोवीज़न रखना उचित प्रतीत नहीं होता। हम जानते हैं कि जिस तरह से बुलियन गोल्ड एण्ड सिलवर के लिए आधा पर्सेन्ट रेट है उसी तरह से और भी वस्तुएं हैं जिनकी रेट्स नोर्मल रेट से कम है और ऐसी रेट्स जहां

Page No.91

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

तक मुझे मालूम हुआ है वह नोटीफिकेशन्स द्वारा कायम की गई है। जब ऐसी रेटस कायम की जा सकती हैं तो एक आइटम के लिए वही प्रोसीजर बरता जा सकता है और उसके लिए मूल एक्ट में ही इस तरह का प्रोवीज़न रखना उचित नहीं मालूम होता।

अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि जो मैंने मूल एक्ट की दफा ५ के प्रोविज़ो ३ को डिलीट कराने के लिए तरमीम की है वह स्वीकार की जाये क्योंकि उसको स्वीकार नहीं करने से बिल के खण्ड ४, उप खण्ड (२) के खिलाफ पड़ेगा। इसलिए इसे स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति: Any body else ?

श्री तनसिंह : मेरा ख्याल है कि यदि इसको लेना है तो इसे डेफर किया जाय क्योंकि यह ओरीजिनल बिल में है और यह बिलकुल भी कॉन्सीक्वेन्शल नहीं है। इसमें एक जगह तो साढ़े बारह पर्सेन्ट है, सिगार एण्ड सिगरेट्स पर सवा छः पर्सेन्ट है, गोल्ड बुलियन एण्ड सिलवर पर आधा परसेन्ट का है. तो इसको रियलाइजेशन करने में दिक्कत है। लेकिन यह चीज है कि इसको माननीय सदस्य रखते हैं तो मुझे ख्याल नहीं है, मगर जिस तरह से यह रखा जा रहा है और जिस बैकडोर से गवर्नमेन्ट ने इसको स्वीकार कर लिया है यह आपत्ति की जाने वाली बात है। अगर यह गवर्नमेन्ट की तरफ से रखा जाता तो इसमें हमें देखने की आवश्यकता है और इस पर हम पूरी तैयारी भी करके लाते। मेरा ख्याल है कि जिस अमेन्डमेन्ट को लाया जा रहा है इस पर हमें भी विचार व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय मंत्री ध्यान दें कि माननीय सदस्य क्या प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : मेरा ख्याल है कि यह जो अमेन्डमेन्ट आया है इसको पेश करने के ढंग और मंत्री महोदय के रुख से ऐसा प्रतीत होता कि जैसे पहले से ही निर्णय कर लिया गया हो और यह ऐसा मालूम होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से यह अमेन्डमेंट लाया हुआ हो और उन्होंने मंजूर कर लिया हो। यदि यह मंजूर कर लिया है तो आवश्यक यह है कि इसके सारे इम्प्लीकेशन्स को हम स्टडी करके आते। हमने तो यह समझा कि यह ऑर्डिनरी अमेन्डमेंट है और कांग्रेस की तरफ से आया है और यह स्वीकार तो नहीं किया जा सकता क्योंकि सदस्यों द्वारा रखा गया है और इसलिए यह विथड्रा ही होगा। इसलिए हमने हमको स्टडी करने का सोचा ही नहीं। यह मंजूर कर लिया है ऐसी सूरत में, क्योंकि हम इसको एक्सक्पेक्ट नहीं करते थे; इसलिए इसको आज के लिए डेफर कर दिया जाय। अब यहां के वातावरण से मालूम हुआ कि इसे स्वीकार कर लिया है इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसे डेफर कर दिया जाना चाहिए। हो सकता है कि इसमें कुछ कान्सीक्वेन्सेज़ न हों। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि इसमें कान्सीक्वेन्सेज़ हों। इसलिए मेरा ख्याल है कि मौका मिलना चाहिये जिससे हम इसका विरोध कर सकें। आज तो हमने देखा है और अभी अभी देखा है इतनी जल्दी में निर्णय नहीं कर सकते। यह अमेंडमेंट या तो डेफर किया जाय या फिर इसको वोट डाउन किया जाय; जैसा भी मन्त्री महोदय उपयुक्त समझें।

श्री सभापति : उनका सुझाव यह है, और जैसा उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उसके

(श्री सभापति)

मुताबिक यह बिलकुल ही नई नेचर का अमेन्डमेन्ट है, ओरीजिनल बिल के अन्दर, इसके लिए उन्होंने सोचा भी नहीं था। अगर इसको स्वीकार करें तो कल के लिए डेफर किया जा सकता है, ऐसा उनका सुझाव है।

श्री सम्पतराम (उपमंत्री): सवाल यह है कि एक जगह जो संशोधन रखा था, ७ पर्सेन्ट का वह तो हमने पास कर दिया और कुछ स्पेशल ऐसी चीजें थीं जिनके ऊपर टैक्स लगाया था। तो वह शायद आपने देखा होगा कि उसमें पाम ऑइल वगैरह के ऊपर साढ़े बारह पर्सेन्ट है, सिगार एण्ड सिगरेट के ऊपर सवा छः पर्सेन्ट है, बुलियन, गोल्ड एण्ड सिलवर के ऊपर आधा पर्सेन्ट है। अब सवाल यह है कि जब लिमिट तय कर दी कि ७ पर्सेन्ट से ज्यादा टैक्स नहीं होगा तो यह सब प्रोवीजन रखने की जरूरत ही नहीं है। जब कि यह तय कर दिया कि ७ पर्सेन्ट से ज्यादा टैक्स नहीं जायगा तो फिर मेरे ख्याल में अगर इस अमेन्डमेन्ट को मंजूर कर लिया जाय तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ख्याल करता हूं कि माननीय सदस्य इस पर जोर नहीं देंगे।

श्री तनसिंह : सवाल यह है कि साढ़े बारह पर्सेन्ट पाम ऑइल पर था, यह ठीक है और जब आप यह कहते हैं कि ७ पर्सेन्ट की लिमिट रख दी है इसलिए अब इसमें अलावा रखने की जरूरत नहीं है; जब सवा छः परसेन्ट था तब भी लगा हुआ है। आप यह टैक्स कम करके वनस्पति घी को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, इस पर यह मुनस्सर करता है। इसकी उपेक्षा होनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो कुछ भी जल्दी में बैकडोर से हो रहा है, यह बिलकुल गलत है। यह आप फरमा रहे हैं कि यह तो कॉन्सीक्वेन्शयल नहीं है। यह इसलिए नहीं है कि उस समय अलग रखने का अभिप्राय यह था कि हम इस घी को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं, इसलिए टैक्स लगाया गया था। हम चाहते हैं कि इसको हम देखें और स्टडी करें। इसे भी देखना बहुत जरूरी है, इसलिए यह डेफर होना चाहिये। एक ही क्लॉज़ डेफर कर दिया जाय और बाकी सारा ले लिया जाये।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय का क्या जवाब है? उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसे कल के लिए डेफर किया जाय?

श्री सम्पतराम : मेरे ख्याल से इसे डेफर करने की सी तो कोई बात नहीं है। हमारे और भी दूसरे जो एडजोईनिंग राज्य हैं उनमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर सवा छः या सात पर्सेन्ट से अधिक टैक्स हो। अगर इसको यहां पर इतना ज्यादा रखते हैं तो यहां का व्यापार आगे नहीं बढ़ता है।

श्री सभापति : प्रश्न उनका यह है कि शिड्यूल की रेट्स को चेन्ज कर रहे हैं, यह संशोधित बिल के अन्दर कहीं जिक्र नहीं है और अब यह संशोधन आया, उसके द्वारा इसको ठीक किया जा रहा है। इसकी सूचना नहीं है उनको, पहले से तो इसका आप उत्तर दे दें।

श्री सम्पतराम : चेयरमैन साहब, सवाल यह है कि हमने जो सात पर्सेन्ट का कर दिया है तो जो सवा छः पर्सेन्ट या नई धारा है वह तो खुद ही चली जाती है। यह तो कॉन्सीक्वेंश्यल है। That is a proviso to the amending section.

श्री सभापति : मैं समझता हूं कि वह क्लियर नहीं कर सके। प्रश्न यह है और

(श्री सभापति)

उनका एतराज यह है कि यह जो संशोधन आया है और इसमें जो संशोधित बात कही जा रही है उसके मुताल्लिक उन लोगों के पास पहले से यह चीज सर्कुलेट नहीं हुई है। उसके सर्कुलेट नहीं होने की वजह से यह चीज नई है। अगर सर्कुलेट नहीं हुआ है तो उनको इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाये। माननीय सदस्य की सूचना के लिए निवेदन करूं और जैसा मुझे अभी असेम्बली सेक्रेटेरियट से मालूम हुआ है आपको यह आवश्यक सूचना सर्कुलेट कर दी गई है और इस हालत में आपका यह प्रश्न कि यह नई बात पैदा हुई है कहां तक ठीक है ?

श्री तनसिंह : सभापति महोदय, अगर सर्कुलेट की बात है तो मैं नियम १२१ के अन्तर्गत एतराज उठाता हूं : "If notice of an amendment has not been given one day before the day on which the Bill is to be considered......" खैर, यह तो मान लेता हूँ कि पहले से नोटिस दे दिया गया।

श्री सभापति : The Speaker has already ruled it out.

श्री तनसिंह : क्या ?

श्री सभापति : This objection is already said to have been ruled out.

श्री तनसिंह : तो फिर ऐसी बात है। यदि यह एडमिट कर लिया गया है और इसे रिजेक्ट नहीं किया जाय तो हमें फुल डिस्कशन का मौका दिया जाय; वैसे भी हम इसको आसानी से पास नहीं होने देंगे। क्या है, हम किसी भी तरह अधिक समय ले सकते हैं....

श्री सभापति : प्रश्न आपके और मंत्री महोदय के बीच में है। अगर यह समझौता हो जाता है और वह स्वीकार कर लेते हैं तो चेयर को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री तनसिंह : मैं तो यह कह रहा हूँ कि इसे डेफर करें। अगर इसे डेफर नहीं करते हैं तो इसके ऊपर डिस्कशन होने दें। आप यह समझते हैं कि यह आज की आज पास हो जायेगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे।

श्री सभापति : आप ऐसा क्यों मान कर चलते हैं ?

श्री तनसिंह : फिर एक क्लॉज़ को डेफर करा दें।

श्री सभापति : मेरे विचार से जो संशोधन पेश किया गया है, साढ़े बारह से ७ पर्सेंट कर दिया जाय, यह तो आपको मान लेना चाहिये क्योंकि यह तो टैक्स की रेट कम करने के लिए है।

श्री तनसिंह : इसको इसलिए नहीं मानते हैं कि इससे हमारे यहां वनस्पति घी के आने से हमारा नुकसान होता है। हम तो चाहते हैं कि यह घी यहां आना ही नहीं चाहिये। इससे हमारे यहां की घी की इन्डस्ट्री खत्म हो जाती है। अब आप इसको गोलमाल करना चाहते हैं, जाने क्या करना चाहते हैं ?

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय सभापति इसके अन्दर संशोधन रखा गया है। इसको थोड़ा-थोड़ा आज देखने की बात है कि सन् १९५४ के अन्दर जब यह राजस्थान सेल्स टैक्स बना, उस समय यह प्रोविज़ो रखकर कुछ वनस्पति, पाम ऑइल के ऊपर साढ़े बारह पर्सेंट टैक्स लगाया गया। उस समय इस

(श्री दयाकृष्ण विजय)

बात को मद्देनजर रखा गया था कि राजस्थान के जन-स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे यहां वनस्पति घी का आयात अधिक नहीं हो और हमारे यहां के जनसमुदाय के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़े। इस दृष्टि को रखते हुए ऐसी चीजों से जो जन-स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला है.......

श्री श्रीभानसिंह् : On a point of order, sir. I have not been able to follow even the amendment. It is un-intelligible to me, Sir. I want an explanation. "That the following shall be added as part (iii) to clause 4 of the Bill." Then it says: "(iii) the third proviso shall be deleted." It is very ambiguous to me. I want an explanation about this amendment, Sir.

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : इसके पक्ष में बोलना चाहते हैं या विपक्ष में बोलना चाहते हैं ? बोलिए।

श्री श्रीभानसिंह् : यह एमेंडमेंट अनइन्टेलिजिबल है। इसका क्या मतलब है कि क्या किया जाय, वह समझ में नहीं आ रहा है।

(सभापति द्वारा विचार-विमर्श)

श्री सभापति : ओरीजिनल बिल जो है उसके अन्दर तीन प्रोविजों हैं। फर्स्ट प्रोविज़ों और सेकन्ड प्रोविज़ों के मुताल्लिक उनका कोई एमेंडमेंट नहीं है, लेकिन थर्ड प्रोविज़ों जो है जिसमें कि रेट्स दिये गए हैं उनको डिलीट कराने का उनका संशोधन है।

That is the object of this whole amendment and if the point is still not clear to the Hon. Member. I think further clarification may be had.

श्री श्रीभानसिंह् : Then it should have been, "third proviso of the original bill shall be deleted." This should have been added. It is only that the third proviso which shall be deleted.

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : But I am moving an amendmet in the sthan amendment Bill.

श्री सभापति : The point is, the Hon. Member wants to point out the little defective language of the amendment, that is put here. His objection is that the words 'third proviso of the original bill shall be deleted' should have been used. That is what he wants to point out and and if you accept his objection this point will be met.

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : Sir, this is an amendment to clause 4 of the amending Bill. In that amendment Section 5 of the Rajasthan Act XXIX of 1954 is to be amended, and I have added that "(iii)the third proviso should be deleted"; 3rd proviso to Section 5.

श्री सभापति · You have put an amendment whereby you have suggested that the following shall be added as part (iii), and that part (iii) is this "the third proviso shall

Page No.95

(श्री सभापति)

be deleted." Now his suggestion is that this should have been deleted from the original bill.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Because in the body of the bill it has been laid down, therefore, I......

श्री सोहनलाल भटनागर : चेयरमैन महोदय, मेरा खयाल है कि कोई भी एनोमोली उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि अगर जो एमेंडिंग बिल है उसकी क्लॉज़ जो है उसको पढ़ें तो बात साफ है कि: "in the second proviso, for the figures and words '6¼ percent,' the figure and words '7 percent,' shall be substituted."

अभी सेकन्ड प्रोविज़ो का रेफरेन्स दिया है तो "सेकन्ड प्रोविजो ऑफ दी एक्ट में" ऐसा नहीं लिखा है। इसको देखा जाय तो थर्ड में अमेंडमेंट करने को लिखा है कि third proviso shall be deleted. उसी तरह से मान लिया गया है। इसलिए मेरे खयाल से न कोई भ्रान्ति है और न कोई कॉन्सिक्वेन्शयल चेन्जेज़ होते हैं।

४ म० प०

श्री सभापति : Is the Hon. Member satisfied regarding the phraseology of the amendment ?

श्री तनसिंह : यह ठीक है. समझ में यह आ गया कि अमेंडमेंट ढंग से है लेकिन इसके मेरिट्स पर फुल डिस्कशन होगा।

श्री सभापति : Certainly, but so for as the defect suggested by the Hon. Member regarding the phraseology is concerned, it is removed I suppose ?

श्री श्रीभानसिंह : Quasi-removed, Sir.

(हंसी)

श्री सभापति : Any way, partial success is better than no success.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अभी माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई थी, मैं समझता हूं उसका निराकरण अब तक नहीं हुआ है। जो संशोधन हमारे सामने आया है उसको यदि स्पष्ट रूप से देखा जाय तो ऐसा लगता है कि जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ है उस पर ही कुछ संशोधन हैं और जिस तरह प्रस्तावक महोदय ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया और जो भाषण दिया उसके अनुसार मूल एक्ट में जो प्रोविज़ो है उसको हटाने के लिए प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूँ कि जो संशोधन विधेयक आया है उसके प्रोविजो ३ से मतलब है या ओरीजिनल एक्ट के प्रोविज़ो ३ से मतलब है, या ओरीज़िनल एक्ट के प्रोविज़ो ३ से मतलब है, यह साफ नहीं है। उन्होंने जो मूव किया है वह ओरिजिनल बिल के खंड ५ (३) को डिलीट करने के लिये किया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि न तो संशोधन प्रस्ताव स्पष्ट है और यदि स्पष्ट है तो संशोधन प्रस्ताव में करना चाहिये था। लेकिन मूल बिल में संशोधन पेश करना चाहते हैं, मैं सभापतिजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का संशोधन प्रस्तुत करने नहीं दिया जाय और यदि प्रस्तुत कर दिया है तो उसे वापिस लिया जाय।

श्री सभापति : मेरी समझ में माननीय सदस्य ने जो वैधानिक आपत्ति की है उसका निराकरण गवर्नमेन्ट बेंचेज़ से हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : Government Benches are silent.

श्री सभापति : Order please ! They are not silent. They have explained their viewpoint and I think they are perfectly in order, it seems to me. Therefore, if the discussion is to be carried on, it should be on for or against the amendment and not on the phraseology of the amendment, please.

श्री भैरोंसिंह : ग्रोन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अमेन्डमेन्ट मूव किया है वह ओरिजिनल बिल का है या (संशोधन) विधेयक के खंड (३) का प्रोविज़ो है, उसका अमेन्डमेन्ट है ?

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोलें ।

श्री भैरोंसिंह : बोलें किस पर ?

श्री सभापति : जो प्रस्ताव आपके सामने है उस पर बोलें ।

श्री भैरोंसिंह : यह अमेन्डमेन्ट ओरिजिनल पर है या अमेन्डिंग बिल पर है, यह जानना चाहते हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अमेन्डमेन्ट बिल के अन्दर क्लॉज़ ३ का एडीशन किया गया है ।

श्री तनसिंह : यदि यहां पर आज इस अमेन्डमेन्ट को प्रस्तुत करने का निर्णय होता है तो उसका मतलब यह होता है कि कोई भी अमेन्डमेन्ट बिल आवे उसमें हम कोई भी संशोधन ला सकते हैं, जो अमेन्डमेन्ट सरकार नहीं चाहती है वह भी ला सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें व्यवस्था का प्रश्न है और मामला गम्भीर है इसलिये यदि सभापति महोदय चाहें तो कल के लिये इसे डेफर कर दिया जाय ।

श्री सभापति : आपके सुझाव पर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि डेफर करना पसन्द करेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया है ।

श्री भैरोंसिंह : आप कर सकते हैं ।

श्री सभापति : मेरे ख्याल से बगैर गवर्नमेंट की स्वीकृति के कैसे कर सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट की तरफ से गलती हो तो चेयर से प्रोटेक्शन नहीं मिलता है ।

श्री सभापति : हाउस की स्वीकृति होना आवश्यक है । यदि आप चाहें तो मत लिये जा सकते हैं ।

श्री तनसिंह : यदि हरएक रूलिंग पर मतदान हो जावे तो पोज़ीशन ऑकवर्ड हो जायगी ।

श्री श्रीमानसिंह : Sir, the Hon. Deputy Ministsr cannot take the responsibility. So, let some senior Minister, Finance Minister, take the reponsibility.

श्री संपतराम : No, that is not the point. I have taken the full responsibility.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय चेयरमेन, मेरे ख्याल से टेक्निकल ऑब्जेक्शन पर रूलिंग दी जा चुकी है । निरूपण दिया है कि यह अलग नहीं है ।

Page No.97

(श्री सोहनलाल भटनागर)

बहस करनी हो तो कर सकते हैं। यह नहीं हो कि पोस्टपोन करने का बहाना मिल जाय। गुड कांश्यस से पोस्टपोन कर सकते हैं।

श्री सभापति : इनकी गुड कांश्यस को अपील करने के लिये आप स्वीकृति देंगे क्या ?

श्री तनसिंह : यदि यह अमेंडमेंट स्वीकार होता है तो उसका मतलब यह होता है कि हम भी ऐसे अमेंडमेंट ला सकते हैं। आप गवर्नमेन्ट की तारीफ करें और गवर्नमेन्ट कहे कि हमको स्वीकार नहीं है तो स्थिति दूसरी होती है। ऐसी सूरत में इसे डेफर करना चाहिए ताकि हम भी तैयार हो जायं।

श्री सभापति : That is one side of the question, another side is not in favour of it.

श्री तनसिंह : हम भी इसी तरह अड़ेंगे।

श्री सभापति : आप इस पोइन्ट पर बोलिये। अमेन्डमेन्ट आपके सामने है, पक्ष में या विपक्ष में बोलने की इच्छा हो तो बोलिए।

श्री भैरोंसिंह : अमेन्डमेन्ट ओरिजिनल बिल के संबंध में है या अमेन्डिंग बिल के।

श्री सभापति : यह स्पष्ट किया है कि अमेन्डमेन्ट अमेन्डिंग बिल का है, उसमें जो पार्ट एड करना चाहते हैं उसका संशोधन पेश किया है, इसमें कौन सी आपत्ति है ?

श्री भैरोंसिंह : Difficulty.

श्री सभापति : I personally hold that the amedment is perfectly in order and the Hon. Member could only discuss the merits and demerits of the amendment.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है हम उसको मानने को तैयार हैं लेकिन फिर वही प्रश्न है, जिस तरह आपने व्यवस्था दी कि जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है वह अमेंडिंग बिल पर अमेंडमेंट पेश किया है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य उसी बात को दोहरा रहे हैं जिस के बारे में चेयर ने रूलिंग दी है। यह ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जिस काम के लिए चेयर की रूलिंग मिली है उसको मानने को हम तैयार हैं, लेकिन प्रश्न आता है कि यह अमेन्डमेन्ट है किसका ?

श्री सभापति : आप उसको दूसरे शब्दों में एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपका मतलब यह है फैसला हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, यह मान कर चलें कि ओरिजिनल बिल में अमेन्डमेन्ट किया है, तो उस ढंग से वाद विवाद किया जा सकता है और अगर अमेन्डमेन्ट बिल पर आया है तो उसके अमेन्डमेन्ट पर डिबेट का स्कोप लिमिटेड होगा। चेअरमेन महोदय, इसलिए स्पष्ट रूप से बतायें कि आया यह ओरीजिनल बिल पर अमेन्डमेन्ट है या अमेन्डिंग बिल है, उसके एक भाग पर अमेन्डमेन्ट है, क्योंकि उन दोनों में काफी अन्तर आयेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि दोनों चीजों में से जो हो वह हमें बता दें।

श्री सभापति : यह साफ कर दिया गया है कि जो बिल आपके सामने है यह अमे-

(श्री सभापति)

न्डिग बिल है, यह ओरीजिनल बिल का अमेन्डिग बिल है और इस अमेन्डिग बिल के अन्दर संशोधन लाया गया है । इसलिए आपके सामने प्रश्न है वह साफ है और अब जो प्रश्न आपके सामने है उस पर आप वाद-विवाद करें ।

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, सर माननीय सभापति की ओर से व्यवस्था दी गई है कि यह अमेंडिंग बिल पर संशोधन है। मैं इस सदन की जानकारी के लिए बताऊं कि अमेंडिंग बिल में इस प्रकार का कोई प्रोवीज़ो नहीं है जिसको 'डलीट करने के लिए यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है । जब कोई प्रोविज़ो नहीं है तो किस चीज का डिलीशन हूंगा, यह समझ में नहीं आया । इसलिए मैं फिर चेअर से इसका स्पीष्टीकरण चाहूंगा ।

श्री तनसिंह : यह ओरीजिनल बिल का ही है, उसमें कोई थर्ड क्लॉज़ है ही नहीं !

श्री सभापति : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं साफ कर देना चाहता हूं कि यह अमेडिंग बिल आया है, उसका क्लॉज़ चार, ओरीजिनल बिल के क्लॉज़ पांच को अमेंड करता है और उस अमेडिंग बिल के अन्दर संशोधनकर्त्ता ने जो संशोधन दिया है, जो अमेंडमेंट दिया है, वह यह है कि उसके नीचे अमेंडमेंट नम्बर तीन और एड कर दिया जाय ।

श्री तनसिंह : In the original Bill, sir ?

श्री सभापति : Not the original Bill, but this Amending Bill.

श्री तनसिंह : Further amend ing this Bill is to amend the original Act.

श्री सभापति : After all this Amending Bill is here in order to amend the original Act.

श्री भैरोंसिंह : लेकिन हमारे पास जो संशोधनों की सूची आई है उसमें संकेत नहीं है कि ओरिजिनल बिल में अमेंडमेंट करने के लिए यह संशोधन है ।

श्री सभापति : आखिर माननीय सदस्य बताने की कृपा करें कि अमेंडिंग बिल आया है वह किस बिल का आया है ?

श्री भैरोंसिंह : ओरीजिनल बिल का आया है, उसमें संशोधन पेश किया गया है ।

श्री सभापति : इस माफिक अमेंडिंग बिल कर दिया गया है और संशोधनकर्ता ने जो संशोधन पेश किया है, उससे अमेंडिंग बिल के अन्दर एडीशन करवाना चाहते हैं । मैं नहीं समझता हूं कि कौन सी कानूनी पेची-दगी है, जिससे माननीय सदस्य अब तक नहीं समझ सके हैं ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : इसमें कानूनी पेचीदगी है, इस पर अभी स्पष्टीकरण होना है कि अमेंडिंग बिल में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी अमेंडमेंट ला सकता है या नहीं ? कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि अमेडिंग बिल के अन्दर कोई चीज़ एड करके ओरिजनल बिल में अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं, मेरा ख्याल है कि जो अमेंडिंग बिल है, उसमें जो क्लॉज़ अमेंड होता है, जिस अर्थ में होता है, उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, उसमें रद्दोबदल हो सकती है, उस पर डिस्कशन हो सकता है । जो अमेंडमेंट आपने पेश किया है, यह अमेंडिंग बिल की हैसियत रखने वाला है, इसलिए सरकार को चाहिए था कि इस प्रकार के अमेंडमेंट को वह अमेंडिंग बिल के रूप

(श्री तनसिंह)

में ले आती । लेकिन कट शोर्ट करने के लिए यह अरेंजमेंट किया है । मेरा निवेदन यह है कि हमें कोई हर्जा नहीं, अगर आप अलाऊ करते हैं, यह हमारे हक में पड़ता है । अगर आप स्पष्ट रूप से रूलिंग देते हैं तो हमारे अधिकार की बात हो जाती है कि जब अमेंडिंग बिल पर अमेंडमेंट रखते हैं तो हमें भी मौका दिया जाना चाहिए कि इम्पोर्टर की डेफीनेशन में रद्दोबदल करने के लिए हम अमेंडमेंट पेश करें, इसमें और भी ज्यादा डिस्कशन हो सकते हैं । मेरा ख्याल है कि इस । आप और देख लीजिये ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा उसको सोचने के बाद में भी चेअरमैन ने जो रूलिंग दी है इस मामले में उसमें परिवर्तन करने के लिए मुझे कोई गुंजाइश मालूम नहीं पड़ती और मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि यदि वे कोई संशोधन पेश करना चाहते है तो मैं समझता हूं कि वे संशोधन इस वक्त भी पेश किये जा सकते हैं लेकिन जिस अमेंडमेंट को विचारार्थ ले लिया गया है, उस क्लॉज़ पर बहस जारी रहेगी और उसके पक्ष या विपक्ष में यदि उन्हें बोलना हो तो वे बोलें ।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं बोलरहा हूं सभापति महोदय । धारा पांच के अन्दर जो तीसरा प्रोवीज़न है, उसके अन्दर कुछ वनस्पति सिगरेट आदि पर साढ़े बारह पर्सेन्ट, इस तरह से बिक्री कर लगा हुआ है । मैं, माननीय सभापति, यह रखना चाहता हूं कि सन् १९५४ के अन्दर इस प्रकार की दरें निश्चित की गई थीं, आखिर उस समय इन दरों को निश्चित करने के लिए क्या पृष्ट भूमि थी ? उस समय क्या विचार था जो साढ़े बारह पर्सेन्ट उस समय रख दिया और आज ऐसी कौनसी स्थिति आ गई है जब हम इसे कम करके केवल सात पर्सेन्ट रख देना चाहते हैं । मैं समझता हूँ कि जहां तक वनस्पति घी, सिगरेट आदि, इन चीजों का सम्बन्ध, उन चीजों का सम्बन्ध ऐसे व्यापारियों से आता है, जो पूंजिपति हैं और बड़े भारी धन्धे करते हैं; ऐसी चीजों के ऊपर, जो जन-स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसी चीजों के ऊपर जिनके लिए सरकार चाहती है कि राज्य के अन्दर कम से कम उनका उपयोग हो, इस प्रकार से भारी कर लगाये जाते हैं तो एक नीति की बात, सिद्धान्त की बात है । सन् १९५४ में भी यह सिद्धान्त रहा होगा । जो चीजें जन-स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं उन चीजों पर भारी कर लगने चाहिए····

४.१६ म० प०

(डॉ० चन्द्रकला, सभानेत्री, पदासीन)

जो साढ़े बारह पर्सेन्ट कर रखा गया था, उसके पीछे यही भावना थी, आज ऐसा लगता है कि सरकार पूंजीपतियों का पोषण करना चाहती है, सरकार पूंजीपतियों के हाथ मजबूत करना चाहती है, आज जो डालडा और वनस्पति का व्यापार करने वाले हैं उनके हाथ सरकार मजबूत करना चाहती है और जनता को शुद्ध घी मिलने वाला है वनस्पति की रोक के कारण जो शुद्ध घी मिलता है, वह नहीं मिल सकेगा । हमारे यहां पर खुले रूप से वनस्पति घी मिलता है और शुद्ध घी से भेद करने का कोई साधन नहीं है । अब तक वनस्पति में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जा सकी. इससे आज घी के नाम से बिकने वाले घी में तेज को काम में लिया जाता है, यह अब और ज्यादा बिकेगा और जन-स्वास्थ्य की हानि होगी । इसलिए किसी प्रकार से अगर यह स्वीकार किया जाता है कि यह संशोधन रखा जाय तो मैं उसका सैद्धान्तिक विरोध करता हूं । इस प्रकार का

Page No.100

(श्री दयाकृष्ण विजय)
संशोधन किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह जन–स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हुए, जन-विचारों की दृष्टि से देखते हुए, जनता की भावनाओं की दृष्टि से ठीक नहीं है और मैं इसके विरुद्ध हूँ। इस प्रकार का संशोधन है जो प्रतिगामी संशोधन है, और कुछ लोगों के हाथ मजबूत करने वाला है, कुछ पूंजीपतियों के हाथ मजबूत करने वाला संशोधन है। मुझे ऐसा लगा था कि राजस्थान सरकार गरीबों की ओर, किसानों की ओर देखने लगी है, लेकिन आज इस प्रकार के संशोधन को देखने से लगता है कि सरकार पूंजीपतियों के हाथ खेलने लग गई है और उनके हाथ में खेलना चाहती है। इसलिए इस प्रकार की भावना से ट्रेज़री बेंचेज़ से इस प्रकार का संशोधन रखा जाता है, जो पूंजीपतियों के हाथ मजबूत करने वाला हो, तो विरोधी दल जो कि अल्प मत का है, उसका केवल विरोध कर सकता है। क्योंकि यह गरीबों के हित में नहीं है, जन–स्वास्थ्य के हित में नहीं है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। वनस्पति और सिगरेट आदि पर साढ़े बारह पर्सेन्ट जो कर लगा हुआ था, इसमें कमी नहीं की जानी चाहिए और इसके बजाय इसको बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, मैं क्लेरिफिकेशन कर दूं। एक गलतफहमी हो रही है कि साढ़े बारह पर्सेंट कर सेक्शन पांच में लगा हुआ था। एक्चुअली १९५४ में लगा था लेकिन बाद में वह कम हो गया था, साढ़े बारह पर्सेंट से सवा छः पर्सेंट हो गया था, इसलिए सारी दलीलें....

श्री तनसिंह : आप स्पष्ट कर दीजिये कि किस किस में हुआ है?

श्री दामोदरलाल व्यास : वेजिटेबल ऑइल पर साढ़े बारह पर्सेंट रहा और बाकी सब पर सवा छः पर्सेंट हो गया था। इसलिए जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे कि साढ़े बारह पर्सेंट होना चाहिए क्योंकि जन–स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, लेकिन सवा छः पर्सेंट को हम सात पर्सेंट करके बढ़ा रहे हैं। इसलिए जो दलील दे रहे हैं, वह दी जाय तो ठीक नहीं है।

श्री तनसिंह : In relation to all other articles it has been reduced except palm-oil in which 12½% rate has been retained.

श्री श्रीभानसिंह : But the Hon'ble Speaker should know that the mover of the amendment has moved an amendment for this 12½% and not 6¼%. In his speech he has said this thing.

श्री दामोदरलाल व्यास : But you must have mis-understood it.

(इस पर श्री तनसिंह के खड़े होने पर)

श्री सभापति : Order please!

श्री दामोदरलाल व्यास : what does he want to submit; Whether raising a new point or repeating the old one?

श्री तनसिंह : I am rising on a point of order. Pealse allow me.

अब भी मुझे घोर आपत्ति है, माननीय मन्त्री महोदय के स्पष्टीकरण के बाद में। मैं इस प्रकार का उदाहरण रखना चाहता हूं कि मैंने आज स्टाम्प लॉ के अन्दर अमेन्डमेन्ट दिया था कि स्पेशल मेरेज के सिलसिले में...

*श्री दामोदरलाल व्यास : How are we concerned with all that ?

श्रीमती सभानेत्री (डॉ० चन्द्रकला) : आर्डर ! आर्डर !!

श्री दामोदरलाल व्यास : This is no point of order.

श्री तनसिंह : (अश्रव्य)

श्री दामोदरलाल व्यास : (अश्रव्य)

श्री तनसिंह : मेरा पोइन्ट ओफ ऑर्डर यह है कि आज स्टाम्प ला और कोर्ट फी एक्ट में स्पेशल मैरेज के सिलसिले में....

श्री दामोदरलाल व्यास : (अश्रव्य)

श्री तनसिंह : आप मुझे कहने देंगे कि नहीं ? स्पेशल मैरेज के सिलसिले में जहां २० रुपये के स्टाम्प्स लगाने का है वहां ५० रुपये के स्टाम्प लगाने का अमेंडमेंट रखा था...

श्री मतीसभानेत्री : आपका यह पोइन्ट ओफ आर्डर है क्या ?

श्री तनसिंह : मैं यही स्पष्ट कर रहा हूं । मेरा वह अमेंडमेंट इसलिए अस्वीकृत कर दिया गया कि उस पर राज्यपाल की स्वीकृति नहीं थी । मेरा जब संशोधन आया तो कहा कहा गया कि राज्यपाल की स्वीकृति नहीं है...

श्री संपतराम : किसने कहा ?

श्री तनसिंह : यहां के ऑफिस ने मेरा अमेंसमेंट स्वीकार नहीं किया क्योंकि राज्यपाल की स्वीकृति नहीं थी, टैक्स बढ़ाने के उस अमेंडमेंट पर । इस सदन के अन्दर टेक्स घटवाने का यहां पर मोशन मूव कर सकते हैं बढ़वा नहीं सकते, राज्यपाल की स्वीकृति होनी चाहिये उस पर । अगर यह गलत है तो मेरा संशोधन अस्वीकृत क्यों किया गया ? तो जिस तरह मेरा संशोधन स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वह टैक्स बढाने का था और उस पर राज्यपाल की स्वीकृति नहीं थी, तो उसी बिना पर यह अमेंडमेंट भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये । सवा छः रुपया पहले टैक्स था और अब ७ पर्सेंट हो रहा है तो इस पर भी राज्यपाल की स्वीकृति होनी चाहिये । इसी पोइन्ट ओफ ऑर्डर से निवेदन करता हूं कि इस अमेंडमेंट को स्वीकार नहीं करना चाहिये ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय मन्त्री महोदय स्पष्टीकरण करें ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय चैअरमैन, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया ५४ का जो एक्ट था उसके बाद में संशोधन कर दिया । उसके बाद अब सवा छः हाइड्रोजेनिटेड ऑइल पर साढे छः पाम ऑइल पर साढ़े बारह पर्सेंट करने का नहीं है । इसको डिलीट करने से इतना मतलब है कि सात पर्सेंट का सीलिंग है, उसके गवर्नमेंट को पावर्स रहेंगे, वह इस अमेंडमेंट के जरिये रहेंगे । साढ़े बारह पर्सेंट का जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर माननीय सदस्य रेज करते हैं, वह तो प्रश्न उठता ही नहीं, राज्यपाल की स्वीकृति चाहिये....This is only the deletion of the third proviso.

श्री तनसिंह : But what will be the consequences ?

डिलीशन से कॉन्सीक्वेन्सेज होते हैं, सवा छः पर्सेंट अभी तक वसूल किया, अब इससे ७ पर्सेंट तक वसूल कर सकते हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास : वसूल नहीं किया जा सकता, this is wrong.

श्री तनसिंह : वसूल किया जा सकता है, अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दिया था कि कोई भी टैक्स बढ़ाते हैं तो उसके लिये राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता है। मेरा एक अमेंडमेंट आज इसी बिना पर नहीं लिया गया। यह सवा छः पर्सेंट से ७ पर्सेंट तक बढ़ाने का है तो इस बिना पर इस पर भी राज्यपाल की स्वीकृति होनी चाहिये, मेरे अमेंडमेंट के स्तर पर इसको ट्रीट करना चाहिये,

श्रीमती सभानेत्री : आप बताइये न, बोलिये।

श्री भैरोंसिंह : इन तीनों के आपस में झगड़ा है, पहले इनको आप एक निर्णय पर पहुंचने दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई झगड़ा नहीं, आप क्या फरदर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं .. ....।

श्री तनसिंह : सवा छः से सात पर्सेन्ट किया गया है इसके सम्बन्ध में राज्यपाल की स्वीकृति है कि नहीं, यही स्पष्टीकरण चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : साढ़े छः को ७ नहीं किया है, इस एग्ज़ेम्पशन को डिलीट किया जा रहा है, इससे गवर्नमेंट को डिस्क्रिशन होता है।

श्री तनसिंह : मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ है, अभी रिपोर्ट्स को देख लीजिये, स्पष्ट कहा था कि आपको एतराज क्या था बढ़ा रहे हैं, ७ पर्सेन्ट कर रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय हमें गुमराह करना चाहते हैं। इस मायने में आपको एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : I am not denying that. I never said that.

श्री तनसिंह : बढ़ा रहे हैं तो राज्यपाल की स्वीकृति होनी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : सवाल यह है कि सवा छः पर्सेन्ट से ७ पर्सेंट करने का कहते हैं, मेग्ज़िमम सेवन पर्सेन्ट तक हो सकता है, पॉवर दी हुई है स्टक्चर में, चार भी हो सकता है, पांच पर्सेन्ट भी हो सकता है, यह मैंने कब कहा कि ७ होगा।

श्री तनसिंह : मैं समझ नहीं सका कि अभी मन्त्री महोदय, जो काला कोट पहने हुए है, हमारे रेवेन्यु मिनिस्टर साहब हैं; वे फरमाते हैं कि हम बढ़ा रहे हैं, आपको इसमें एतराज क्या है और उपमंत्री महोदय कह रहे हैं कि घटा रहे हैं, तो निर्णय करके एक बात कह दीजिये कि फाइनल क्या चीज है?

श्री सम्पतराम (उपमन्त्री) : मुझे सबसे बड़ा अफसोस यह है कि इन अमेंडमेंट को न तो पढ़ा है और न अच्छी तरह से देखा है। प्रोविज़ो को देखना चाहिये, शुरू में चेन्ज करने के लिये कहा है : Any addition or deletion of any provision in the main Act will definitely have effect upon the original Act. तो मेन एक्ट तो आपके पास है ही नहीं, इससे मतलब क्या?.... They should have come fully prepared.

श्री तनसिंह : प्रिपेरेशन के लिये मौका दिया होता तो हम पढ़ कर आते।

अभी तो हम यह कहते हैं कि आप यह स्पष्ट कर दीजिये कि टैक्स बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, एक बात तो तय कर लीजिये। मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि घटा रहे हैं, एक बात तो तय कर लीजिये।

Page No.103

श्री मदनसिंह : प्रश्न यह चल रहा है कि उस पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति लेने की आवश्यकता है वह ली गई कि नहीं ?

श्री सम्पतराम (उपमन्त्री) : जहां तक सवा छः पर्सेन्ट से ७ पर्सेन्ट तक बढ़ाने का प्रश्न है; राज्यपाल की स्वीकृति ली गई, सवा छः पर्सेन्ट से ७ पर्सेन्ट मेग्ज़िमम किया है, सात पर्सेन्ट किया है तो उसके बाद प्रोविज़ो था, उसके फीगर्स आते हैं, ओटोमेटिकली हो जाता है । सवा छः पर्सेन्ट तक की पॉवर्स इसमें गवर्नमेंट को दे दी है ।

Goveernment can impose any tax beyond 7%.

श्री तनसिंह : Beyond 7%. ?

श्री सम्पतराम : I am sorry, below seven percent.

श्री दयाकृष्ण विजय : प्रश्न यह है कि प्रोविज़ो ३ को हटा देते हैं तो सवा छः पर्सेन्ट लगा है वहां ७ पर्सेन्ट हो जाता है, तो ये जो चार चीजें दे रहे हैं इन पर ७ पर्सेन्ट लगेगा या कुछ नहीं लगेगा ?

श्री सम्पतराम : अपटू ७ पर्सेन्ट लगेगा।

श्री दयाकृष्ण : तो टैक्स की वृद्धि हुई या नहीं और इस पर राज्यपाल को इजाजत ली गई या नहीं ?

श्री सम्पतराम : फेक्ट की गल्ती है । प्रश्न यह है कि एमेन्डिंग बिल और ओरिजिनल एक्ट में कुछ चेन्ज होगी ही । इसलिये यह कहना कि यह ऑर्डर में नहीं हैं उचित नहीं है । जब आप कहते हैं कि ७ पर्सेन्ट मेग्ज़िमम हो सकता है तो उसके बाद गवर्नमेंट के पास, Government can impose tax upto seven percent.

श्री दयाकृष्ण : मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री मेरे प्रश्न को समझ नहीं पाये हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस समय सेकिन्ड प्रोविज़ो के लिये राज्यपाल से इजाजत ली गई थी ६। पर्सेन्ट की, उस समय सेकिन्ड प्रोविज़ो के साथ साथ थर्ड प्रोविज़ो भी मौजूद था । उनकी स्वीकृति ६। पर्सेन्ट की थी और अब जब नया एमेंडमेंट आता है तो ६। पर्सेन्ट के बजाय ७ पर्सेन्ट हो जाता है । क्या यह उचित है ?

श्रीमती सभानेत्री : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहती हूं कि यह जो संशोधन हुआ है उसका प्रभाव तो पड़ेगा और उस कारण थोड़ी वृद्धि होगी । लेकिन इसके बारे में राज्यपाल की स्वीकृति तो ली जा चुकी है ।

श्री तनसिंह : मेरा ख्याल है कि इस बिल पर राज्यपाल की स्वीकृति ली है, लेकिन यहां पर जो एमेन्डमेंट आया है उस पर राज्यपाल की स्वीकृति नहीं ली गई है । मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरा भी इसी तरह का एक एमेन्डमेंट था जो इसी बात पर अस्वीकार किया गया और नहीं लिया गया । मेरा एमेन्डमेंट टैक्स बढ़ाने का था और वह इसीलिये नहीं लिया गया । जब यहां पर यह ६। पर्सेन्ट के बजाय ७ पर्सेन्ट कर रहे हैं तो जो मेरा एमेन्डमेंट वृद्धि का था उसको क्यों खराब किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय चेयरमैन, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में आपका कुछ रूलिंग होना चाहिए। It has been discussed enough. अभी दो अमेन्डमेन्ट्स किये जिसमें ६। से ७ पर्सेंट का अमेन्डमेंड किया है । अभी मा० उप मंत्री ने कहा कि इस पर गवर्नमेंट की स्वीकृति है । इसके अलावा अभी ७ पर्सेंट का प्रोविजन

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हाउस ने पास कर दिया और गवर्नर की सैंक्शन है and, therefore there is no point of order at all.

श्री तनसिंह : यह तो आप हमको गुमराह कर रहे हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : गुमराह करने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री तनसिंह : गुमराह ही किया जाता है । अभी तक यह था कि ६। पर्सेंट लिया जावेगा और अब वह हटा दिया गया । अब ७ पर्सेंट तय किया और राज्यपाल की स्वीकृति इस पर नहीं ली गई, यह क्लॉज़ पहले मौजूद था । दूसरे विषय में ली गई, मगर इस पर नहीं ली गई । आज मेरा भी एक अमेंडमेंट इसीलिए नहीं आया कि उसमें स्वीकृति नहीं थी । मैं भी अपने अमेंडमेंट के जरिये ५० रुपये बढ़ाना चाहता था, मगर वह नहीं लिया गया और गिरा दिया गया ।

श्री दयाकृष्ण विजय ; प्रोविज़ो ३ है, उसमें पाम ऑइल है । इसमें जो सशोधन आया है उससे यदि हम हटा देते हैं तो ६। पर्सेंट के हिसाब से वृद्धि होती है और १२॥ पर्सेंट के हिसाब में बिल में कमी होती है । तो यह ऐसी चीज है कि एक ही क्लॉज़ में एक जगह वृद्धि और एक जगह कमी है जिसकी सैंक्शन आपने ली है या नहीं ? यह एक वैधानिक प्रश्न है कि यह ७ पर्सेंट आप करने जा रहे हैं वह कैसे करने जा रहे हैं ?

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ने अभी जो आपत्ति उठाई है कि इसमें राज्यपाल की स्वीकृति ली गई है या नहीं, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य स्पष्टीकरण चाहते हैं, आप कर दें ।

श्री संपतराम : मैंने बार बार कहा, मगर कोई समझा नहीं । टैक्स को बढ़ाने के लिए ७ पर्सेंट तक हमने राज्यपाल की स्वीकृति ली, उसके बाद में कोन्सीक्वेन्सेज़ की बात थी । हमने चेन्ज किया है । इसलिये जब यह आपने पास कर दिया कि ७ पर्सेन्ट तक कर सकते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि इसमें क्या आपत्ति है ?

श्रीमती सभानेत्री : मेरा ख्याल है कि इससे माननीय सदस्य का सन्देह-निवारण हो गया होगा ।

श्री मदनसिंह : अगर राज्यपाल से टैक्स की इजाजत लेते कि इतना पर्सेंट लगता है और अब इतना पर्सेंट (७ पर्सेंट) लगायेंगे, अगर यह इजाजत लेते तो हो सकता था । मगर आइटम अलग अलग हैं । यदि आपने इजाजत ली है तो दूसरे आइटम पर ली है । मैं समझता हूं कि इनमें राज्यपाल से सैंक्शन की जरूरत थी ।

श्रीमती सभानेत्री : मेरा ख्याल है कि ६। पर्सेंट के बजाय ७ पर्सेंट किया है और ७ पर्सेंट तक करने की स्वीकृति ली जा चुकी है, तो इसका मतलब यह ही होगा कि राज्यपाल की स्वीकृति इस पर ली गई है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं इसमें कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा । यह कहा गया कि ६। पर्सेंट से ७ कर दिया और इसके लिए स्वीकृति राज्यपाल की मौजूद है, लेकिन उस क्लॉज़ में ४ चीजें सेपरेटली दी हैं और उन सब पर सेपरेटली और स्पेशली रेट दी हुई है । पर ६ पर्सेंट, किसी पर ६॥ पर्सेंट और किसी पर १२ और १२॥ पर्सेंट और यह चीज एक्ट में विशेष रूप से दिखाई गई है और खास तौर से एक एक चीज़ पर यह टैक्स दिखाया गया है । इसलिये जब तक राज्यपाल महोदय की स्वीकृति अलग अलग आइटम्स पर न हो, यह

(श्री भैरोंसिंह)

स्वीकृति इस आइटम को कवर करने के लिए काफी नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप चेअर की रूलिंग को चेलेंज कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं रूलिंग को चेलेंज नहीं कर रहा हूं।

श्रीमती सभानेत्री : मेरा ख्याल है कि ७ पर्सेंट तक की यदि स्वीकृति ली जा चुकी है तो यह स्वीकृति है।

श्री भैरोंसिंह : ७ पर्सेंट की स्वीकृति जो ली है वह सारे बिल के लिए मूव करने के लिए ली गई है। लेकिन एक प्रोविजन में तीन या चार चीजें अलग २ हैं, उसके लिये क्या कोई स्वीकृति ली गई है या नहीं? जो अलग अलग चीजें हैं उनके लिए अलग अलग रूप से राज्यपाल महोदय से स्वीकृति लेनी होगी। यह जो स्वीकृति हमने राज्यपाल से ली है वह जनरल लेजिस्लेचर के लिए ली है। सारे बिल के सम्बन्ध में राज्यपाल से स्वीकृति ली है और यह सारे बिल के बारे में हो सकती है, लेकिन यह कोई स्पेसिफिक आइटम के बारे में नहीं होगी। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि चैयरमेन महोदया, यह मामला Complicated है, इस सम्बन्ध में एडवोकेट जनरल से राय ले ली जावे कि जो स्वीकृति ली गई है वह पर्याप्त है या नहीं, अगर उनकी राय में पर्याप्त हो तो फिर इस पर आगे विचार किया जा सकता है।

डा० बहादुरसिंह : आपने अभी फरमाया कि यदि ७ प्रति की स्वीकृति ली जा चुकी है तो क्या आपको इसमें कोई शक है?

श्रीमती सभानेत्री : मुझे कोई शक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जो स्वीकृति आई है यदि उसकी भाषा सदन में पढ़कर सुना दी जाय तो पता लगेगा।

श्री तनसिंह : स्वीकृति तो बिल को मूव करने की होगी। यह कभी नहीं होगा कि अमेंडमेंट मूव करने की स्वीकृति दी गई हो।

श्रीमती सभानेत्री : Recommendations of the Government, "In pursuance of clause 1 and 3 of Article 207 of the Constitution of India, I hereby recommend the Rajasthan Sales Tax (Amendment) Bill, 1958 for being introduced and moved in and considered by the Rajasthan Legislative Assembly."

श्री तनसिंह : यह तो बिल के लिए स्वीकृति है, अमेंडमेंट के लिए नहीं है।

The Bill as introduced in the Assembly was something different and the amendment which has been proposed bp the Hon. Member is quite a different thing and on that sanction has not been made.

श्रीमती सभानेत्री : सदन की राय को जानते हुए इस प्रश्न को यहीं स्थगित किया जाता है। पीछे इस विषय में एडवोकेट जनरल की राय लेकर इस पर हम आगे विचार करेंगे।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह : उप मन्त्रीजी पहले ही राय लेकर आते तो अच्छा होता।

खण्ड ५ से ११

श्री तनसिंह : ५।। हो गये हैं, गरमा गरमी आ गई है। अब ठंडे होना चाहते हैं,

(श्री तनसिंह)

इसलिए कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : क्लॉज़ ५ से लेकर ११ तक कोई संशोधन नहीं है इसलिए इनको सदन पास करे।

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, जो क्लॉज़ स्थगित किया गया है वह इतना इम्पोर्टेन्ट है कि जब तक उस पर विचार न कर लिया जय और उसको पारित न कर दिया जाय तब तक उससे आगे के क्लाज़ेज़ पर विचार न किया जाय, इस पर जब तक विचार न कर लिया जाय तब तक आगे के क्लॉज़ेज़ की प्रोसिडिंग्स को स्थगित कर दिया जाय। आगे के ये क्लॉज़ेज़ इस क्लॉज़ से रिलेटेड हैं इसलिए सदन को इस क्लॉज़ के पश्चात् अपनी पर्याप्त राय बनाने का मौका दिया जाय और जब सदन के सदस्य इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में एडवोकेट जनरल की राय जान जावेंगे तो उनको इन पर अपने विचार प्रकट करने का मौका मिलेगा इसलिए इनको स्थगित कर दिया जाय और मैं समझता हूँ कि यह सही परम्परा होगी।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्यों को यह मालूम होना चाहिये कि पांच से लेकर ११ तक क्लॉज़ेज में कोई संशोधन नहीं है इसलिए इनको स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है, इनको पास कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : संशोधन इसलिए प्रस्तुत नहीं किये कि जो संशोधन माननीय राम प्रसाद जी लड्ढा ने प्रस्तुत किया है उसको ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य ऐसा समझते थे कि संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकते और दूसरा प्रश्न यह आया कि इस सम्बन्ध में माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति ली गई है या नहीं ? ये दो विषय ऐसे सम्मुख रहते हैं कि जब तक इन पर स्पष्ट राय मालूम न हो जाय माननीय सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्तुत नहीं करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक इन पर कोई राय न आवे और राय न भी हो तो संशोधन प्रस्तुत करने का सवाल ही नहीं उठता है। साथ ही साथ यदि संशोधन प्रस्तुत नहीं किये हैं तो इसके माने यह भी नहीं हैं कि सदन के सदस्य इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना चाहते। हम अलग अलग क्लाजेज़ में इस एक क्लॉज़ की पृष्ठभूमि को सामने रख कर अपनी राय सदन में व्यक्त करना चाहेंगे इसलिए सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इनको कल तक के लिए स्थगित रख दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : मेरा ख्याल है कि जैसा माननीय सदस्य भी समझते होंगे ये क्लॉजेज एक दूसरे से सम्बन्धित नहीं हैं किन्तु अपने आप में स्वतन्त्र हैं इसलिए इन पर राय लेने में कोई हर्ज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह सदन की प्रिविलेज भी है।

श्रीमती सभानेत्री : अब मैं सदन की राय जानना चाहूंगी कि क्लॉजेज ५ से लेकर ११ तक; चूंकि इनमें कोई संशोधन नहीं है, इसलिए विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज ५ से लेकर ११ तक विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री श्रीभानसिंह : अब एडजोर्न कर दीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : थोड़ी देर और बैठ लीजिये।

खण्ड १२

(श्री तनसिंह का अमेन्डमेन्ट था किन्तु प्रस्तुत नहीं किया गया)

क्या सदन की राय है कि क्लॉज़ १२ विधेयक का अंग बने?

(स्वीकृत)

क्लाज १२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

खण्ड १३

क्लॉज १३.

श्री तनसिंह : १३ तक तो पहुँचा ही नहीं हूं। मैंने इनको देखा ही नहीं है।

(विराम एवं शोरगुल)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य थोड़ी देर तक और धीरज और शान्ति रखें।

श्री तनसिंह : इसमें तो सेकन्ड प्रोविज़ो ही नहीं दिखता है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य शुरू करें।

श्री तनसिंह : शुरू करूं, मिले तो। मेरा अमेन्डमेन्ट यह है :

"Delete part (ii) of sub-clause (a) of the clause, the part is as under: 'in the second proviso for the words 'two years' the words 'three years' shall be substituted."

(विराम)

श्री श्रीभानसिंह : May I make a humble submission to the chair; the House is not in a mood any more, and there are just 10 minutes left so I move that the House be adjourned till tomorrow at 11 A. M.

श्रीमती सभानेत्री : मेरा ख्याल है कि १३ वे क्लाज को पूरा करके फिर एडजोर्न करें।

श्री तनसिंह : समस्या समझ में ही नहीं आती। इसमें सेकिन्ड प्रोविज़ो ही नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : इसका मतलब यह हुआ कि आप अमेन्डमेंट मूव नहीं कर रहे हैं।

श्री तनसिंह : मूव कर रहा हूं। इसमें सेकिन्ड प्रोविजो ही नहीं है। ओरिजिनल बिल है उसमें यह बताया गया है कि क्लॉज १३ के सब क्लॉज़ (ए) है, तीन साल की जगह दो साल करने का। लेकिन ५८ का जो बिल है उसमें सेकिन्ड प्रोविजो नहीं है।

एक माननीय सदस्य : सेक्शन १३ अपील का है।

श्री तनसिंह : मैं सेक्शन १४ की कह रहा हूं।

(हंसी)

श्री तनसिंह : (जारी) इसमें माननीय सभापति महोदया सेक्शन १४ रिवीजन का है,

"The Commissioner may in his discretion at any time, suo-moto or being moved by the assessing authority call for and examine..."

और इसके बाद है :

"Provided further that the commissioner shall not revise an order

Page No.108

(श्री तनसिंह)

which has been made more than two years previously.

श्री संपतराम : There should be amendment.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon. Minister and the Hon. Member should not talk directly to each other when the chair is there.

श्री तनसिंह : (जारी रखते हुए) अमेन्डमेन्ट को समझाने के लिये सेक्शन १४ को मैं पढ़ कर सुनाता हूं।

श्रीमती सभानेत्री (डा० चन्द्रकला) : माननीय सदस्य लोग तो सब समझे हुए हैं, आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री तनसिंह : माननीय सदस्य तो समझे हुए हैं हैं, किन्तु माननीय मंत्री महोदय के भी समझ में आ जाय इसलिये मैं इसे दोहराना चाहता हूं

श्री सम्पतराम (उपमंत्री) : I am quite clear in my mind and the House is quite clear in its mind, but the Hon. Member is not clear in his own mind. He should move his amendment and then he should speak on his amendment not on the whole Act.

श्री तनसिंह : (जारी) क्या यह जरूरी है कि अमेन्डमेन्ट को मूव करने के लिये हम क्लॉज़ को नहीं पढ़ें, यह कोई बन्ध नहीं है। यह कैसे हो सकता है कि आपके कहने से मैं अपने अमेन्डमेन्ट के सपोर्ट में क्लॉज़ को न पढ़ूं।

श्रीमती सभानेत्री : आप क्लॉज़ को रेफर कर सकते हैं किन्तु माननीय मन्त्री महोदय के ज्ञान में आशंका प्रगट नहीं कर सकते।

श्री तनसिंह : माननीय सभापति महोदया, मैं कान पकड़ लेता हूं हमारे मन्त्री महोदय ज्ञानी हैं, इसमें कोई संशय नहीं; यह सब समझते हैं। मैं तो अपना अमेन्डमेन्ट मूव कर रहा हूं।

श्री श्रीभानसिंह : On a point o order, very objectionable expression has been used by the hon. Member.

कान पकड़ते हैं, किसका कान पकड़ते हैं, यह स्पष्ट नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह : जब तक माननीय सदस्य यह नहीं कहते कि किसका कान पकड़ते हैं तब तक मुगालता ही रहेगा।

श्री तनसिंह : (जारी रखते हुए) मेरा संशोधन यह है कि जो सेक्शन १४ के रिवीजन के सिलसिले में है इसके अन्दर यह बताया गया है कि कमिश्नर किसी भी वक्त किसी की एप्लीकेशन पर कोई भी रेकार्ड मंगा सकता है। रेकार्ड को मंगा कर एग्ज़ामिन करके ऑर्डर्स इम्प्रोपर हो, इल्लीगल हो या इरोनियस हो तो उसको ठीक कर सकता है। इसमें यह है कि इसके लिये पहले दो साल का समय दिया हुआ था, अब इसमें तीन साल का समय रखा गया है। आज हमारी सरकार यह सोचती है कि कमिश्नर किसी ऑर्डर को एरोनियस, इम्प्रोपर या इल्लीगल होने पर उसका पता पहले दो सालों में लग जाया करता था किन्तु अब सरकार यह देखती है कि उनकी एग्ज़ीक्युटिव इतनी सुस्त हो गई है कि दो सालों में पता लगा नहीं सकती इसलिए उसकी अवधि बढ़ा कर तीन साल की कर दी जाय, इस प्रकार का अमेन्डमेंट रखा गया है,। यह

(श्री तनसिंह)

जो अमेन्डिंग बिल लाया गया है इसमें इस प्रकार का कोई कारण व्यक्त नहीं किया गया है कि दो साल की अवधि को बढ़ा कर तीन साल की अवधि क्यों की जाय ? इस अवधि के बढ़ाने का स्पष्टीकरण नहीं। At random विचार हुआ, इससे यह पता चलता है कि हमारे एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर कितने जागरूक हैं। होना तो यह चाहिये कि यह दो साल के पीरियड को कम किया जाता किन्तु होता यह है कि इसको और एक साल के लिए बढ़ाया जाता है। हम तो यह आशा करते थे कि आप इस प्रकार का अमेन्डिंग बिल लाते कि यदि कमिश्नर दो सालों में ये काम खत्म नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है लेकिन यह बात नहीं, उल्टा उनको शह दी जाती है दो साल में आप काम खत्म नहीं करते हैं तो एक साल का समय और दिया जाता है। दो साल का समय होते हुए भी आपने ऑर्डर्स क्यों नहीं पास किये ? उन अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने या डिपार्टमेंटल कार्यवाही के संबन्ध में कोई संशोधन होता तो हम भी मानते कि सरकार अपने कार्य में तत्परता लाना चाहती है। इस प्रकार का जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वह अनुचित है, दो साल को बढ़ाया जाना कोई न्याय संगत नहीं। हम कब तक इस प्रकार प्रतीक्षा करते रहें कि एक आदमी पर दो साल तक एक तलवार लटकी रहे। किसी भी वक्त उसको डर रहेगा कि कमिश्नर फैसले को रद्द कर दे। अब उस अवधि को बढ़ाकर तीन साल किया जा रहा है, इससे क्या होगा कि तीन साल तक रेकर्ड को मेन्टेन करना पड़ेगा, नहीं तो होगा क्या कि जब कभी कमिश्नर के दिमाग में आया कि हो सकता है इस प्रकार का कोई ऑर्डर हुआ हो उसके लिए उसको पीछे का रेकॉर्ड मालूम करना पड़ेगा। वह रेकार्ड मान लीजिये गवर्नमेन्ट के कब्जे में न हो किसी पार्टी के पास हो तो ऐसी हालत में उस रेकॉर्ड को पेश करना मुश्किल हो जायगा। यह हो सकता है कि वह रेकार्ड कहीं गुम हो सकता है, जल सकता है, नष्ट हो सकता है। अब इस अमेन्डमेन्ट से तीन साल तक रेकार्ड को प्रिज़र्व करना पड़ेगा। होना तो यह चाहिये था कि इस दो साल के पीरियड को कम किया जाता। होता क्या है कि यहां कानून को पास करते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता, नियमों का ख्याल नहीं रखा जाता। कई ऑर्डर्स पास कर लेते हैं जिनको रिवाइज़ करने की आवश्यकता प्रतीत होती है, उनको भी नहीं किया जाता इसके लिये पहले से ही दो साल की अवधि रखी हुई है, ६ महीने में कर सकता है, साल भर में कर सकता है और उसके बाद फिर दो साल तक का समय रखा है रिवाइज़ करने के लिये, यह दो साल का समय बहुत है। रिवाइज़ ऑर्डर्स जो स्वयं पास करते हैं या सबोर्डिनेट ऑथोरिटी पास करती है, फिर भी इतना समय लगना बहुत अनुचित है। मेरा यह संशोधन है कि इसमें किसी भी प्रकार समय न बढ़ाया जाय, दो साल ही काफी हैं।

श्रीमती सभानेत्री : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करती हूं कि इस बिल पर कल भी बहस चालू रहेगी। सदन की कार्यवाही कल दिनांक १२ मार्च, १९५८ के ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बजे, कल, दिनांक १२ मार्च, १९५८ के ११ बजे म० पू० तक स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, ११ मार्च, १९५८)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर — २८३३

जमना डेयरी स्कूल ।
समाज कल्याण विभाग से दी जाने वाली छात्रवृत्ति ।
अतिवृष्टि से तहसील दूनी और उनियारा में हुई क्षति ।
कन्या पाठशाला, कोटपुतली ।
पटवारियों की वेतन वृद्धि ।
उप-तहसील कार्यालय की स्थापना ।
हाई स्कूल, चाकसू ।
जयपुर सिटी कैम्प स्थित पुरुषार्थी परिवार ।
पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण ।
पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं ।
आबू में पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों के लिए बोर्डिंग हाउस ।
सार्वजनिक स्थानों का पंचायतों को हस्तान्तरण ।
खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ।
माध्यमिक पाठशाला, लूण-करणसर ।
बीघोड़ी वसूली (त० पाली) ।
खनिज (त० पाली) ।
कोष कार्यालय (ट्रेज़री), बाड़मेर ।
तहसीलदार, रायपुर (भीलवाड़ा) विकास खंड ।
भूमि वितरण ।
राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड ।
सरकार द्वारा लिया हुआ कर्ज ।
हरिजन व आदिवासी छात्रावास ।
लक्ष्मी विलास पेलेस, उदयपुर ।
अनुसूचित जातियों के हितार्थ भवन निर्माण योजना ।
हाडेन्द्र इन्टरमीजिएट कॉलेज बूंदी ।
प्रत्येक जिले में पर-केपिटा व्यय ।
"पान चराई" लगान ।
डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ हैन्डलूम ।
माध्यमिक पाठशाला ।
चराई ।

स्थगित प्रश्न । — २८८४

शुक्रवार, १४ फरवरी, १९५८
विश्वेश्वरदास डागा साइन्स कॉलेज, बीकानेर ।
सोमवार, १७ फरवरी, १९५८ ।
चराई वसूली ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर — २८८६

मधु-मक्खी पालन केन्द्र ।
विभिन्न विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन निधि लेने सम्बन्धी ।
राज्य अधीनस्थ देवस्थान ।
जिला जयपुर की तहसीलों की जन-संख्या एवं राजस्व आय ।
डिस्चार्ज्ड जागीर कर्मचारियों का राज्य सेवा कालीन वेतन सम्बन्धी ।

अनुपस्थिति के लिए अनुमति — २८९४

श्री नारायणसिंह मसूदा को दिनांक २५-२-५८ से २८-२-५८ एवं श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा को दिनांक ११-३-५८ को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई ।

	स्तम्भ
विधायी कार्य	
प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाने वाला विधेयक	२६३८

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री के प्रस्ताव पर राजस्थान नकदी जागीर उत्सादन विधेयक, १६५८ एक प्रवर समिति के सुपुर्द इस आदेश के साथ किया गया कि समिति अपना प्रतिवेदन इस सत्र के अन्त तक प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

(१) प्रभारी मंत्री
(२) श्री तेजमल बापना
(३) श्री बृजमोहनलाल शर्मा
(४) श्री जयेन्द्रसिंह
(५) श्री भैरोंसिंह खेजड़ला
(६) श्री अमृतलाल पायक
(७) श्री मोडूलाल मीना
(८) श्रीमती कमला श्रोत्रिय
(९) श्री चुन्नीलाल
(१०) श्री शंकरलाल
(११) श्री घासीराम यादव
(१२) श्री मोहरसिंह
(१३) श्री नत्थीसिंह
(१४) श्री रामनारायण
(१५) श्री अनूपसिंह

विधेयकों का पारण

निम्नांकित विधेयक सदन द्वारा विचारार्थ लिये जाकर पारित किये गये :—

	स्तम्भ
(१) राजस्थान कोर्ट फी एन्ड स्टाम्प लॉज़ (एक्सटेन्शन) विधेयक, १६५८	२८६५
(२) अजमेर वक्फ बोर्ड (विघटन) विधेयक, १६५८	२६३६
(३) कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (राजस्थान अमेंडमेंट) विधेयक, १६५८	२६४०
(४) राजस्थान होल्डिंग्ज़ (कन्सोलिडेशन एन्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेंन्टेशन) संशोधन विधेयक, १६५८	२६४१
(५) राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५८	२६४२
(६) राजस्थान हक मालिकाना समापन विधेयक, १६५७	२६४३
(७) राजस्थान पेन्शन विधेयक, १६५८	२६४४
(८) इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १६५८	२६४५
(९) राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण विधेयक, १६५७ (प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित)	२६७३
(१०) मोटर व्हिकल्स (बोम्बे अमेंडमेंट्स) निरसन विधेयक, १६५८	२६७४
राजस्थान सेल्स टेक्स (संशोधन) विधेयक, १६५८	२६७५

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री संपतराम, उप-मन्त्री, द्वारा प्रस्तावित किये जाने पर श्री दयाकृष्ण विजय ने इस आशय का संशोधन प्रस्तुत किया कि विधेयक जनमत

के हेतु प्रसारित किया जाय। उप-मन्त्री के उत्तर के पश्चात् श्री दयाकृष्ण विजय का संशोधन गिर गया तथा विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक पर खन्डशः विचार आरम्भ हुआ। खन्ड २, ३ व ५ से १२ बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

खन्ड ४ पर विचार स्थगित रहा।

खण्ड १३ पर बहस हो रही थी कि सदन की कार्यवाही स्थगित की गई।

बुधवार, १२ मार्च, १६५८ की

कार्य-सूची

आय-व्ययक पर वाद-विवाद

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ३४२ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE COMPARATIVE RATES REGARDING PRINTING OF NATIONALSIED TEXT BOOKS OF THE PRESSES U. P. & RAJASTHAN

S. No.	Name of the Press	Quotations for work to be doue: Printing	Binding	Packing and Forwarding	Rly. Freight
	U. P. PRESSES				
1.	ALLAHABAD LAW JOURNAL CO. ALLAHABAD for OFFSET				
	Hindi I & II in two or four colours but not in three	Rs. 12/-per colour Rs.	Rs. 2/-	Packing in Hassion bundles free	F. O. R. Delhi or Allahabad as the case may be
	for LETTER PRESS Item No. 3 to 5	Rs. 7/- per forme per thousand	Rs. 2/8/-	-do-	-do-
2.	INDIAN PRESS LTD. ALLAHABAD	Rates Are Per Thousand Per Forme			F. O. R. destination mentioned in the Tender Notice by Goods Train subject to the procurement of permit by the Department.
	Hindi III	Rs. 14/12-	without paper		
	Hindi IV & V	Rs. 12/8/-	-do-		
	Social Studies III	Rs. 17/-	-do-		
	Social Studies IV	Rs. 14/-	-do-		
	Social Studies V	Rs. 15/8/-	-do-		
	Gen. Science III	Rs. 16/4-	-do-		
	Gen. Science IV	Rs. 13/-	-do-		
	Gen. Science V	Rs. 14/-	-do-		

1	2	3	4	5	6
	Arithmetic III	Rs. 17/5/-	-do-		
	Arithmetic IV	Rs. 15/-	-do-		
	Arithmetic V	Rs. 15/-	-do-		
3.	SAMMELAN MUDRANALAYA. PRAYAG				
	Hindi, Arithemtic, Social Studies & Science for classes III, IV & V	Rs. 7/- per thou. imps, for composing & binding		Wire stitching with paper cover Rs. 2/8/-	Will be discussed and finalised later.
4.	TECHNICAL PRESS ALLAHABAD				
	III, IV & V all books	Rs. 7/- per thou. per colour per forme composing & prtg. without paper		Rs. 2/8/-per thou. per forme.	F. O. R. Allahabad
5.	OUDH PUBLISHING HOUSE. LUCKNOW				
	Class III, IV & V Hindi and Social Studies	2½ pie per forme without paper of 16 pages with cover printing		Free	Free	F. O. R. destination mentioned in Tender Notice.
	PRINTING				
	3 pies per multicolour picture per leaf on country made paper The cost being inclusive.	Arith. & Gen. Science Classes III, IV & V	3 pies per forme of 16 pages without paper.	-do-	-do- -do-

1	2	3	4	5	6
	RAJASTHAN PRESSES	Printing & composing without paper free of expenses:-			
6.	Fine Art Printing press Ajmer	Hindi III. Rs. 9/-per thou. per forme			
	Rates are black colour prtg. only.	Hindi IV Rs. 8/13/- -do-			
	Block in black colour prtg. along.	Hindi V Rs. 8/8/- -do-	Free Ordinery book-binding.	Free	F. O. R. destination mentioned in the Tender Notice.
	with formes are include in rates.	Arith. III Rs. 9/4/- -do-			
	Double size paper can be used as	Arith IV Rs. 9/2/- -do-			
	they possess big size machines.	Arith. V Rs. 9/- -do-			
	Paper in double size to be supplied	S. Studies III Rs. 9/12/- -do-			
		S. Studies IV Rs. 9/- -do-			
		S. Studies V Rs. 3/12/- -do-			
		Gen Sciecne III Rs. 9/14/- -do-			
		Gen. Science IV Rs. 9/2/- -do-			
		Gen Science V Rs. 8/13/- -do-			
7.	Rajasthan Printing works, Jaipur	COMPOSING			
	Hindi, Airthmetic, Social Studies & Gen. Science.	Rs. 10/-per thou per forme of 16 pages of 20 pt. type	Rs. 1/15/- per forme per one thous.		Rs. 1/- per Md. for Jodhpur Bikaner. kotah, Udaipur & Ajmer
	No extra charges for the blocks. Rs. 6/-per colour per thou. will be charged if printed without Matter if the blocks will be printed separately with the matter the charges will be as under:-	Rs. 12/-per forme of 16 pages of 16 pt. type Rs. 2/15/- printing charges per thous. imps. of 16 pages.			

1	2	3	4	5	6
	One Colour (Black & white) Rs. 4/- per thou. imps. Coloured Rs. 5/-per colour per thou. imps.				
8.	Jaipur Printers, Jaipur. If line blocks are Printed along with the matter and on the same paper there will be no charges. For colour printing Rs. 5/ per thous. will be extra. i-e Rs. 15/- per thous. per forms. Any forme which will consist less than 15 pages will be treated as full forme and there will be no fraction in the forme.	Printing and Composing Rs. 10/- per forme per thousand impressions	Free	Free	Free delivery mentioned in the tender Notice.

STATEMENT SHOWING COMPARTIVE RATES REGARDING PRINTING OF NATIONALISED TEXTBOOKS OF THE PRESSES OF U.P.AND RAJASTHAN

S. N. Name and address of the Publisher.	HINDI Class.	HINDI RATES.	SOCIAL STUDIES Class.	SOCIAL STUDIES RATES	GENERAL SCIENCE Class.	GENERAL SCIENCE RATES	ARITHMATIC Class.	ARITHMATIC RATES.
PRESSES OF U. P.								
1. Gupta Brothers & Co. Khurja city.	I & II Multicolour.	31/-with paper for first colour per forme per thou. imps, F. O. R. in all centre except Bikaner, 10/-Without Paper for -do- 6/- -do- every subsequent colour per forme per thousand.	III	29/- with paper per forme per thou. impressions F. O. R. all districts except Bikaner. 8/- without paper -do-	III to V	29/- with paper per forme per thou. impressions F. O. R. all districts except Bikaner -do- 8/- without paper -do-		29/- with paper per forme per thou. imps. F. O. R. all distts. except Bikaner 8/- without paper. -do-
2. Gordhan Dass Jain & Sons., Agra.	I to V	31/4/- With paper per forme i. e. 6 pies per forme. 10/4/- Without paper -do- 41/4/- per forme with two colour prints. 20/4/- -do- without paper.		As in Hindi		As in Hindi		As in Hindi
3. Hindustani Book Depot. 406, Fateh Ganj, Lucknow	III to V	-/-/8 per forme per thou. with paper -/-/3 -do- without paper	III to V	7/8/- per forme per thou. with paper. -/-/3 per forme per thou. without paper	III to V	-/-/3 per forme per thou. with paper. -/-/3 per forme per thou. without paper.	III to V	7 Pies per forme per thou. with. paper. 3 pice per forme per thou without paper.
4. Industrial Art Printers, Rail Bazar, Kanpur.		26/10/- with paper 7/9/- without paper 5/- per colour extra for multi-colour page per forme of full size per thou. imps. 28/1/- with paper. 6/6/- without paper. 5/- per colour extra for multi-colour page per forme of full size per thou., imps.						
5. Kitab Ghar, Muslim Educational Press, Aligarh	I	49186/- with paper. 8456/- without paper.						
	II	19449/- with paper. 17829/- -do-						
	III	5345/- -do- 1167/- -do-	III	15278/- with paper. 2730/- without paper,	III	11928/- with. 3813/- without	IN	25608/- with. 4710/- without
	IV	32207/- -do- 6070/- -do-	IV	16802/- -do- 3102/- -do-	IV	16327/- with. 3122/- without	IV	27325/- with. 4862/- without
	V	33305/- -do- 6670/- -do-	V	20715/- -do- 3932/- -do-	V	18309/- with . 3568/- without	V	25823/- with. 4932/- without
6. P. C. Dwadesh Shreni, Co. Ltd., Aligarh.	I & II	8/- per forme per colour per thou., imps.		As in Hindi		As in Hindi		
	III to V	4/- per forme of the first thou., imps, & Rs. 3/8/- for the other subsequent imps. of per thou. formes.						
7. Rama Printing Press, Rawatpara, Agra.	I & II	6 pie P. f. with paper, composing ptg. Hindi type with binding complete with paper size 20×30 of 28lb white super calender & cover 20×30 of 60lb with size of 20×30 /16 2 pie P. f. without paper composing, ptg. in 20×30/16 papers with binding & cover ptg. ut without		Class not Mentioned.		class not mentioned		

Page No.118

STATEMENT SHOWING COMPARTIVE RATES REGARDING PRINTING OF NATIONALISED TEXTBOOKS OF THE PRESSES OF U.P.AND RAJASTHAN

S. N. Name and address of the Publisher.	HINDI Class.	HINDI RATES.	SOCIAL STUDIES Class.	SOCIAL STUDIES RATES	GENERAL SCIENCE Class.	GENERAL SCIENCE RATES	ARITHMATIC Class	ARITHMATIC RATES.
PRESSES OF RAJASTHAN.								
1. Bharat Printing Press, Alwar.		30/-per forme per thou. imps. of 16 Pages. 11/-for next thou. imps.						
2. Bharatpur Printers & Publishers Association, Bharatpur.	I & II. Multi-colour.	19/12/-first thou. imps. 5/ 8/-per thou. imps of subse. imps. 19/12/-per thou. imps. 16 pages 28 lb.						
3. Hari Mohan Elec. printing Press, Purani Basti, Jaipur.	III to V.	5/ 8/-per forme per thou. imps. (subse) 19/-Composing and Ptg. per forme per first thou. imps. without paper. 3/-Binding and Dely. per forme per thou. 7/-Next thou. imps. and so on binding per forme per thou. 7/-Extra charges for books Ptg. only with multicolour in special ink per thou. with binding.	III to V.	19/12/-Per thou. imps. of 16 pages 28 lbs. 5/ 8/-per forme per thou. imps. (sub.) Classes and subjects not mentioned.		As in Social Studies and Hindi Classes and subjects not mentioned		As in Social Studies and Hindi
4. Jai Ambey Press, Jaipur.	I to IV	6/8/-Per thou. imps, including composing, ptg. Binding and free dely. at the destination. 7/- do	III to V.	7/-Per thou. per imps.	III to V	7/-Per thou. per. imps.	III to V.	7/- Per thou. per impression.
5. Madhu Printers, S.M.S. Highway, Jaipur.	III. IV. V	10/12/-without paper thou. per. forme. 32/12-with paper do 11/ 8/-Without Paper do 33/ 8/-With paper. do 12/15/-Without paper do 34/15/-With paper. do	III. IV. V.	11/ 8/-Without paper per thou. forme. 33/ 8/-With paper do 11/12/-Without paper do 43/12/-With paper. 12/ 8/-Without paper do 34/ 8/-With paper do	III. IV. V.	11/ 3/-Per thou. per frome Without paper. 33/ 3/- do With paper. 11/ 6/- do Without paper 33/ 6/ do With paper 12/ 1/- do Without paper. 34/ 1/- do With paper.		
6. National Printing Press, S.M.S. Highway, Jaipur.		92/ -per forme per thou. Composing, Binding Printing and free delivery.		Class and subjects not mentioned.				Classes and subjects are not mentioned.
7. Prabhat Prakashan Mandir, Chaura Rasta, Jaipur.	I & II	16/ -Block printing per thousnd per forme. 70/ -With paper Per thou. per forme two colour and all the specifications mentioned in the tender notice. 47/- Without paper. do		As in Hindi.		As in Hindi		
	III to V.	62/ 8/-With paper. do 40/Without paper. do						
8. Rajasthan Elec. Press, S.MS. Highway, Jaipur.	I. II.	8/-Per forme of full size per thou. imps. 8/- do		As in Hindi III to V.		As in Hindi III to V.		Rates not quoted

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १५४ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF WORK IN 11 NATIONAL EXTENSION SERVICE BLOCKS OPENED IN APRIL, 1956 UPTO DEC, 1957,

Name of Blocks.

S. No. Item of works.	Ladnun.	Sardarshar.	Khamnor.	Aspur.	Udaipurwati.	Tijara.	Tonk.	Kapasin.	Sanchore.	Bandikui.	Srinagar.	Totals.
(A) PEOPLE'S CONTRIBUTION.												
1. Labour (Value Rs.)	286735	272243	2200	231573	458411	33886	338855	77415	329643	95662	219643	2346066
2. Cash & other contribution (Value Rs.)	515578	218030	27310	111918	894683	6424	13086	22098	33875	123032	41254	2007.88
(B) PHYSICAL ACHIEVEMENTS.												
(a) AGRIULTURE & ANIMAL HUSBANDRY.												
1. Improved seeds distributed (Mds.)	163	123	6473	401	1146	5575	6216	9890	543	1752	11816	44098
2. Chemical Fertilizers distributed (Mds.)	—	—	978	118	59	706	1557	566	228	432	7106	11820
3. Agricultural Domonstrations held (Nos.)	73	27	417	187	300	131	129	95	176	420	670	2624
4. Improved animals Supplied (Nos.)	8	24	1	—	9	2	21	—	2	4	167	238
5. Animals Castrated (No.)	200	2526	115	59	1126	737	747	49	—	220	2671	8450
(b) IRRIGATION.												
1. Area brought under Irrigation (Acres)	159	—	—	109	407	1851	614	336	1973	2	1323	6774
2. Wells constructed (No.)	58	—	209	28	55	50	148	150	277	135	169	1279
(c) HEALTH & RURAL SANITATION.												
1. Drinking Water wells constructed (No.)	10	5	12	33	99	24	8	36	53	52	29	361
2. Drinking Water wells Renovated (No.)	37	12	5	23	88	26	25	4	86	16	16	338
3. Drains Constructed (Yds.)	119	350	528	50	255	614	151	380	880	62	42	3431
(d) EDUCATION.												
1. New Schools Started (No.)	13	6	13	14	14	2	5	8	29	10	8	122
2. School Building constructed	6	6	16	21	38	5	5	11	18	10	21	147

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF WORK IN 15 NATIONAL EXTENSION SERVICE BLOCKS OPENED IN OCTOBER, 1956 UPTO DEC., 1957

S.N. Item of Works.	Name of Blocks.															
	Lachm-angarh.	Osian.	Kharchi.	Khan-pur.	Bagi-dora.	Hindoli.	Shiv	Raja-khera.	Hanum-angarh.	Mandal,	Daria-wad.	Kishan-garh.	Ganga pur.	Abu.	Kushal garh	Total.
(A) PEOPLE'S CONTRIBUTION.																
1. Labour (Value Rs.)	128134	65354	67430	109060	51209	100662	79415	204818	203000	179507	36037	135630	108016	5409	15335	1488916
2. Cash & other contribution (Value Rs.)	346822	25141	86326	5700	25147	59582	36437	6271	123205	34689	26699	51407	130733	8595	10240	976991
(B) PHYSICAL ACHIEVEMENTS.																
(a) AGRICULTURE & ANIMAL HUSBANDRY.																
1. Improved seeds distributed (Mds.)	85	1640	7821	10301	482	8262	—	1228	4744	2062	726	1820	25960	931	212	65774
2. Chemical fertilizers distributed (Mds.)	5	205	176	278	486	1297	—	214	194	476	56	212	399	316	397	4491
3. Agricultural Demonstrations held (Nos.)	55	41	514	195	44	75	—	59	8	89	159	84	137	88	140	1680
4. Improved animals Supplied (No.)	—	27	1	—	1	—	—	12	-	-	-	3	-	15	-	59
5. Animal Castrated (No.)	734	1	91	410	108	133	144	15	938	33	253	449	573	26	61	3979
(b) IRRIGATION.																
1. Area brought under Irrigation (Acres).	79	168	321	—	383	698	—	—	-	586	484	449	446	84	44	3742
2. Wells constructed (No.)	15	27	39	60	63	53	—	82	-	84	66	215	73	30	13	820
(c) HEALTH & RURAL SANITATION.																
1. Drinking Water Wells Constructed (No.)	19	11	11	16	9	7	6	31	-	17	1	30	51	11	8	217
2 Drinking Water Wells Renovated (No.)	47	10	25	30	31	6	—	27	-	2	7	44	26	-	3	258
3. Drains Constructed (Yds.)	12	95	—	249	239	48	---	2763	576	25	20	612	504	-	20	5163
(d) EDUCATION.																
1. New Schools started (No.)	7	14	2	—	—	—	—	13	5	3	3	2	3	38	1	82
2. School building constructed (No.)	8	2	4	2	2	2	1	4	12	9	4	22	7	9	8	96
(e) SOCIAL EDUCATION.																
1. Adult Literacy Centres functioning (No.)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३६० का उत्तर देखिये)

समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये गये छात्रावासों की सूची

यपुर डिवीजन

राजकीय छात्रावास	उदयपुर	
,, ,,	प्रतापगढ़	
,, ,,	कोटड़ा	(जिला उदयपुर)
,, ,,	पलासिया	
,, ,,	बांसवाड़ा	
,, ,,	सज्जनगढ़	(जिला बांसवाड़ा)
,, ,,	खेरवाड़ा	(जिला उदयपुर)
,, ,,	बांसवाड़ा	(छात्राओं के लिए)
,, ,,	धरियावाद	(जिला उदयपुर)
,, ,,	चित्तौड़गढ़	
,, ,,	सागवाड़ा	(जिला डूंगरपुर)
२. ,, ,,	साकला	(जिला डूंगरपुर)

जोधपुर डिवीजन

१. राजकीय छात्रावास, जोधपुर
२. ,, ,, पाली
३. ,, ,, सेवाड़ी (जिला पाली)
४. ,, ,, फालना (जिला पाली)
५. ,, ,, सिरोही

बीकानेर डिवीजन

१. राजकीय छात्रावास, करणपुर (जिला गंगानगर)
२. राजकीय छात्रावास, बीकानेर

जयपुर डिवीजन

१. राजकीय छात्रावास, जयपुर (बनी पार्क)
२. विमुक्त जाति छात्रावास, जयपुर (नवाब सहाब की हवेली)
३. राजकीय छात्रावास, अलवर
४. —— राजगढ़ (जिला अलवर)

५. राजकीय छात्रावास, सीकर

भरतपुर क्षेत्र

१.	राजकीय छात्रावास	बूंदी
२.	,, ,,	केसवाड़ा
३.	,, ,,	भरतपुर
४.	,, ,,	कोटा
५.	,, ,,	झालावाड़

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३६८ का उत्तर देखिये)

LIST OF MILDDIE SCHOOIS IN JODHPUR DISTRICT.

JODHPUR CITY.

1. Vidhyashala, Jodhpur.
2. Mandi, Jodhpur.
3. Kotwali, Jodhpur.
4. Sardarpura, Jodhpur.
5. Paota, Jodhpur.
6. Junior Military, Jodhpur.
7. Residency Jodhpur.
8. Ratanada, Jodhpur.
9. Chainpura, Jodhpur.
10. Rajmahal, Jodhpur.
11. Udaimandir, Jodhpur.

JODHPUR TEHSIL

12. Palasni.
13. Dundara.
14. Guman Middle School, Indroka.
15. Mathania.
16. Salawas.
17. Bhetnada.

PHALODI TEHSIL

18. Lohawat.
19. Lordian.
20. Bap.
21. Peelwa.
22. Phalodi No. 1.

OSIAN TEHSIL.

23. Osian.
24. Baori.

SHERGARH TEHSIL

25. Shergarh.
26. Khirjakhas.

BILARA TEHSIL

27. Bhavi.
28. Rasnigaon.
29. Barunda.
30. Ratkurion.
31. Khejarla.
32. Asop.

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर देखिये)

Statement of population and Income Khalsa, Non-Khalsa & Resumed Jagir, Tehsilwise District, Jaipur Samvat 2013.

S. No.	Name of Tehsil	Population,	Income.
1.	Jaipur.	42,516	80,950/-
2.	Chaksu	76,589	4,00,624/-
3.	Bassi.	included in tehsil, Jaipur, Chaksu & Dausa	2,42,793/-
4.	Sanganer.	included in Tehsil, Jaipur and Chaksu.	2,17,306/-
5.	Dausa.	1,05,236	5,42,33[illegible]/-
6.	Lalsot.	86,754	4,41,292/-
7.	Sikrai.	65,128	4,36,653/-
8.	Baswa.	92,061	4,65,294/-
9.	Amber.	1,29,546	5,40,557/-
10.	Jamwa-Ramgarh.	1,07,716	5,06,120/-
11.	Kotputli	65,410	2,94,666/-
12.	Bairath.	1,28,974	4,39,255/
13.	Phulera.	1,64,635	4,39,703/-
14.	Phagi.	76,253	4,36,380/-
15.	Dudu.	included in Tehsil, Phulera & Phagi.	4,08,439/-
			58,92,378/-

STATEMENT OF TACCA VI LOAN SHOWING THE POSITION OF SANCTION ED AMOUNT AND EXPENDITURE INCURRED UPTO DATE DISTRICT, JAIPUR DURING 1957-58

S. No.	Name of Tehsil	Grow More Food. Sanctioned,	Expendeture.	Balance.	Ordinary Revenue Sanctioned.	Ex Penditure	Balance.	REM ARKES
1.	Tehsil, Dausa.	31,000	23,900	7,100	8,000	6,100	1,900	
2.	Tehsil, Bairath.	10,000	5,800	4,200	4,000		4,000	
3.	Tehsil. Amber.	15,000	9,500	5,500	4,000	650	3 350	
4.	Tehsil, Chaksu.	8,000	600	7,400	5,0 0		5,000	Rs. 1900/- is reported to be lying with Tehsildar for which the cultivators have been called for. Action is being taken by the Tehsildar.
5.	Tehsil, Phulera.	10,000	800	9,200				
6.	Tehsil, Lalsot	35,000	17,100	17,900	6,000	5,850	150	Bills of G. M. F. Loan for Rs. 4100/- are also being prepared. Action is being taken by the Tehsildar.
7.	Tehsil, Dudu.	25,0[illegible]0	7,400	17,600	8,000	-	8,000	
8.	Tehsil, Jamawa Ramgrh.	20,000	15,150	4,850	6,000	3,800	2,200	Action is being taken by the Tehsildar.
9.	Tehsil, Sikrai.	25,000	20,050	4,950	5,000	500	4,500	
10.	Tehsil, Kotputli.	14,000	6,500	7,500	2,500	1,000	1,500	This Tehsil is under Block Development Area, as such no amount of Taccavi for G. M. F. & Revenue Taccavi has been allotted.
11.	R E S E R V E.	7,000	-	7,000	-	-	—	
12.	Tehsil. Sanganer,	—	—	—	—	—	—	
	TOTAL Rs.	2,00,000	1,06,800	93,200	48,500	17,900	30,600	

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ५ देखिये)

रिजम्पशन जागीर की तारीख के राज्य सेवा में लेने के दिन तक का वेतन देने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि नियम १६५४ के उप नियम ६ (डी) के अनुसार केवल डिस्चार्ज नोटिस पीरियड का वेतन देने का ही प्राव-धान है ।

ऐसा कोई केस जानकारी में नहीं है । बिल महालेखापाल को प्री-ऑडिट के लिये भेजे गये हैं । पास होने पर वेतन दे दिया जावेगा ।

रिजम्पशन होने वाली जागीरों के १२७० कर्मचारियों को राज्य सेवा में लिया गया । कुल ३१६३ ने एप्लाई किया था । शेष को न लेने के निम्न कारण हैं:—

१. कुछ व्यक्ति तो ५५ वर्ष की आयु से ऊपर के थे । तथा ३० वर्ष ठिकाने का सेवा-काल पूरा कर चुके थे ।

२. कुछ व्यक्तियों को अनुभव व योग्यता को ध्यान में रखते हुये राज्य सेवा में योग्य न समझा गया ।

३. ऐसे पदों की संख्या जिन पर इन व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती थी कर्म-चारियों की संख्या कम थी ।

१२७० व्यक्तियों में से ४६० कर्मचारियों का कन्फर्मेशन तथा फिक्सेशन बाकी है ।

पेडिंग केसों की सूची संलग्न है । १४ कलेक्टरियों में २१० केस पेंडिंग हैं और शेष अन्य विभागों में । इनके पेडिंग रहने के निम्न कारण हैं:—

१. ठिकाने से सही रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो सके हैं ।

२. कुछ केसेज़ महा लेखापाल के यहां मंजूरी के लिये भेजे गये हैं ।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक ११ मार्च, १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२८३७	अन्तिम से ४	यह कलास छोड़ कर	यह कलास छोड़कर
२८३८	१	तो हम सइ	तो हम इस
,,	६	दूनी श्रौर उनियारा	दूनी श्रौर उनियारा
२८४०	अन्तिम से ७	श्री उपाध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
२८४२	अन्तिम से ३	नये पे स्मेल	नये पे स्केल
२८५४	५	हरएक त्रिलेज	हर एक विलेज
२८५५	२२	डिमर्कटेड हैं इसलिए	डिमार्केटेड हैं इसलिए
२८५६	२२-२२	in the noitfication	in the notification
२८५७	१३	पदाधिकारी हैं ?	पदाधिकारी हैं ।
२८७३	३	लक्ष्मी विलास, पेलेस	लक्ष्मी विलास पैलेस,
२८७७	अन्तिम से ५	श्रीं तनसिंह	श्री तनसिंह
२८८५	१	श्री मोहनलल सुखाड़िया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
२८८७	७	classess to the	classes to the
२८९१	१	जनता के तिकनै	जनता के नैतिक
२८९३	शीर्ष	(श्री प्रभुलाल पुरोहित)	(श्री राजस्व मन्त्री)
२८९४	९ व १०	पोष्टिंग व पोर्टिंगों	पोटिंग
२८९५	१४	श्री हरिभाऊ उपाध्यक्ष	श्री हरिभाऊ उपाध्याय
२८९७	२१	फीस के स्टाम	फीस के स्टाम्प
२९०१	७	श्री श्रीभानसिंह (बयना)	श्री श्रीभानसिंह (बयाना)
२९०१	अन्तिम से ६	इस तरह की परि स्थति	इस तरह की परिस्थिति
२९०३	शीर्ष	राथस्थान कोर्ट फी	राजस्थान कोर्ट फी
२९०३	२०	Relief our Valuation	relief over valuation
२९०९	६	उसी के अनुसर वसूल	उसी के अनुसार वसूल
२९१४	अन्तिम से १३	ऊपर जा र	ऊपर जाकर
२९१५	अन्तिम से २	श्री ह्रिभाऊ उपध्याय	श्री हरिभाऊ उपाध्याय
२९१६	शीर्ष	एण्ड स्टाम्प ड्यूटा बिल,	एण्ड स्टाम्प ड्यूटी बिल,
२९१७	५	कैसी विचत्र दलील	कैसी विचित्र दलील
२९२०	१८	सहस करें और कहें	साहस करें और कहें
२९२८	१३	कम्वर्शन रेट्रस	कन्वर्शन रेट्स
२९२८	अन्तिम से ४	से कि ी लेजिस्लेशन	से किसी लेजिस्लेशन

१	२	३	४
२६३१	शीर्ष	राजस्थान कोट फी एण्ड	राजस्थान कोर्ट फी एण्ड
२६३७	अन्तिम से ६-१०	शिड्यूल विवेयक में अंग रूप से जोड़ा गये ।	शिड्यूल विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।
२६३८	अन्तिम से ३	रि ा े न ाा । ा र्मा	श्री बृजमोहनलाल शर्मा
२६४०	शीर्ष	उत्पादन विधेयक	उत्सादन विधेयक
,,	अन्तिम से ७	राजस्थान कोड आफ सिविल प्रोसीजर	कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर
२६४४	शीर्ष	हके मालिकाना समपान विधेयक	हके मालिकाना समापन विधेयक
२६४६	८	डिस्क्रिश्नरी पॉ र्स से	डिस्क्रिश्नरी पॉवर्स से
२६५१	४	विदाउट नोसिट डिस्मिस	विदाउट नोटिस डिस्मिस
२६५३	१२	says that it shonld be	says that it should be
२६५६	अन्तिम से २	क्या क्राइटे रहेगा ।	क्या क्राइटेरिया रहेगा
२६५८	१८	Pcnalty is going	Penalty is going
२६५९	११	the award wnich	the award which
२६६?	२३	जगह दो आगा रखना	जगह दो आना रखना
२६६७	२२	तैयारी क के करेंगे,	तैयारी करके करेंगे,
२६६९	२५	राजस्थान में इन्स्ट्री	राजस्थान में इन्डस्ट्री
२६७३	शीर्ष	(संशोधन) विधेवक १९५८	इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स विधेयक
,,	८-६	डिस्प्यूट्स को	डिस्प्यूट्स विधेयक को
,,	१०	(राजस्थान अमेंडमेंट) विधेयक १९५८	delete this
२६७७ से २६६२	शीर्ष	मोटर विहिकल्स विधेयक--११ मार्च, ५८-विक्रय कर (संशोधन) विधेयक	राजस्थान विक्रय कर-११ मार्च, ५८-(संशोवन) विधेयक-१९५८
२६८१	६	उसमें फैसला विया था	उसमें फैसला किया था
,,	२०	सब बा को देखते	सब बातों को देखते
,,	२४	ना मजूर करता हू ।	नामन्जूर करता हूं
,,	२६	माननीय मत्री जी	माननीय मंत्रीजी
२६६७	७	(मूल अफिनियम की धारा ५ में	(मूल अधिनियम की धारा ५ में
३००४	११-१२	उत्तरदायिव आप	उत्तरदायित्व आप
३००७	३	फाइन्स मिनिस्टर्स	फाइनेन्स मिनिस्टर्स
३००६	१६	is Consequentinal	is consequential
,,	अन्तिम	is being brougt	is being brought
३०१०	२३	एडिवल ऑजल्स	एडिवल ऑइल्स
३०१४	२०	हम इसको एक्सक्पेट	हम इसको एक्सेप्ट
३०१६	१०	सारा ले लिया जये ।	सारा ले लिया जाये ।

१	२	३	४
३०२०	१४–१५	awendnet in the Sthan amendment Bill	amendment in the Rajasthan amendment bill
३०२१	१८	"सेकन्ड प्रोविजों ऑफ दी एक्ट में"	"सेकन्ड प्रोविजो ऑफ दी एक्ट" में
३०२५	२२	आपने सामने है,	आपके सामने हैं,
३०२७	४	अमेन्डिग बिल है और इस अमेन्डिग	अमेन्डिंग बिल है और इस अमेंडिंग
,,	१८	चेअर से इसका स्पीष्टीकरण	चेअर से इसका स्पष्टीकरण
३०२८	अन्तिम से १०	बिल के अदर	बिल के अन्दर
३०२९	२०	सस्दय से निवेदन करूंगा	सदस्य से निवेदन करूंगा
३०३३	१९	श्री मती सभानेत्री	श्रीमती सभानेत्री
३०३५	१८	पर पहुचने दोजिये ।	पर पहुंचने दीजिये ।
,,	२१	सम्बन्ध में राज्यपल की	सम्बन्ध में राज्यपाल की
३०३६	१३	अभी मन्त्री म ोदय	अभी मन्त्री महोदय
३०३७	१५	तन िह्	श्री तनसिंह
३०४१	६	रूलिग को चेलेंज कर रहे हैं ।	रूलिंग को चैलेंज कर रहे हैं ।
३०४४	१०	करने का स ाल ही नहीं उठता है	करने का सवाल ही नहीं उठता है
,,	१५	क्लॉज की दृष्ट भूमि को	क्लाज की पृष्ठभूमि
३०४५	१७	श्रीमती सभनेत्र	श्रीमती सभानेत्री
,,	१८	और धारज और शांति	और धीरज और शांति
३०४६	अन्तिम से ३	और इसदे बाद है :	और इसके बाद है :
३०४७	१९	आ जाय इसएिये मैं	आ जाय इसलिए मैं
३०६३	२ स्कम्भ ९ पंक्ति	(a) AGRIULTURE	(a) AGRICULTURE
३०६४	६ स्कम्भ १९ पंक्ति	130	830
,,	११ स्कम्भ २० ,,	9	19
३०६७	४	List of Milddie	list of Middle
,,	अन्तिम से ३	Ratkurion	Ratkuria
३०६८	४ स्कम्भ १३	5, 42, 336/-	5, 42, 336/-